खण्ड-224, अंक-6
मंगलवार, 26 वैशाख, शक संवत् 1883
(16 मई, 1961 ई0)

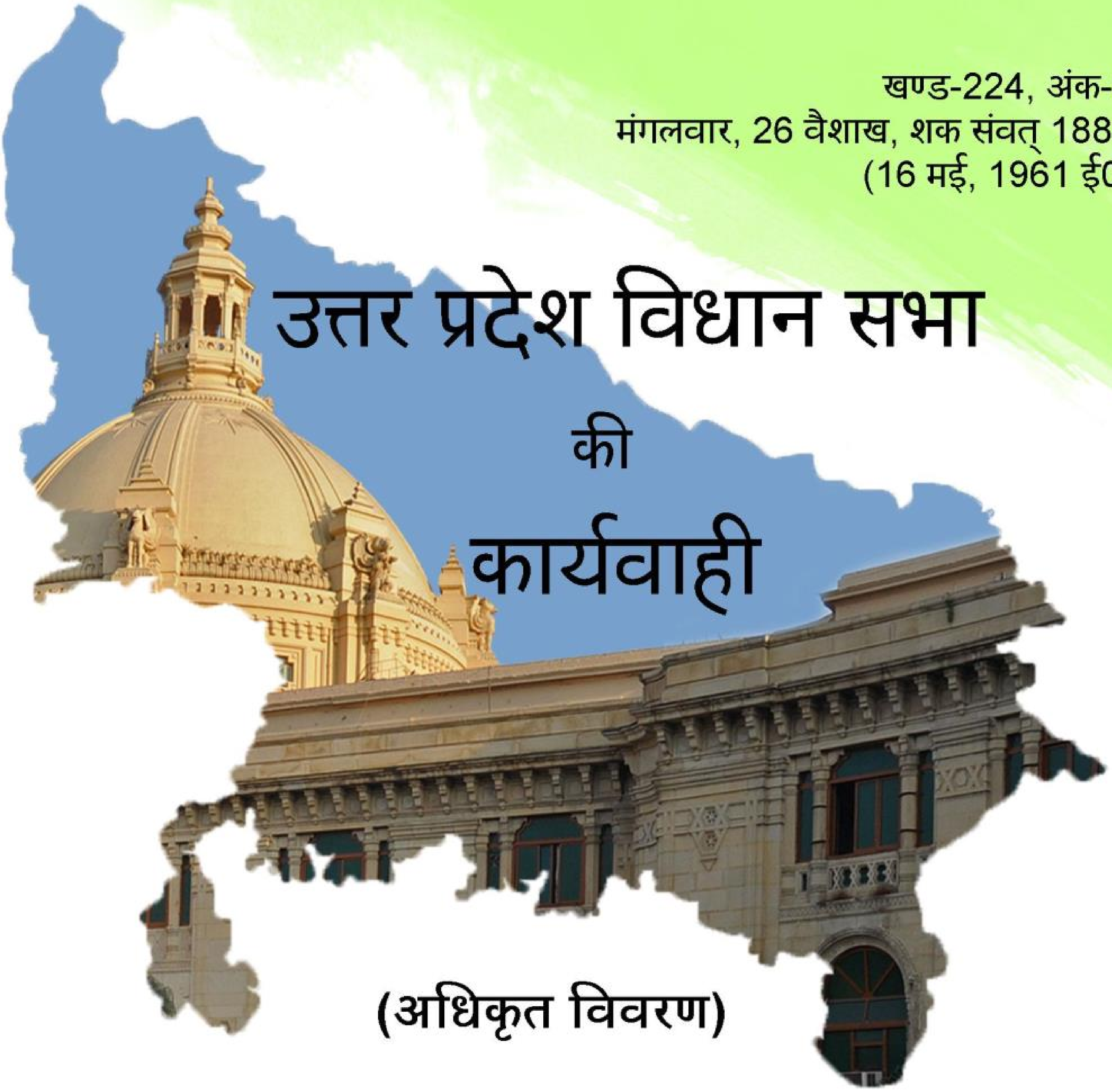

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद , श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम , श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल, इस्लाम श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल पासिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कापड़पाल, श्री
हरीशचन्द्र अग्रवाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (रहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रममंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार १६ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फैजाबाद नगरपालिका का अवक्रमण

**१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री फैजाबाद नगरपालिका को जब्त करने के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्तशासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक तथा अपने अधिकारों का अतिरेक करने के कारण जैसा कि शासकीय विज्ञप्ति सं० १०१७ एफ/११-ए-३८०-५८, दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ जो कि दिनांक १९ अप्रैल, १९६१ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है फैजाबाद नगरपालिका को अवक्रान्त किया गया है ।

**२--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री विश्रामराय--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश के विरुद्ध फैजाबाद नगर में कई दिनों तक हड़ताल रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--शासन को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर-पालिका द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन न करने और अधिकारों का दुरुपयोग करने का कार्य कब से हो रहा था और चेयरमैन के त्याग-पत्र देने के पहले क्या उनसे इस संबंध में जवाबतलब किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, शिकायतें आना तो सन् ५८-५९ में शुरू हुआ था और जैसा तरीका है, जब वह शिकायतें आईं तो जांच कराई गई । जांच करने में वह शिकायतें सही पाई गईं तो एक आरोप-पत्र बनाया गया । वह आरोप-पत्र वहां की नगरपालिका को भेजा गया । नगरपालिका से उसका उत्तर भी आया । वह उत्तर बहुत संतोषप्रद नहीं था किन्तु नगरपालिका ने यह कहा कि हमें अपना कार्य ठीक करने के लिये थोड़ी मोहलत दी जाय । चुनांचे ३ महीने की उनको मोहलत भी दे दी गई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३ महीने की जो मोहलत उनको दी गई थी वह चेयरमैन के त्याग-पत्र देने के बाद दी गई थी या वह अपने पद पर विराजमान थे तब दी गई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--चेयरमैन के त्याग-पत्र प्राप्त होने से पूर्व ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोप-पत्र था उसमें मुख्य-मुख्य कौन-कौन से आरोप नगरपालिका के खिलाफ थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जो मुख्य-मुख्य थे वह विज्ञप्ति में दे ही दिये गये थे ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद नगरपालिका किस राजनीतिक दल के हाथ में थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--राजनीतिक दलों का, जब इस तरीके से कोई फैसला होता है, विचार नहीं किया जाता है । किन्तु जो मामूली तरीके से मेरी जानकारी है उसके अनुसार वह कांग्रेस के पक्ष के थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के ऊपर ऋण और प्रावीडेंट फंड न देने और सरकार का जो बिजली आदि का भुगतान न करने का आरोप था उसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड को कितने दिनों की मोहलत दी गई थी, देने के लिये ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने कहा ३ महीने की मोहलत इस बात के लिये दी गई कि वह अपनी हालत को सुधारें और उन तीन महीनों में कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया कि उनकी हालत सुधरती, बल्कि और बिगड़ती गई ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अधिकारों का दुरुपयोग और अपने कर्त्तव्यों का पालन करना यह आरोप अध्यक्ष के खिलाफ था फिर नगरपालिका को जब्त क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—यदि माननीय सदस्य उस विज्ञप्ति को देखेंगे जिसमें आरोपों की चर्चा की गई है और जो विशेषकर वित्त सम्बन्धी हैं उसमें केवल अध्यक्ष का मामला नहीं है वह समस्त नगरपालिका को तय करने होते हैं । उधार लेना और जब कि नियमों में यह चीज लिखी हुई है कि उधार की किस्तें देना सर्वप्रथम काम है उन चीजों को प्रोवाइड न करना, न रखना, बिजली तक के चार्जेज न देना, लोगों के प्रावीडेंट फंड की किस्तों को जमा न करना—यह समस्त नगरपालिका का उत्तरदायित्व है किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है, यद्यपि वह व्यक्ति भी उत्तरदायी है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—प्रश्न २ का जवाब दिया है कि शासन को इस बात की कोई सूचना नहीं है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शासन को यह सूचना है कि उक्त आदेश के सम्बन्ध में शासन के पास कोई विरोध-पत्र आया फैजाबाद की जनता से ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो नया प्रश्न है । मुमकिन है कि आया हो क्योंकि शासन का सम्बन्ध विभाग से भी होता है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी में मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा पत्र मेरे पास आया हो ।

श्री ऊदल—सन् १९५८ में जैसा मंत्री जी ने कहा मैंने इस सवाल को उठाया था । जब नगरपालिका के ऊपर इतने बड़े-बड़े आरोप थे, बिजली का भुगतान नगरपालिका ने नहीं किया, प्रोवीडेंट फंड का रुपया नहीं जमा किया और अल्प आय वालों के लिये मकान बनाने के लिये जो रुपया दिया था उसको भी नगरपालिका ने नहीं बनवाया उसके बाद भी सरकार ने ५ लाख रुपये से ऊपर नगरपालिका फैजाबाद को दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार, जब तक कि नगरपालिकाएं स्थापित रहती हैं, तब तक उनको सहायता देती रहती है । जब सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि नगरपालिका ठीक तरह से काम नहीं करती है तो इस धारा के अन्तर्गत काम किया जाता है जिसके अन्तर्गत अब किया गया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत ९ मई, १९६१ के प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सांड़ी थाना क्षेत्र में डाकुओं का कथित सक्रिय गिरोह

*१—**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि थाना सांड़ी, जिला हरदोई में लगभग १५ व्यक्तियों का एक सशस्त्र गिरोह कार्यशील है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—थाना सान्डी में ऐसे गिरोह के कार्यशील होने की सूचना नहीं है ।

*२—**श्री हरदयालसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह गिरोह लगभग तीन डाकाजनी, एक नारी-अपहरण, दूसरा बाल अपहरण क्रमशः बलात्कार तथा धन ऐंठने के उद्देश्य से कर चुका है ? यदि हां, तो सरकार इस गिरोह को पकड़ने के लिये कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, डाके की घटनाएं विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हुईं । नारी या बाल अपहरण या बलात्कार की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई ।

[९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न]

मोचकला ग्राम में महावीर के घर में डकैती की रिपोर्ट की दफा बदलना

*१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—ग्राम मोचकला, थाना बिसवां (सीतापुर) में श्री महावीर के घर डकैती के सम्बन्ध में दिनांक १६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३–१५ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्किल आफीसर ने जब दिनांक २७ मई, १९६० को धारा बदलने का आदेश दे दिया था तो उक्त आदेश का पालन १३ जून, १९६० को किये जाने का क्या कारण है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—सर्किल आफीसर ने दिनांक २७–५–६० को धारा बदलने के मौखिक आदेश दिये थे परन्तु जांच अधिकारी ने इस बारे में १३–६–६० को लिखित आदेश मिलने पर ही धारा बदलने की कार्यवाही की ।

*२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—ग्राम मोचकला, थाना बिसवां (सीतापुर) में श्री महावीर के घर डकैती के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या १३–१५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डकैती में बिसवां थाने के कौन-कौन अधिकारी सर्व-प्रथम किस तारीख में जांच के लिये गये और फिर यह जांच की कार्यवाही किस तारीख को समाप्त हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—सबसे पहले थाना बिसवां के सब-इंस्पेक्टर, श्री श्रीपाल सिंह दिनांक १९–५–६० को (जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गयी) मौके पर गये थे । दिनांक २०–५–६० को बिसवां थाने के थानाध्यक्ष मौके पर गये और तफतीश करनी शुरू कर दी । तफतीश २२–८–६० को समाप्त हुई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मंत्री जी बतायेंगे कि मौखिक आदेश जब सर्किल अफसर ने धारा बदलने का दे दिया था तब भी जांच अधिकारी ने धारा बदलने की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जाहिरा तो मालूम पड़ता है कि सर्किल अफसर के आदेश उनको मानने चाहिये थे । दुर्भाग्य से यह मुकदमा अदालत से छूट गया और उस सिलसिले में जो कुछ भी निर्णय अदालत का है क्या आवश्यक होगा उस सिलसिले में जांच की जायगी कि उन्होंने सर्किल अफसर के आदेश क्यों नहीं माने । क्योंकि संभव हो सकता है इस वजह से भी मुकदमा छूट गया हो ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला बहुत पुराना है और सर्किल अफसर के आदेश को जांच अधिकारी ने नहीं माना तो अबतक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने उत्तर में ही कहा है कि सर्किल अफसर के मौखिक आदेश को नहीं माना लेकिन जब लिखित आदेश १३ जून, १९६० को मिल गये उसके बाद धारा बदल कर मुकदमे में चालान हुआ। दौरान मुकदमा में ऐसी कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है। अब मुकदमा खत्म हो गया है और यदि आवश्यक हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मथुरा के प्रशिक्षार्थी

*३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सज्जा, औजार, शिक्षकों तथा पुस्तकालय से सज्जित जिस मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निश्चय मत्स्य फार्म, जौनपुर में करने का किया गया था क्या यह फार्म ३१ जनवरी, १९६ तक खोल दिया गया है? यदि हां, तो कितने कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—जौनपुर मत्स्य फार्म पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं न उपलब्ध होने के कारण मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र पशु विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा में स्थापित किया गया है।

इस समय उक्त केन्द्र में १५ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी ऐसी आवश्यक सुविधायें थीं जो जौनपुर में उपलब्ध नहीं थीं जिसके कारण यह प्रशिक्षण केन्द्र मथुरा में खोलना पड़ा?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, एक ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र को खोलने के लिये जिसके विषय में पहले से प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है बहुत-सी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिये जो जौनपुर में उपलब्ध नहीं की जा सकती थीं, क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने की बहुत जल्द जरूरत थी और मथुरा में वे उपलब्ध थीं क्योंकि वहां पर वेटेरिनरी कालेज पहले से मौजूद था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने पहले जौनपुर को इस प्रशिक्षण केन्द्र के लिये चुना था?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, विभागीय अधिकारी होंगे। उनके नाम के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी सुविधायें थीं जो कि जौनपुर में उपलब्ध नहीं थीं और मथुरा में उपलब्ध थीं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं यह बता दूं कि उसमें कार्य क्या होता है तो स्पष्ट हो जायगा। उसमें डिप्लोमा कोर्स है जिसमें एडवान्स कोर्स ६ महीने के ड्यूरेशन का होता है, एक एलीमेंटरी कोर्स तीन महीने का होता है और एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है जो ६ महीने का होता है। इस तरह का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है ताकि प्रशिक्षण पाने वालों की प्रापर ट्रेनिंग हो सके। वह मथुरा में ही हो सकती थी क्योंकि वहां एक पुराना कालेज पहले से मौजूद था।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के शुरू में जौनपुर में प्रारम्भ करने के पहले इस प्रशिक्षण केन्द्र की कल्पना उस योजना में अन्तर्निहित नहीं थी?

श्री रामस्वरूप यादव--कल्पनाएं तो योजना में सब थीं । यह सोचा था कि जौनपुर में खोल सकेंगे लेकिन उस प्रशिक्षण केन्द्र को जल्दी खोलना था और जल्दी खोलने में यह संभव नहीं था कि हम जौनपुर में खोल सकते और मथुरा में बहुत सी सुविधायें उपलब्ध थीं इस वजह से मथुरा में खोल दिया ।

* * * *

आजमगढ़ जिले से बेकार पशुओं का मिर्जापुर गोसदन को स्थानान्तरण

*६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि गत २ वर्ष पहिले आजमगढ़ जिले से कुछ अपाहिज गायें "मिर्जापुर गोसदन" को भेजी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं कहां-कहां से ?

श्री रामस्वरूप यादव--गत दो वर्षों १९५९-६०, तथा १९६०-६१ में आजमगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से कुल १२५ बेकार तथा अपाहिज पशु (गोवंश) मिर्जापुर जिले के दो गोसदनों बेनी माधो न्याज ट्रस्ट निजी गोसदन, बरकछा तथा निजी गोसदन सिकटही, में भेजे गये । यह पशु आजमगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से भेजे गये थे जिसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७८-५७९ पर)

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थानान्तरण में ५ रुपये प्रत्येक गाय मालिक को भी दिया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना रुपया मय मोटर ट्रक के किराये आदि में व्यय हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव--बेकार पशुओं (गोवंश) को गोसदन भेजने के लिये उनके मालिकों को कोई रुपया नहीं दिया जाता है प्रत्युत ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों तथा उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ऐसे छुट्टा पशु प्राप्त होते हैं, ५ रुपये प्रति पशु ग्रामीण क्षेत्रों में तथा १० रुपये प्रति पशु नागरिक क्षेत्रों में दिये जाते हैं । उक्त १२५ पशुओं के लिये कुल ६६० रुपये दिये गये, जिसका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "क" में दिया है ।

आजमगढ़ जिले के उक्त सभी पशु सरकारी ट्रक द्वारा ही मिर्जापुर जिले के गोसदनों में पहुंचाये गये । सरकारी ट्रक द्वारा भेजे गये जानवरों पर जिलेवार व्यय का हिसाब नहीं रखा गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७८-५७९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गोसदन जब गैर सरकारी हैं तो इन सदनों में पशुओं को सरकारी ट्रक द्वारा भिजवाने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह नियम है कि ऐसे छुट्टा पशु गोसदनों में देना आवश्यक है जिससे ये फसल वगैरह की दिक्कत पैदा न कर सकें । बजाय इसके कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा भेजे जायं यदि कोई व्यक्ति ऐसे पशुओं को भेज सकता है तो स्वाभाविक है कि सरकार को उनको अपनी मोटर द्वारा पहुंचाना आवश्यक है, इसलिये पहुंचाये गये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और १० रुपये शहरी क्षेत्रों में दिये गये, तो यह किस व्यक्ति को या किस संस्था को और किस प्रकार दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--कोई भी इस तरह के छुट्टा पशु ले आता है तो ५ रुपये प्रति पशु ग्रामीण क्षेत्र में और १० रुपये शहरी क्षेत्र में दिये जाते हैं । सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह व्यवस्था प्रति वर्ष हर जिले में लागू होती है या किन्हीं किन्हीं जिलों में लागू होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे ५ राजकीय गो सदन हैं और ६ निजी हैं। इन स्थानों पर जहां-जहां से भेजे जा सकते हैं, भेजे जाते हैं और सरकारी मोटरें उनको ले जाने के लिये जिन जिलों में हैं वहां से उनके भेजवाने का उपयोग किया जा सकता है। यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी खास जिले से भेजे जायं। जहां मोटर का प्रबन्ध नहीं है वहां दिक्कत होगी, वैसे भेजे जा सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ५ रुपये मालिक को देकर पशु लाद दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तस्दीक कौन करता है कि यह पशु उसी व्यक्ति का है जिसको ५ पये दिये जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने तो यह कहा है कि मालिक को नहीं दिये जाते हैं। जो छुट्टा पशु अनुपयोगी होते हैं, लाभहीन हो जाते हैं, वह इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको बेकार समझकर भेज दिया जाता है और जो व्यक्ति इनको एकत्रित करके भेजता है उसको ५ रुपये प्रति पशु ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं।

कोपागंज पुलिस चौकी को थाने में परिणत करने का विचार

*८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकियों के बारे में ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले की पुलिस चौकी कोपागंज को थाने के रूप में परिवर्तित करने के लिये एक प्रस्ताव प्रधान पुलिस निरीक्षक ने आवश्यक सामग्री के साथ सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पहले भी जब उत्तर दिया गया था यह प्रश्न विचाराधीन था। आज की स्थिति यह है कि गृह विभाग से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया तो उनकी राय यह है कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे निर्णय लिये जायं। इसलिये इस समय इसको स्थगित कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से आवश्यक सामग्री कौन-कौन मांगी गई थी और उन्होंने क्या-क्या दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रश्न यह है कि पहले उत्तर दिया गया था कि आवश्यक सामग्री मांगी गई, तो कौन-कौन सामग्री मांगी गई थी और उन्होंने क्या-क्या दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आवश्यक सामग्री का आशय यह है कि वहां की आवश्यकता को देखकर, क्राइम की स्थिति को देखकर और इस स्थिति को देखकर बतायें कि किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह उपयोगी होगी। आई०जी० से तो आगया था और जैसा कि मैंने कहा कि शासन में भी गृह विभाग से यह वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग की राय है कि पुलिस आयोग के सामने ऐसे प्रश्न विचाराधीन है, जो पुलिस परसोनेल और थाने की स्ट्रेन्थ के बारे में भी यह सुझाव देगा। इसलिये इस समय इसको स्थगित कर दिया गया है।

इटावा जिले में अधिक अन्न उपजाओ योजनान्तर्गत अनुदान का व्यय

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६०–६१ में इटावा जिले में अधिक अन्न उपजाओ योजना को कार्यान्वित करने के लिये उसने कितना रुपया स्वीकृत किया था और उसमें से कितना-कितना रुपया किस-किस महीने में व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय का अधिक अन्न उपजाओ योजना से आशय क्या है। अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न कृषि, सिंचाई, नियोजन, पशुपालन (मत्स्य), आदि सभी विभागों की योजनाओं द्वारा हो रहा है। जिस योजना की जानकारी प्राप्त करना है वह बतलाने पर सूचना दी जा सकेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत जिले को ३ लाख ४० हजार रुपया एलाट किया गया था ? यदि हां, तो उसमें से नवम्बर तक कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक इस अन्न उपजाओ योजना का संबंध है यह पहले चालू हुई थी। १९५७–५८ में भी वह चालू रही। बाद को वह ग्रुप में विभाजित हो गई। सिंचाई का जहां तक ताल्लुक है वह सिंचाई विभाग को चली गई। स्वशासन की स्वशासन विभाग को चली गई और कृषि की कृषि में चली गई। इस तरह से वह ग्रूपिंग में बदल गयी जो कि योजनाओं के अन्दर इनकारपोरेट हो गई है।

* * * *

रेलवे स्टेशन, चुनार से श्रीमती राजपति का अपहरण

*१३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में भैय्यादूज के उपलक्ष्य में अपने भाइयों को मिठाई खिलाने आई हुई एक २५ वर्षीय युवती राजपति चुनार, जिला मिर्जापुर से अपने ससुराल जाते समय चुनार बस स्टैन्ड पर नगर के एक कथित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उसके कुछ उचक्के साथियों क सहयोग से दिन दहाड़े उड़ा दी गई थी ?

श्री चरणसिंह—दिनांक ३१–१०–६० को श्रीमती राजपति के पति ने थाना चुनार पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि चुनार के एक डाक्टर तथा उनके दो साथी वादी की पत्नी को रेलवे स्टेशन चुनार से दिनांक २८–१०–६० को दोपहर के करीब १२ बजे भगा ले गये।

*१४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि वह युवती आज तक लापता है ?

श्री चरणसिंह—सरकार को इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

*१५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गई तथा उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री चरणसिंह—चूंकि संबंधित अपराध धारा ४९८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आता है जो अहस्तक्षेपीय (Non-cognizable) है, इसलिये पुलिस द्वारा इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई।

चालानी मुलजिमों का खर्चा खूराक बढ़ाने की प्रार्थना

*१६—श्री गनेशचन्द काछी (जिला मैनपुरी)—मुलजिमों का थाने से चालान के समय खर्च खूराक के संबंध में क्या सरकार १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि क्या उसने आठ आने की खूराक बढ़ा कर हर जगह १ रुपया कर दी है, या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १४ अगस्त, १९५७ को सरकार ने यह वादा किया था कि थानों से जब मुलजिम चलते हैं तो उनकी खूराक, जो आठ आना है, उसको १ रुपया कर दिया जायगा ? वह नहीं हो सका। क्या सरकार उस पर पुनः विचार करेगी कि वह आठ आना खूराक का बहुत कम है, उसको १ रुपया कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में विचार हुआ किन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण अब इसको बदलना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक कठिनाई का ध्यान रखा जाता है या मुलजिम के भोजन का भी ध्यान रखा जाता है ? सरकार विचार करेगी कि ८ आने में मुलजिम का भोजन नहीं हो पाता है इसलिये उसको १ रुपया किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह निर्णय लेने के पहले इन सब बातों पर विचार किया गया और विचार के बाद यह निर्णय लिया गया। इसलिये अब इसको बदलना सम्भव नहीं मालूम होता।

श्री ऊदल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल पुलिस स्टैंडिंग कमेटी में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ था कि खूराक का ८ आना से बढ़ाकर १२ आना कर दिया जाय और सरकार ने इसको मान लिया था ? यदि हां, तो १ रुपया नहीं, बल्कि १२ आना खूराक करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्टैंडिंग कमेटी में क्या निर्णय हुआ, इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी लेकिन सरकार ने यदि इसको मान लिया होता तो मैं आज यह जवाब हाउस में न देता कि इसको अभी बदलना संभव नहीं है।

* * *

कटाई चौर ग्राम में श्री असनैन शेख के घर कथित डकैती

*२३—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कटाई चौर ग्राम, थाना घोसी जिला आजमगढ़ में गत १३, १४ फरवरी की रात में श्री असनैन शेख के घर पर घातक हथियारों से लैस डाकुओं ने हमला किया, घर वालों को घायल किया और माल लूट ले गये ?

श्री चरण सिंह—दिनांक १३, १४ फरवरी, सन् ६० को श्री असनैन शेख के घर में डकती नहीं पड़ी थी। ६, ७ चोर मकान का दरवाजा खुला पाकर अन्दर घुसे और कुछ माल लेकर भागे। भागते वक्त एक व्यक्ति ने चोर को पकड़ लिया। चोरों ने इस व्यक्ति को एक लाठी मार कर अपने साथी चोर को छुड़ा लिया और सामान लेकर भाग गये।

*२४—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस केस में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—थाने पर धारा ३८०/३२३/२४ भारतीय दंड विधान का अभियोग अंकित किया गया और जांच के पश्चात् मुकदमा चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन है।

* * *

'डीप वाटर पैडी' योजना के अन्तर्गत मैरीटार गांव में भूमि लेना

*२८—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या "डीप वाटर पैडी" योजना के अन्तर्गत गांव मैरीटार, तहसील बांसडीह, जिला बलिया के किसानों की जमीन ली जा रही है ? यदि हां, तो कितने एकड़ और कितने किसानों की कितनी-कितनी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, ५ एकड़ । किसानों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८० पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जिन १५ किसानों की ५ एकड़ जमीन ली जा रही है वह बहुत छोटे-छोटे किसान हैं इसकी जांच सरकार ने करा ली है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि यह बहुत छोटे काश्तकार हैं लेकिन जो जमीन ली गई वह भी बहुत कम है। किसी की .३० है, किसी की .२६ है और किसी की .४ है। गहरा पानी हर जगह नहीं मिलता है। जहां गहरा पानी होगा वहीं पर इसके बारे में अनुसंधान हो सकता है। लिहाजा यह हो सकता है कि वह छोटे काश्तकारों की जमीन हो।

श्री ऊदल—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह छोटी-छोटी जमीन जो किसानों की सरकार ले रही है इन्हीं जमीनों में उक्त गांव के किसान धान का बेहन डालते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके अलावा दूसरी जमीन क्यों नहीं चुनी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह अन्वेषण के कार्यक्रम के लिये जमीन ली गई है और अगर कामयाबी होगी तो उसका प्रसार होगा। इससे और जगह जहां पर पानी भरा रहता है काश्तकारों को प्रोत्साहित किया जायगा कि धान वहां भी उपजाने की कोशिश करें।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों के पास यह जमीन थी वह इस "डीप वाटरपैडी" योजना में जमीन लेने से पहले उसमें कोई खेती करते थे या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—यह जो डीप वाटर पैडी के लिये अन्वेषण चल रहा है और उसके लिये छोटे काश्तकारों की जमीन ली जा रही है, तो जब यह गहरे पानी में होता है तो सरकार किसी तालाब को क्यों नहीं बनाने की कृपा करती ताकि छोटे काश्तकारों की जमीन न ली जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कुछ भ्रम सा मालूम होता है। १५ काश्तकारों की कुल ५ एकड़ जमीन ली गई है जिसके ऊपर यह परीक्षण हो रहा है। कोई ऐसी ज्यादा जमीन नहीं ली गई है।

* * *

थाना जैतीपुर के बड़े दरोगा के विरुद्ध शिकायत

*३२—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कप्तान पुलिस, शाहजहांपुर को फरवरी, १९६१ में कोई ऐसा शिकायती पत्र मिला है जिसमें थाना जैतीपुर के बड़े दरोगा के विरुद्ध पिछले दिनों में होने वाले गांव पंचायतों के चुनावों में ग्राम अगरौली तथा ग्राम जल्लापुर के प्रधानों के चुनाव में एक पक्ष में जबरदस्ती वोट डलवाने की शिकायत की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इस आशय का एक शिकायती-पत्र, दिनांक १ फरवरी, ६१ को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था।

*३३—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायत की जांच की गई किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे जिस व्यक्ति ने यह शिकायत की थी जांच के दौरान में क्या उससे भी जांच पड़ताल की गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच का आशय यही है कि शिकायत करने वाले से जरूर पूछना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उन्हें यह नहीं मालूम था कि जांच किस अधिकारी के द्वारा हुई थी तो किस आधार पर वह कहते हैं कि आरोप करने वाले से बयान लिया गया था?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो यह उत्तर दिया कि जांच का आशय ही यह है कि जिसकी शिकायत हो उससे जरूर पूछना चाहिए

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगरौली ग्राम के जो और प्रमुख व्यक्ति थे उनसे इस बारे में पूछा गया था? जांच करने वाले ने यह जानने की कोशिश की कि पुलिस ने उनके ऊपर वोट देने के लिये प्रभाव डाला था या नहीं?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहुत ब्योरे में जा रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, कोई जांच हुई ही नहीं। कोई वहां जांच करने गया ही नहीं। जो भी रिपोर्ट दी गई वह बाला-बाला दे दी गई, पुलिस के अधिकारियों को बचाने के लिये। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या माननीय मंत्री जी.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें पहले। प्रश्न का उत्तर उन्होंने यह दिया कि जिसने शिकायत की उसके बारे में यह डेफिनिटली नहीं बता सकते कि उससे भी पूछा गया या नहीं, लेकिन एक आम बात यह कह दी कि चूंकि ऐसा पूछा जाता है तो उससे भी पूछा गया होगा।

श्री देवनारायण भारतीय—वास्तविक बात यह है श्रीमन्, वहां जांच हुई ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको यह सूचना किसके द्वारा दी गई है कि इस मामले में जांच कराई गई और यदि ऐसी सूचना वास्तव में मिली है तो क्या वह यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने यह जांच की थी?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि किस अधिकारी ने जांच की उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन कलेक्टर, शाहजहांपुर से यह सूचना मुझे मिली है कि जांच के बाद यह पाया गया कि जो आरोप लगाये हैं वह सत्य नहीं हैं और वह सज्जन जिन्होंने शिकायत की है वह झगड़ा करना चाहते थे जिससे कि किसी तरह चुनाव स्थगित हो जाय।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्त देने वाले से भी पूछताछ की जाती है, इस शिकायती दरख्वास्त के सिलसिले में उससे पूछतांछ की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उनको मालूम नहीं, यह तो साफ बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि उनको यह नहीं पता है कि जांच किसने की, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर मंत्री जी को यह कहने का साहस हुआ कि आरोप निराधार पाये गये ?

श्री अध्यक्ष—कलेक्टर की रिपोर्ट पर, यह उन्होंने बताया।

* * *

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन के अनुमानित आंकड़े

*३७—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती वहां मुख्य फसलों का उत्पादन अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है तथा इस प्रकार के क्षेत्र कहां-कहां कौन-कौन से हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जहां से कृषि संबंधी आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती है, निम्नलिखित है:—

१—जिला अल्मोड़ा	पूर्ण
२—जिला गढ़वाल	”
३—जिला टेहरी गढ़वाल	”
४—जिला पिथौरागढ़	”
५—जिला चमोली	”
६—जिला उत्तरकाशी	”
७—जिला देहरादून में तहसील चकराता	”
८—जिला नैनीताल में तहसील नैनीताल	”

इन क्षेत्रों में जिलाधीश स्थानीय सूचना के आधार पर क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आंकड़ों का अनुमान निकाल कर राजस्व परिषद को भेजते हैं। इन्हीं अनुमानों को फसलों के प्राक्कलनों (estimates) में सम्मिलित किया जाता है।

*३८—**श्री रामहेतसिंह**—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास फसल संबंधी भविष्यवाणियां करने के क्या साधन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—फसल संबंधी प्राक्कलनों का कार्य निम्नलिखित विभाग तथा कर्मचारीगण करते हैं :—

(अ) प्रादेशिक स्तर पर :—
- (१) कृषि निदेशकालय का सांख्यिकीय उप-विभाग।
- (२) राजस्व परिषद का खंड ७।

(आ) जिले के स्तर पर :—
- जिलाधीश (सदर कानूनगो द्वारा)।

(इ) तहसील के स्तर पर:—
- (१) तहसीलदार (रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा)।
- (२) अपने-अपने हल्के में सुपरवाइजर कानूनगो।

(ई) गांव के स्तर पर:—
- (१) अपने-अपने हल्के में लेखपाल।
- (२) क्राप रिपोर्टर।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इन आंकड़ों से जो अनुमान के आधार पर भेजे जाते हैं, पूर्णतया संतुष्ट है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह कहना कि सरकार संतुष्ट है या नहीं यह विषय तो इस दृष्टि से देखा जायगा कि क्या संभव हो सकता है ? क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं कि हम इन आंकड़ों को इससे बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। वैसे तो जो तरीके इस वक्त हैं वे ज्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी ऐसे नहीं हैं कि जिनमें हम इस से ज्यादा अच्छे तरीके अपना सकें। कुछ फसलों के बारे में रैण्डम सेम्पलिंग होती है। लेकिन पूरे तरीके से हम उसको अपना नहीं सके हैं। ताकि हम सब फसलों के लिये उसको इस्तेमाल कर सकें।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशकालय के पास कोई अपने साधन हैं या लेखापालों द्वारा नीचे से भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर ही यह भविष्यवाणियां की जाती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—रैण्डम सेम्पलिंग द्वारा भी की जाती हैं।

हरदोई में भगाई गयी नाबालिग लड़की की बरामदगी

*३९—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई शहर में मार्च, १९६१ में कितनी नाबालिग लड़कियां भगाई हुई बरामद की गईं ?

श्री चरणसिंह—२५-३-६१ को एक भगाई हुई नाबालिग लड़की हरदोई शहर में बरामद हुई थी।

*४०—**श्री मन्नालाल** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनके यहां भगाई हुई लड़कियां बरामद की गई हैं उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो गिरफ्तार न करने का क्या कारण था

श्री चरणसिंह—अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

* * * *

कम्पोस्ट बनाने वाली नगरपालिकाएं

*५३—**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में प्राइवेट घरों के कूड़े-मैले से कम्पोस्ट बनाया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन नगरपालिकाओं की सूची जो कम्पोस्ट बनाती हैं संलग्न है। वह क्षेत्र के सभी कूड़े मैले का प्रयोग करती है प्राइवेट घरों का कूड़ा व मैला व जनमार्ग अथवा शौचालय के कूड़े मैले का अलग-अलग हिसाब नहीं रक्खा जाता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में कम्पोस्ट बनाया जाता है वहां पर कोई विशेष कर्मचारी कम्पोस्ट बनाता है या वहां के मेहतर ही बनाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं के नाम इस सूची में हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं कि जहां पर वहां का कूड़ा, मैला वहां की नगरपालिकाएं ठेकेदारों के हाथ बेच देती हैं और ठेकेदार पुनः उसे वहां के मेहतरों के हाथ बेचते हैं और मेहतर कम्पोस्ट बना कर उसे काश्तकारों के हाथ बेचते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पूरे तरीके की जानकारी मुझे नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये उन नगरपालिकाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जहां यह कंपोस्ट खाद बनती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनकी संख्या ३६२ है, जहां पर कम्पोस्ट खाद बनती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि इस कूड़े और मैले से जो कम्पोस्ट खाद बनती है उसके बेचने के लिये उसके बीच में जो ठेकेदार लोग आते हैं, इस प्रथा को समाप्त करके इसको बेचने का हक सीधे वहां की सफाई करने वाले मेहतरों को ही दे दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा संभव नहीं है, और न ऐसा विचार ही है। जो मौजूदा विधि है वही अच्छी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो नगरपालिकायें इस खाद को बनाती हैं, क्या सरकार उनके लिये कोई विशेष अनुदान भी देती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सरकार कोई अनुदान नहीं देती।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नगीना, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर आदि कितने ऐसे जिले हैं जहां मेहतर लोग इस तरह की खाद को बनाते हैं, लेकिन उसका आधा पैसा वहां की नगरपालिकायें ले लेती हैं और जब से इस संबंध में एक विधेयक पास हुआ है तब से यह हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं इस प्रश्न का उत्तर तो कृषि विभाग की ओर से दे रहा हूं, इस प्रश्न का जहां तक संबंध है वह तो नगरपालिका से संबंध रखता है और नगरपालिका विभाग के मंत्री ही उसका यथोचित उत्तर दे सकते हैं। मेरे लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

नन्दगंज में 'आज' के सम्वाददाता श्री ऋषिकेश शर्मा पर प्रहार

*५४---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़), **श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर), **श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री विश्राम राय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ३ अप्रैल, १९६१ को गाजीपुर जिले के अन्तर्गत नन्दगंज में, "आज" समाचार-पत्र के सम्वाददाता पर गुन्डों द्वारा प्रहार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसके द्वारा लिखाई गयी और इस घटना की जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। पत्र के सम्वाददाता श्री ऋषिकेश शर्मा व उनके भाई पर कुछ व्यक्तियों ने प्रहार किया था। संवाददाता ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी और सर्किल इंसपेक्टर द्वारा इस मामले में जांच कराई गई।

*५५---**श्री चन्द्र जीतयादव, श्री रघुवीरराम, श्री यमुनासिंह तथा श्री विश्राम राय**---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह घटना थाने के निकट ही हुई और मौके पर पुलिस काफी देर तक नहीं पहुंची ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह घटना थाने से लगभग डेढ़ फर्लांग पर नन्दगंज बाजार में हुई थी। जब इसकी रिपोर्ट लिखाई गई तो थाने पर हेड मुहर्रिर व सन्तरी मौजूद थे जो थाने को छोड़ कर नहीं जा सकते थे। रात में एस०ओ० के वापस आने पर जांच प्रारम्भ की गई और वे मौके पर गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शर्मा जी ने जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई थी इस घटना के संबंध में, उसमें यह आरोप भी लगाये थे कि चूंकि जिला चकबन्दी अधिकारी आदि की धांधली के विरोध में वे लेख लिखते रहे हैं, इसलिये उन लोगों ने गुन्डों की सहायता से उनके ऊपर प्रहार करवाया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—रिपोर्ट में चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ यह बात लिखाई है या नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चकबन्दी के ए०सी०ओ० और पेशकार थे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गयी और वह लोग स्वयं हाजिर भी अदालत में हुये और दो आदमी गिरफ्तार हुये। जिलाधीश ने ए०सी०ओ० से जवाब भी मांगा है, चूंकि जांच के दौरान के बीच में यह मालूम हुआ कि इनका संबंध ए०सी०ओ० से कुछ रुपये पैसे के सिलसिले में था। सरकारी आदमी होने के नाते यह चीज गलत है। इसलिये उनसे जवाब मांगा गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब श्रीमन्, मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि ए०सी०ओ० और पेशकार स्वयं अदालत में हाजिर हो चुके हैं और जिनके खिलाफ जांच भी हो रही है, उनके खिलाफ वैभागिक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव—अदालत में वे हाजिर हो गये थे और उनके खिलाफ जमानत ले ली गयी है। जिलाधीश ने ए०सी०ओ० और पेशकार से जवाब मांगा है और उनका जवाब आ गया है। उस जवाब से जिलाधीश भी संतुष्ट नहीं हैं और उचित कार्यवाही जो भी वे समझते हैं, वह की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या सरकार को मालूम है कि जिलाधीश ने जो जांच की थी उसमें यह सिफारिश की थी कि ए०सी०ओ० को मुअत्तल कर दिया जाय, लेकिन उसका तबादला कर दिया गया, यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—उसका तबादला तो कर ही दिया गया है।

श्री रघुवीरराम—क्या गृहमंत्री बतायेंगे कि नन्दगांव से, थाने से ३ फर्लांग दूरी पर जो ऋषिकेश शर्मा और उनके भाई पर मार पड़ी थी और थाने की पुलिस वहां नहीं पहुंची इसका क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां पर एस०ओ० और सहायक स्टेशन आफिसर मौजूद नहीं थे, हेड मुहर्रिर और संतरी था। हेड मुहर्रिर थाना नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वहां रहना आवश्यक था और संतरी चूंकि वहां शस्त्र रखे थे इसलिए उनकी रक्षा के लिये उनका रहना जरूरी था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 'आज' के सम्वाददाता ने मार पड़ने के संबंध में क्या रिपोर्ट लिखाई है कि उनके ऊपर गुंडों द्वारा प्रहार क्यों किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने रिपोर्ट तो १४७, १४८, १४९, २२३, ३२४, मार-पीट वगैरह सभी की दर्ज करायी है और सबकी जांच हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस घटना के बाद पूर्वी जिलों के पत्रकार संघ ने सरकार के पास इस विशेष घटना का उल्लेख करते हुये क्या कोई प्रस्ताव पास करके भेजा है कि पूर्वी जिलों में पत्रकार और संवाददाताओं के ऊपर इस तरह के प्रहार इसलिये किये जा रहे हैं क्योंकि वह सरकारी अफसरों की धांधलियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही सरकार ने की जिससे पूर्वी जिलों में निष्पक्ष रूप से अपने समाचार दिये जा सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में नोटिस की आवश्यकता होगी कि क्या-क्या सरकार को इस तरह की शिकायतें लिखी गयी हैं ।

मैकू, निवासी रूपुर का पुरवा, की मिश्रिख थाने में मृत्यु

*५६—**श्री मोतीलाल अवस्थी** तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के मिश्रिख थाने में नवम्बर, १९६० के द्वितीय सप्ताह में मैकू, निवासी रूपुर का पुरवा को पकड़ कर थाना मिश्रिख लाया गया और उसे थाने में इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गयी जिसकी सूचना पुलिस कप्तान, सीतापुर को मिलने पर पुलिस कप्तान, सीतापुर ने किसी मजिस्ट्रेट को मौके की जांच के लिये भेजा ? यदि हां, तो मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक ९ अक्तूबर, १९६० की रात को ककरहिया गांव के कुछ ग्रामवासियों ने उक्त मैकू को, जो एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के लिये गया था भागते समय पकड़ कर पीटा और उसी रात को उसे मिश्रिख थाने पर ले गये। पकड़ते समय शदीद चोटें आने के फलस्वरूप थाने पर उसी रात को उसकी मृत्यु हो गई ।

एस०डी०एम० ने इस मामले की जांच की और इस नतीजे पर पहुंचे कि अभियुक्त मैकू की मृत्यु के संबंध में पुलिस का कोई दोष नहीं था। मौके पर ग्रामीणों द्वारा पीटे जाने के फलस्वरूप उत्पन्न चोटों के कारण मृत्यु होना पाया गया ।

*५७—**श्री मोतीलाल अवस्थी** तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस लाश का पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

मृतक की लाश का पोस्टमार्टम किया गया था । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—एस० डी० एम० की रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है कि गांव वालों की चोटों से मैकू की मृत्यु हुई, तो क्या उन्होंने मुकाम ककरहिया पर जांच की और गांव वालों के बयान लिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांव वालों के बयान तो लिये थे, लेकिन गांव में जा कर लिये थे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर और इंचार्ज वेटरिनरी हास्पिटल जो कि एस० ओ० के यहां दावत के सिलसिले में आये हुये थे, उनसे भी जानकारी हासिल की थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब गांव से वह आदमी पकड़ कर लाया गया तो उसको इतनी गहरी चोटें गांव में कैसे आ गयीं और कैसे वह उस दशा में पैदल आ गया, क्या रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दो मील के फासले पर थाने से सुना है कि वह लाया गया। वह कैसे लाया गया उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—थाने में उसकी आमद किस वक्त दिखलायी गयी और मृत्यु कितने वक्त के बाद हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव—रात को १२.३५ पर गांव वाले उसको लेकर पहुंचे थे और एक बज कर १० मिनट पर उसकी मृत्य हो गयी। डाइंग डिक्लेरेशन के लिये १२.५० पर तहसीलदार पहुंच गये थे लेकिन बेहोशी के कारण वह नहीं हो सका। एक बजे डाक्टर भी पहुंच गये थे। उन्होंने दवाई और इंजेक्शन दिये, लेकिन जान नहीं बच सकी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो दो सज्जन दावत में आये थे जिनके बयानों के आधार पर रिपोर्ट लिखी गई, क्या गांव के आदमी जिनके, बताया जाता है, कि बयान लिये गये, वह भी दावत में आये थे?

श्री रामस्वरूप यादव—उसको पकड़कर लाये थे १२.३५ मिनट पर रात में, उस वक्त दावत नहीं थी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैकू थाने में जिन्दा आया था या बेहोशी की हालत में आया था और वह स्वयं पैदल चलकर आया था या किसी सवारी द्वारा लाया गया था?

श्री अध्यक्ष—पहला सवाल आप का गड़बड़ है।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, वह कहते हैं कि गांव में पीटा गया, मेरा कहना है थाने में लाकर पीटा गया. . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप जानना चाहते हैं कि जिन्दा लाया गया था या बेहोशी की हालत में। तो वह बेहोशी में भी जिन्दा रह सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा मतलब यही है कि वह बेहोश था या नहीं।

श्री रामस्वरूप यादव—१२.३५ पर वह लाया गया था। किस सवारी से लाया गया इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। यह कहना कि वह होश में था या नहीं, इस समय मुश्किल है, लेकिन १२.५० पर जब तहसीलदार डाइंग डेक्लेरेश के लिये आये, उस वक्त बेहोश था, इस काबिल नहीं था कि बयान दे सके।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब एस० डी० ओ० ने इस घटना की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गांव वालों की मार के फलस्वरूप उसकी मृत्य हुई तो किस कारण से उसको मारा गया और जिन्होंने मारा क्या उनके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध बनता है और क्या उसके मुताबिक कोई कार्यवाही हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर में ही निवेदन किया है कि घर के अन्दर एक शख्स के यहां घुस गया, वहां वह पकड़ा गया और मारा गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह चोर थाने में पकड़कर लाया गया तो कुछ माल भी उसके साथ लाया गया या यों ही चोर बना दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—माल तो उसके पास नहीं पकड़ा गया।

मेहरावां रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, श्री राम प्रकाश शर्मा की हत्या

*५८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित), श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सही है कि जिला जौनपुर के मेहरावां स्टेशन, नार्दन रेलवे के स्टेशन मास्टर, श्री राम प्रकाश की दिनांक २८ मार्च, की रात को एकाएक हत्या कर दी गई? अगर हां, तो क्या अब तक मारने वालों का या मौत के कारण का कोई पता चला है और वह कौन तथा क्या-क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। मेहरावां स्टेशन के असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर की हत्या हुई थी। मारने वालों का अभी कोई पता नहीं चला। मौत का कारण पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार खोपड़ी में फ्रैक्चर हो जाने के कारण हुआ आघात तथा रक्तस्राव (shock and hamorrhage as a result of fracture of skull) है। जांच जारी है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक सरकारी मुलाजिम की मृत्यु की जांच के बाद अब तक चार्जशीट क्यों नहीं भेजी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच हो रही है। उस के बाद पता चल जायगा कि मर्डर का मोटिव क्या था और किसने कत्ल किया था। उसके बाद ही चार्जशीट भेजी जा सकती है। एहतियातन यह भी आर्डर्स दे दिये गये हैं कि सी० आई० डी० से भी इसकी जानकारी करा ली जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टेशन मास्टर की लाश कहां मिली थी, रेलवे लाइन पर या कहीं दूसरी जगह?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री रामप्रकाश शर्मा, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, मेहरावां की लाश उस वक्त स्टेशन के टोकेन ब्रैकेट पोस्ट के नजदीक पाई गई।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कौन पुलिस के अफसर जांच कर रहे हैं और वह मेहरावां अभी तक कितनी बार जांच के लिये गये हैं?

श्री रास्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि सी० आई० डी० भी जांच कर रही है और कायदा यही है कि पुलिस स्टेशन इन्चार्ज स्वयं जांच करे। लेकिन इस विषय में अभी काफ़ी शहादत नहीं मिली है। पुलिस परसू कर रही है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मृतक राज-कर्मचारी ने पुलिस को इत्तला दी थी कि कुछ व्यक्ति उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई रिपोर्ट पहले नहीं की गई। थोड़े ही दिन पहले उसकी वहां नियुक्ति हुई थी। वह अविवाहित युवक था।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी बतावेंगे कि उस स्टेशन मास्टर के आचरण पर कोई आरोप लगाया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त तक की सूचना तो ऐसी नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खोपड़ी का फ्रैक्चर मोथरे आले से हुआ है या तेज धार के आले से?

श्री रामस्वरूप यादव—खोपड़ी में फ्रैक्चर शाक के कारण था। हत्या तेज धारदार अस्त्र से की गई।

* * * *

हरदोई जिले में कत्ल व डकैतियां

*६४—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदोई जिले में १९५९–१९६० व १ जनवरी, १९६१ से २० मार्च, १९६१ तक कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—हरदोई जिले में १९५९ में २३, १९६० में ३५ व १ जनवरी, १९६१ से २० मार्च, १९६१ तक १५ डकैतियों की रिपोर्ट हुई।

*६५—श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कितनी डकैतियों में सजा हो गई, कितनों में मुकदमे चल रहे हैं व कितने मामले छूट गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८१ पर)

*६६—श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदोई जिले में १९५८, १९५९ व १९६० में कितने कत्ल हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५८ में ५२, १९५९ व १९६० में ४२–४२ कत्ल की घटनाओं की रिपोर्ट हुई।

श्री चन्द्रहास मिश्र—हरदोई जिले में डकैतियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जितनी पुलिस जरूरी है उतनी रखी गई है। हरदोई जिला तो इस बात में पहले से मशहूर है।

श्री चन्द्रहास मिश्र—तालिका से पता चलता है कि सन् १९५९ में २३ डकैतियों में से १५ में मुकदमे चले जो छूट गये और कुछ चलाये नहीं गये, इसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मुकदमों का छूटना तो शहादत पर निर्भर करता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हरदोई जिले के अधिक जरायम को देखते हुये क्या सरकार वहां कोई ऐसा एस० पी० भेजने की कृपा करेगी जो वहां का काम ठीक कर सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसी दृष्टि से वहां भेजे जाते हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि हरदोई की जनता की ओर से कई बार शिकायतें आईं कि वहां डकैतियों को चोरी की रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—बहुत से जिलों से ऐसी शिकायतें आती हैं लेकिन सरकार के आदेश यही हैं कि ऐसा न किया जाय।

घाघराघाट जूट फार्म का आय-व्यय

*६७—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाघराघाट, जिला बहराइच में जो सरकारी जूट का फार्म है वह किस सन् से चल रहा है और आज तक उसमें कुल कितनी पूंजी लगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—घाघराघाट जूट फार्म की स्थापना सन् १९४९ में हुई थी। इस फार्म पर स्थापना से १९५९–६० तक १,[illegible]५,७०६ रुपया व्यय हुआ है। सन् १९६०–६१ के खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

*६८--श्री बलदेवसिंह--उपर्युक्त फार्म में १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में वार्षिक आमदनी और खर्च क्या रहा ?

श्री रामस्वरूप यादव--वांछित आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है :--

वर्ष	आय	व्यय
	रु०	रु०
१९५८-५९	५२,६७६	७४,८२१
१९५९-६०	४४,३९०	६३,७७५
१९६०-६१	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।	

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि इस फार्म में हर साल घाटा होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह व्यापारिक फार्म नहीं है । इसमें जूट का अच्छा सीड पैदा करने की रिसर्च और परीक्षण का कार्य होता है ।

श्री बलदेवसिंह--क्या मन्त्री जी इस फार्म की जमीन भूमिहीनों को देंगे ताकि सरकार घाटे से बच जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--वहां इम्प्रूव्ड सीड और टेक्नीक का काम होता है और वह कामर्शल फार्म नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जब इम्प्रूव्ड वेराइटी का काम होता है तो घाटा क्यों होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने बताया कि कामर्शल दृष्टि से वह फ़ार्म नहीं चल रहा है कि इसमें लाभ ही होना चाहिये ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--अभी तक कितने व्यक्तियों को वहां जूट की टेक्नीक में परीक्षण दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--इस फार्म का एक उद्देश्य यह भी था कि हमारे प्रदेश के जलवायु और मिट्टी के अनुसार कहां-कहां अधिक जूट की खेती हो सकती है यह देखा जाय, तो इसमें सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह दूसरा ही विषय है कि प्रदेश के और किन भागों में जूट की खेती हो सकती है ।

हमीरपुर तहसील में कत्ल व डकैतियां

*६९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हमीरपुर , जिला हमीरपुर में १ मार्च से २३ मार्च, १९६१ के बीच में किस-किस तारीख में किस थाने के किस ग्राम में कितनी हत्यायें की गईं और कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चरणसिंह--इस अवधि में दिनांक १३-३-६१ को हमीरपुर नगर में थाना कोतवाली के अन्तर्गत एक हत्या की गई तथा दिनांक १२/१३-३-६१ की सुमेरपुर थाने के कलौलीजार ग्राम में एक डकैती पड़ी।

मोहम्मदी तहसील में बन्दूकों व रिवाल्वरों के लाइसेन्स

*७०--**श्री मन्नालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, तहसील मोहम्मदी में जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६१ तक कितने गन लाइसेंस तथा रिवाल्वर लाइसेंस दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस अवधि में ८० बन्दूकों तथा ४ रिवाल्वरों के लाइसेंस दिए गए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार को २, ३ दिन पहले के बिहार सरकार के इस निर्णय का पता है कि उसने हर गांव में बन्दूक देने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह इस प्रकार की व्यवस्था यहां भी करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सरकार की भी यही नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बन्दूक के दिये जावें जहां लोग विश्वसनीय हैं और उनकी ऐसी स्थिति हो। ऐसे आदेश भी हैं।

जेठवारा थाने में नकबजनी की रिपोर्ट न लिखने की शिकायत

*७१--**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)--क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जेठवारा थाना, जिला प्रतापगढ़ से सम्बन्धित कोई ऐसी शिकयत पिछले ६ महीनों में आई है कि उपर्युक्त थाने पर नकबजनी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, गत छः माह में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

*७२--**श्री रामकिंकर**--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

* * *

मेडिकल कालेज होस्टल लखनऊ में कथित हत्या

*७५--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको किंग जार्ज मेडिकल कालेज होस्टल में तारीख ८-९ फरवरी, १९६१ की रात्रि को किसी कत्ल की घटना के सम्बन्ध में सहारनपुर के निवासियों का १८ मार्च, १९६१ का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीचरणसिंह--जी नहीं, सहारनपुर के निवासियों का दिनांक १८-३-६१ का ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

* * *

खीरी जिले में शराब की दूकानों से कान्स्टेबिलों की बन्दूकों की चोरी

*८५--**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला खीरी में दो पुलिस कान्स्टेबिलों की बन्दूकें मार्च, १९६१ में शराब की दूकान पर से चुरा ली गई हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

* * *

नोट--तारांकित प्रश्न ७० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्वालियर जेल से आगरा जाने वाले आत्मसमर्पणकारी डाकुओं की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उसके पास इस आशय की शिकायत आई है कि २१ फरवरी, १९६१ को या उसके आस-पास ग्वालियर जेल से आगरा जाने वाले आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के साथ मारपीट की गई ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—उक्त डाकुओं ने एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र जिलाधीश को इस आशय का भेजा था। उसकी एक प्रति डी० आई० जी०, आगरा रेंज को भी भेजी गई थी। डी० आई० जी० ने उक्त पत्र में उल्लिखित पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के बारे में जांच की। जांच के आरोप सही नहीं पाए गए।

* * *

पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े

*९७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) तथा श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े हुये और कहां-कहां इन झगड़ों में बन्दूकें चलीं तथा कितने आदमी हताहत हुये ?

*९८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन झगड़ों के होने की क्या कुछ पहले से ही सम्भावना थी ? यदि हां, तो इनकी रोक-थाम के लिये क्या एहतियाती कार्यवाही की गई थी ?

*९९—क्या जो बन्दूकें इस्तेमाल हुई हैं वे लाइसेंस होल्डर्स की बन्दूकें थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गाजीपुर, बस्ती, अल्मोड़ा, मुरादाबाद, तथा मैनपुरी जिलों से अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

पहिले से केवल कुछ स्थानों पर झगड़ों के होने की सम्भावना थी। इसके लिये पुलिस का यथेष्ट प्रबन्ध किया गया था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८२ पर)

करमपुर हत्याकांड के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*१००—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि १७-१८ दिसम्बर, १९६० की रात को फैजाबाद के गोसाईगंज थाने के अन्तर्गत गांव करमपुर के अहिवरन सिंह तथा उनके परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

*१०१—क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

दिनांक १८-१२-६० को थाने पर उक्त घटना की सूचना मिलने पर धारा ३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम करके अनुसंधान किया गया। ६ व्यक्तियों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया जिनमें से धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत ३ अभियुक्तों का चालान किया गया। २ अभियुक्तों का चालान धारा २१२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत किया गया। शेष १ अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण उसे छोड़ देने की सिफारिश की जा रही है। यह मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

* * *

अमिला ग्राम की कथित डकैती

*१०५—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या २५ अक्तूबर, १९६० को रात को ग्राम अमिला, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में पठान टोली मुहल्ले में श्री शमी खां के घर पर १०–१५ डाकुओं ने घातक हथियारों के साथ डाका डाला ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

*१०६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस डाके के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और उसके क्या परिणाम हुये ?

श्री चरणसिंह—डाका न पड़ने के कारण कोई कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

* * *

अछरौड़ा ग्राम में कांस्टेबिल का पीटा जाना

*१०९—श्री रामशरण यादव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८/१९ मार्च की रात्रि को ग्राम अछरोड़ा, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद में कुछ पुलिस अधिकारियों को बुरी तरह पीटा गया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके द्वारा ?

श्री चरणसिंह—१८/१९ मार्च की रात को नहीं बल्कि १६/१७ मार्च की रात को उक्त ग्राम में एक पुलिस कांस्टेबिल को पीटा गया।

उक्त कांस्टेबिल तामील सम्मन व अन्य कार्य के लिये अपने क्षेत्र की ओर गया था। वहां उसे पता चला कि रघुनाथ व हेतराम, ग्राम अछरौड़ा में शराब खींच रहे हैं। कांस्टेबिल कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा और उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जिसके फलस्वरूप उन दोनों अभियुक्तों एवं खान सहाय, सूरज सहाय, अली अहमद, तोता, रामदीन, निरंजन, सरनाम, मैकू, प्यारे, कस्तूरी, महादेव व शिवशंकर ने कांस्टेबिल पर आक्रमण करके उसे पीटा।

*११०—श्री रामशरण यादव—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त घटना के सम्बन्ध में १८–१९ मार्च, १९६१ को रात्रि को कुछ पुलिस अधिकारी ग्राम भूड़नगरिया, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में जबरदस्ती गिरफ्तार कर रखे गये थे ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों द्वारा ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—उपरोक्त कांस्टेबिल को उपरोक्त व्यक्तियों ने ही रस्सी से बांधा और ग्राम भूड़नगरिया ले गये जहां उसे एक कोठरी में बन्द रखा गया। इस संबंध में धारा १४७/२२४/२२५/३५३/३४२/३८४ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया। २१ अभियुक्त इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच अभी जारी है।

लुहारी ग्राम के निकट शव मिलना तथा थानेदार समथर के यहां चोरी

*१११—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अभी हाल ही में एक व्यक्ति ग्राम साकेत व लुहारी तहसील मौठ (झांसी) के बीच में कत्ल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और उसकी लाश का सर किसने कब उठाया था ?

श्री चरणसिंह--दिनांक १६-३-६१ को ग्राम लुहारी की नहर के निकट एक व्यक्ति का बिना सिर व एक हाथ का शव पड़ा मिला। शव थाना समथर के थानाध्यक्ष तथा ३ कान्सटेबिलों द्वारा उठवाया गया था।

*११२--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त ग्रामों के समीप जो आर्म्ड पुलिस की चौकी थी वह अभी हाल ही में तोड़ दी गई है? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री चरणसिंह--ग्राम लुहारी में जो सशस्त्र गार्ड तैनात थी वह दिनांक १६ मार्च, १९६१ से समथर थाने में अस्थाई रूप से भेज दी गई है, क्योंकि यह उचित समझा गया कि यह गार्ड वहां से सुचारु-रूप से देखभाल कर सकेगी।

*११३--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार को पता है कि नोटीफाइड एरिया, समथर, तहसील मौठ (झांसी) के थाने की इमारत से सम्बन्धित क्वार्टर से १८ मार्च, १९६१ को एक सब-इन्स्पेक्टर पुलिस की लगभग बाईस हजार रुपये की सम्पत्ति चोरी चली गयी ?

श्री चरणसिंह--दिनांक १७/१८-३-६१ की रात्रि को चोरी की ऐसी घटना अवश्य हुई जिसमें १२,५०६ रु० का माल चोरी गया था।

* * *

बाराबंकी जिले में डकैतियां तथा रुदौली की बारात में गड़बड़ी

*११८--**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी, १९६१ में रुदौली, जिला बाराबंकी में गुण्डों द्वारा एक बारात लूटी गई थी ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--बारात लूटने की तो कोई घटना नहीं हुई थी परन्तु दिनांक १७-२-६१ को कस्बा रुदौली में एक बारात पर कुछ व्यक्तियों द्वारा ईंटें फेंके जाने व भीड़ में गड़-बड़ होने के कारण एक सोने की जंजीर व ऊनी चादर के गायब होने की रिपोर्ट थाने पर लिखाई गई जो धारा १४७/३३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं और मामले में जांच की जा रही है।

*११९--**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६१ तक बाराबंकी जिले में किन-किन स्थानों पर और किन-किन तिथियों में कितनी डकैतियां पड़ीं और उनमें जन-धन की कितनी हानि हुई तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८३-५८४ पर)

* * *

अन्देशनगर तथा मंझरा फार्म में परती जमीन

*१२३--**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के अन्देशनगर फार्म और मंझरा फार्म में कितनी जमीन अभी तोड़ने वाली परती पड़ी है ?

श्री चरणसिंह--अन्देशनगर फार्म में ३५.१० एकड़ भूमि तथा मंझरा फार्म पर २६५.५० एकड़ भूमि परती पड़ी है। यह भूमि उक्त फार्मों के पशुओं के चरागाह के लिये उपयोग में लाई जाती है और इसका तोड़ना हितकर नहीं है।

उन्नाव जिले में इन्देमऊ की डकैती तथा तकिया स्टेशन लूटने का प्रयत्न

*१२४--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला उन्नाव के थाना बारा सगवर के ग्राम इन्देमऊ में इस माह में कोई ऐसी डकैती पड़ी है जिसमें ग्राम सेवक तथा ३ घरों को लूटा गया है ?

श्री चरणसिंह--जी हां। दिनांक १६/१७ मार्च, १९६१ को ग्राम नया खेड़ा मजरा इन्देमऊ में ऐसी डकैती पड़ी थी।

*१२५--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला उन्नाव के थाना बिहार के ग्राम गोसीखेड़ा में इस माह में कोई ऐसी डकैती पड़ी है जिसमें डाकुओं ने गांव में पहरा देने वालों को एक मकान के एक कमरे में बन्द कर ग्राम के अधिकांश घरों को लूटा है ?

श्री चरणसिंह--ग्राम गोसीखेड़ा में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यह ग्राम थाना बिहार में नहीं किन्तु थाना बारासगवर में है।

*१२६--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के थाना बिहार के स्टेशन तकिया को डाकुओं ने गत २१, २२ मार्च को या इसी माह की किसी अन्य तारीख को लूटने का असफल प्रयत्न किया और ड्यूटी पर के सहायक स्टेशन मास्टर को लूटा है ?

श्री चरणसिंह--जी हां। सहायक स्टेशन मास्टर तथा प्वाइन्ट्स मैन से कुछ सामान लूटा गया।

* * *

शाहजहांपुर जिले में बाग लगाने के लिये दिया गया धन

*१२८--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में १९५८ व १९५९ में बाग लगाने के वास्ते कितना रुपया दिया गया और क्या यह सरकार को ज्ञात है कि उन व्यक्तियों ने अभी तक कितने क्षेत्र में बाग लगाये हैं ?

श्री चरणसिंह--वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में ५०.७९ एकड़ बाग लगाने के लिये चार व्यक्तियों को १५,२३८ रुपये दिये गये। इन लोगों ने इस रुपये से ५२.५ एकड़ में बाग लगा लिया है।

वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में इस कार्य के लिये ६ व्यक्तियों को ५३ एकड़ में बाग लगाने के लिये १५,९०० रुपये दिये गये। इन व्यक्तियों ने अभी तक ४०.७ एकड़ भूमि में ही बाग लगाया है।

इटावा जिले में डकैतियां व कत्ल

*१२९--श्री मेहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत १९५८, १९५९ व १९६० में प्रति वर्ष कितनी डकैतियां व कत्ल हुये हैं ?

*१३०--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उनमें कितने मुकदमे चलाये गये और कितने फैसले हो चुके हैं और कितने बकाया हैं ?

*१३१--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कैसल मुकदमों में कितने कामयाब हुये और कितने मुकदमे नाकामयाब हुये हैं ?

* * *

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

* * *

शाहजहांपुर जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*१३६--**श्री हरदयालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में १ जनवरी, १९६१ से २९ मार्च, १९६१ तक कितनी डाकाजनी, राहजनी, चोरी तथा कत्ल हुये ?

श्री चरणसिंह--उक्त अवधि में जिला शाजहांपुर में डकैती की १३, राहजनी की १२, चोरी की १६१ तथा कत्ल की १६ घटनायें हुईं।

*१३७--**श्री हरदयालसिंह**--उपर्युक्त कितनी घटनाओं में अपराधी गिरफ्तार हो कर वैधानिक कार्यवाही के हेतु जेल भेजे गये ?

श्री चरणसिंह--वैधानिक कार्यवाही के बाद चालान हुए डकैती के २, राहजनी के ४, चोरी के २८ तथा कत्ल के ६ मामलों में अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल भेजे गये।

*१३८--**श्री हरदयालसिंह**--क्या सरकार उन घटनाओं को बताने की कृपा करेगी जिनमें पुलिस अपराधियों का अब तक पता नहीं लगा सकी है ?

श्री चरणसिंह--राहजनी की १, चोरी की ७४ तथा कत्ल की १ घटनाओं में अपराधियों का पता नहीं लग सका।

जास्वा में पुलिस की ज्यादती, आजमगढ़ में बुलबुल साहू के घर कथित डकैती तथा रोहनियां के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*१३९--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ३ व ४ मार्च के बीच की रात्रि में जिला बुलन्दशहर के ग्राम जास्वा में जारूवा पुलिस चौकी के दीवान, तीन सिपाहियों तथा कुछ गुंडों के साथ रात्रि १०॥ बजे घरों में घुसे और लोगों को पीटा जिनमें कई स्त्रियां तथा एक ५ दिन की जच्चा स्त्री भी थी ?

*१४०--क्या यह भी सही है कि पुलिस वाले गांव के दो नौजवानों को दादरी थाने को घसीट ले गये और उन्हें वहां बहुत पीटा ?

श्री चरणसिंह--श्री पन्ना आदि ने एक शिकायती-पत्र जिलाधीश को दिया जिसमें हैड कांस्टेबिल व तीन सिपाहियों पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने आदमियों व स्त्रियों को पीटा और मारते-पीटते थाना दादरी ले गए जहां दो व्यक्तियों को बन्द कर दिया। इसकी जांच डी० एस० पी० कन्सलेन्ट्स को दी गई। परन्तु इस विषय पर अदालत में इस्तगासा दायर हो जाने के कारण जांच पूरी न की जा सकी।

*१४१--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान मार्च के प्रथम सप्ताह में मुहल्ला फरासटोला, आजमगढ़ के बुलबुल साहू के घर मर्दों की अनुपस्थिति में सुबह ८ बजे डाका पड़ा और बहुत माल लूटा गया जिसके सम्बन्ध में गृह-स्वामिनी की रिपोर्ट पुलिस वालों ने गृह-स्वामिनी के चौकी पर जाकर रिपोर्ट लिखाने पर भी नहीं लिखी ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*१४२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मुख्य मंत्री को रोहनियां थाने के लखनपुर व चुरामनपुर के रहने वालों द्वारा होली न जलाये जाने के बारे में अध्यक्ष, जिला जनसंघ, वाराणसी का दिनांक ९ मार्च, १९६१ का पत्र मिला है जिसमें रोहनियां थाने के अधिकारियों के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि उन्होंने ग्राम रक्षा दल के पहरेदार को पीटा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। ऐसा पत्र नहीं मिला है। किन्तु दैनिक "भारत" में एक समाचार छपा था कि थानेदार रोहनियां की एक व्यक्ति के विरुद्ध कथित अनियमित कार्यवाही के फलस्वरूप ग्राम लखनपुर इत्यादि गांवों के लोगों ने होली नहीं जलाई। इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है।

गाजीपुर जिले में डकैतियां

*१४३—श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर में १५ नवम्बर, १९६० को ऊंचाडीह में, १६ नवम्बर, १९६० को दिविहा में तथा १४ दिसम्बर, १९६० को सहपुरा में डकैतियां पड़ीं ?

श्री चरणसिंह—थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम ऊंचाडीह में दिनांक १५-११-६० को डकैती नहीं पड़ी। ग्राम दुबिहा की घटना के संबंध में दिनांक १७-११-६० को डकैती की रिपोर्ट लिखाई गई थी। किन्तु जांच से घटना डकैती की नहीं पाई गई। दिनांक १४-१२-६० को ग्राम सहपुरा में एक डकैती अवश्य पड़ी थी।

*१४४—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि पुलिस ने सहपुरा की डकैती के अतिरिक्त दोनों अन्य डकैतियों के संबंध में कुछ नहीं किया ?

श्री चरणसिंह—क्योंकि ग्राम सहपुरा के अतिरिक्त शेष दोनों ग्रामों में डकैती पड़ना नहीं पाया गया अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोमती नदी में शारदा सागर रिजर्वायर का पानी छोड़ने की जानकारी

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—बनबसा पर शारदा रिजरवायर से गोमती में पानी छोड़ने के संबंध में ७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा रिजर्वायर के अतिरिक्त किस रिजर्वायर से १९६० में किस तिथि को गोमती नदी में पानी छोड़ा गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—शारदा सागर के अतिरिक्त और कोई ऐसा रिजर्वायर नहीं है जिससे गोमती नदी में पानी छोड़ा जा सके।

*२-३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[१३वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]

रामताल के निकट बिजली-घर के लिये कथित अध्याप्त भूमि

*४—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के निकट के प्रसिद्ध रामताल के चारों ओर की उपजाऊ भूमि, बिजलीघर आदि के लिये acquire की जा रही है ? अगर हां, तो किस-किस गांव में तथा कितनी-कितनी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपर्युक्त भूमि का कितना मुआवजा दिया गया है तथा इससे पीड़ित होने वाले किसानों के पुनर्वास का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री रामसूर्ति—प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि १९६१ में जब सिंचाई मंत्री, गोरखपुर गये थे तो किसानों के प्रतिनिधि उनसे मिले थे और मंत्री जी ने उनको कम से कम जमीन लिये जाने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या किया है ?

श्री रामसूर्ति—चूंकि ऐसी कोई योजना अब सरकार के विचाराधीन नहीं है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

भूमि संरक्षण योजना

*८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश में भूमि संरक्षण संबंधी अग्रगामी योजना कब से लागू करने जा रही है और इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री चरणसिंह—यह योजना प्रदेश में सन् १९५७ से चल रही है । इसके अन्तर्गत लखनऊ जिले में तहसील मलिहाबाद और सदर में गोमती नदी और बेहता नाला के किनारे के १६ गांवों के ९,७३९ एकड़ क्षेत्र के एक चक में भूमि संरक्षण कार्य हो रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य इस पूरे जलोत्सारण (वाटर शेड) क्षेत्र में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि एवं बेकार भूमि आदि की सुरक्षा करना है ।

काली मोटर में कानपुर से श्री सतीशकुमार का कथित अपहरण

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार को उस कुख्यात काली कार का कोई पता लगा जिसने गत वर्ष से लखनऊ व कानपुर में लड़कियों के अपहरण के कई कांडों के कारण यहां की आम जनता व विशेषकर लड़कियों में बड़ा आतंक मचा रक्खा है ?

श्री चरणसिंह—एक काली कार जो २५ नवम्बर, १९५९ को कानपुर से एक लड़की का अपहरण करने के प्रयोग में लाई गई थी, २७-११-५९ को लखनऊ में पकड़ी गई । काली कार द्वारा लखनऊ में लड़कियों के अपहरण का कोई कांड नहीं हुआ ।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में कानपुर क्राइस्ट चर्च कालेज के पास उक्त कुख्यात काली कार के पांच युवकों का गिलिस बाजार, कानपुर के बी०एस-सी० (प्रथम वर्ष) के छात्र श्री सतीशकुमार ने मुकाबला करके एक लड़की को अपहृत होने से बचा लिया था ?

श्री चरणसिंह—जांच से किसी ऐसी घटना का होना नहीं पाया गया ।

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार को पता है कि उसी दिन से काली कार वाले उक्त विद्यार्थी को मार डालने के प्रयत्न में हैं और ५ अप्रैल, १९६१ को उसको उपर्युक्त कालेज के पास उनके द्वारा छुरा मारने का प्रयत्न किया गया था तथा ७ अप्रैल, १९६१ से उस विद्यार्थी का पता नहीं है ? यदि हां, तो उक्त काली कार व उन लड़कों को पकड़ने तथा श्री सतीशकुमार का पता लगाने के लिये उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--८ अप्रैल, १९६१ की शाम को सतीशकुमार अपने घर कानपुर से गायब हो गया जिसकी रिपोर्ट थाने में लिखी गई। १६ अप्रैल, १९६१ को वह थाना रुड़की पहुंचा और उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि उसको कानपुर में एक काली कार से चादर फेंक कर अपहरण किया गया और रुड़की के पास एक जंगल में लाकर छोड़ दिया गया। उसे १९ अप्रैल की शाम को कानपुर लाया गया और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में उसने अपना बयान बदल दिया और बतलाया कि आत्म-हत्या करने के लिये भाग गया था तथा अपहरण किये जाने की कहानी मनगढ़न्त थी। इस मामले की जांच की गई तथा ऐसी किसी घटना का होना नहीं पाया गया।

पनहा ग्राम से डकैती की जांच के लिये प्रार्थना-पत्र

*१२--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास १ से १५ अप्रैल, १९६१ तक के बीच में कोई पत्र ग्राम पनहा (पनहा), परगना खागा, जिला फतेहपुर में २२ मार्च, १९६१ को हुई सनसनी खेज डकैती की आवश्यक जांच कराने के संबंध में आया है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह--२२-३-६१ को ग्राम पनहा, परगना खागा, जिला फतेहपुर में हुई डकैती की घटना के विषय में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने उक्त कथित डकैती की जांच उक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जांच से घटना केवल चोरी की पाई गई।

*१३--**श्री चन्द्रजीत यादव**--[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१५--**श्री झारखंडेराय**--[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६--**कुंवर श्रीपालसिंह**--[१८ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के निकट श्री ब्रजमोहनदास गोयल द्वारा आमरण उपवास

*१७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इलाहाबाद नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के नीचे गोयल नाम के व्यक्ति आठ दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--श्री ब्रजमोहनदास गोयल ने अपनी कुछ मांगों के सिलसिले में आमरण उपवास किया था जिसे उन्होंने दिनांक २६ अप्रैल, १९६१ को समाप्त कर दिया।

सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर के अन्तर्गत लिपिकों की वरिष्ठता एवं स्थायीकरण

*१८--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला वृत्त, कानपुर के अन्तर्गत लिपिकों की वरिष्ठता एवं स्थायीकरण से संबंधित कई अपीलें सरकार के पास विगत पांच वर्षों से पड़ी हैं? यदि हां, तो उन पर आदेश न होने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति--राज्य सरकार के पास ऐसी कोई अपील निर्णय के लिये नहीं पड़ी है।

*१९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सत्य है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त वृत्त में वरिष्ठता निर्णय हेतु १९५५ में जो १४ सूत्र निर्धारित किये गये थे वे सभी राजकीय आदेशों के विरुद्ध हैं और फलस्वरूप उनके विरुद्ध अधिक अपीलें हुईं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन १४ सूत्रों को अविलम्ब हटाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—यह १४ सूत्र एक ऐसी विशेष परिस्थिति के लिये बनाये गये थे जिस पर सामान्य आदेश लागू नहीं हो सकते । इन १४ सूत्रों के विरुद्ध कुछ अपीलें आई हैं, परन्तु उनमें कोई तत्व नहीं है और शासन उन १४ सूत्रों को हटाने का विचार नहीं कर रहा है ।

*२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने लिपिकों के स्थायी स्थान १९५६–५७, १९५७–५८, १९५९–६० व १९६०–६१ में सरकार ने उक्त वृत्त को स्वीकृत किये और उन पर कितने लिपिकों को स्थायी किया गया ? यदि वे स्थान रिक्त हैं, तो इसका क्या कारण है और कौन-कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी हैं ?

श्री राममूर्ति—जो स्थायी स्थान स्वीकृत हुये और उन पर जो लिपिक स्थायी किये गये वह निम्न प्रकार हैं :–

	स्थान स्थायी किये गये	लिपिक स्थायी किये गये
१९५६–५७	३८	३८
१९५७–५८	५४	२
१९५९–६०	५	..
१९६०–६१	..	१

स्थान रिक्त रहने का कारण यह है कि अभी तक यह निर्णय न हो पाया था कि १४ सूत्र नियमावली को माना जाय या नहीं । इसके लिये कोई विशेष अधिकारी उत्तरदायी नहीं है ।

खीरी जिले में श्री रामलाल की आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारी

*२१—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी-लखीमपुर के अन्तर्गत पुराने कांग्रेस मैन १९२१ से १९४६ तक पांच छः बार कांग्रेस में जेल काटने वाले महाशय रामलाल को पिछले साल बिना किसी रिपोर्ट या बिना किसी जुर्म के एकाएक उनके घर से दिन में पकड़ कर जेल में मारपीट कर बन्द कर दिया और तमाम इलजाम लगाये जो मिथ्या सिद्ध हुये और हो रहे हैं, उनकी दशा बड़ी शोचनीय है, जेल में मरणासन्न दशा हो गई है, उनकी जमानत पुलिस क्यों नहीं होने देती, उनकी सत्तर के करीब अवस्था होने पर भी पुलिस को उनसे क्या खतरा है, उन पर विशेष जुर्म क्या है जिसकी रिपोर्ट पुलिस के पास है और वह किसकी ओर से है ?

श्री चरणसिंह—श्री रामलाल को दिनांक २४–३–६० को धारा ३८० ४११ व धारा ३७७ भारतीय दंड विधान तथा धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के अपराध में गिरफ्तार किया गया था । यह सत्य नहीं है कि उनको मारापीटा गया । उन्होंने गिरफ्तारी के समय बल प्रयोग किया था और उसी पकड़ धकड़ में उनको मामूली चोट आयी । यह भी सत्य नहीं है कि उनके विरुद्ध लगाये गये इलजाम मिथ्या सिद्ध हुये और हो रहे हैं ? सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी अवस्था शोचनीय नहीं है । वे बराबर मुकदमे की तारीखों पर अदालत आते हैं ? इनके खिलाफ गंभीर आरोप थे इसलिये इनकी जमानत का विरोध किया गया और इनकी जमानत की दरख्वास्त न्यायालय मैजिस्ट्रेट सेशन अदालत तथा हाई कोर्ट से नामंजूर हुई । उनके विरुद्ध विशेष आरोप संलग्न तालिका 'अ' में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

*२२--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महाशय रामलाल पर आज तक १९४७ से और १९६० तक उनके विरुद्ध जनता की ओर से कितनी रिपोर्ट किन-किन जुर्मों के विषय को लिये के विभिन्न थानों पर खास कोतवाली लखीमपुर में कब-कब दर्ज हुईं और क्या वह उसकी एक प्रतिलिपि सदन के समक्ष रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--सन् १९४७ से सन् १९६० तक श्री रामलाल के विरुद्ध केवल थाना कोतवाली में ५ रिपोर्ट दर्ज हुईं जिनका विवरण संलग्न तालिका "अ" में दिया हुआ है। रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदस्य महोदय यदि चाहें, कार्यालय में आकर देख लें।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

*२३--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन पर कौन-कौन जुर्म ऐसे हैं जो जनता की रिपोर्ट पर सरकार के विचाराधीन हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के पहले कौन-कौन रिपोर्ट थीं जिनसे उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी हो गया था ?

श्री चरणसिंह--धारा ३८० भारतीय दंड विधान तथा धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के जुर्म अदालत के विचाराधीन हैं। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या २१ के उत्तर से संबंधित तालिका 'अ' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

*२४--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी गिरफ्तारी और तलाशी के समय क्या-क्या सामान उनके पास निकला और किन-किन जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने तलाशी ली गई और उनके घर से कितना रुपया सरकार तलाशी में ले गई ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

[उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

घोसी तहसील में पंचायत चुनाव कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१--श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने उनके पास तथा पुलिस कप्तान, आजमगढ़ एवं देवरिया के पास क्रमशः ५ फरवरी, १९६१, १० नवम्बर, १९६० और [illegible] फरवरी, १९६१ को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिनमें पंचायत चुनाव के पुस्तचरों एवं तहसील कर्मचारियों पर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

करहल तहसील में तालाबों के निकट कथित बंजर भूमि

*२--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की तहसील करहल में ऐसे कितने ताल हैं जिनमें बरसाती पानी भर जाने से उनके पास की अधिकांश भूमि बंजर पड़ी रहती है ?

श्री राममूर्ति--कोई नहीं ?

देवरिया व गोरखपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ४५-४६, दिनांक १४ फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि डकैती और कत्लों में कितने अभियुक्तों पर मुकदमा चला, कितने मुकदमों में अभियुक्तों को सजा हुई और कितने मुकदमें अभी विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—देवरिया जिले में डकैतियों में ७९ तथा कत्ल में १२० अभियुक्तों पर मुकदमा चला। डकैती के एक तथा कत्ल के ४ मुकदमों में अभियुक्तों को सजा हुई। डकैती के ५ मुकदमे अभी विचाराधीन हैं।

गोरखपुर जिले में डकैतियों में ८९ तथा कत्ल में ११३ अभियुक्तों पर मुकदमा चला। डकैती के ६ तथा कत्ल के १० मुकदमों में अभियुक्तों को सजा हुई, डकैती का एक तथा कत्ल का एक मुकदमा विचाराधीन है।

*४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपर्युक्त डकैतियों में जो लोग मारे गये थे उनके परिवार के लोगों को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

*५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नई कोट, जिला गोरखपुर में १९५७ में डकैतों का पीछा करते हुये कितने आदमी डकैतों की गोली का शिकार हुये थे ? क्या उनके वृद्ध परिवार को पेंशन दी गई ?

श्री चरणसिंह—थाना नईकोट, जिला गोरखपुर में १९५७ में डकैतों का पीछा करते हुये किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई थी। अतः किसी के परिवार को पेन्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर सब-डिवीजन में तैनात पी० ए० सी० फोर्स

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में पी० ए० सी० की जो फोर्स १९५५ में तैनात की गयी थी क्या वह अब भी वहां मौजूद है ? यदि हां, तो उस पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

*७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त फोर्स ने गत तीन वर्ष में कितने डाकू पकड़े व मारे ?

श्री चरणसिंह—सामग्री एकत्रित की जा रही है।

माताटीला बांध की डूब से खाली भूमि के वितरण के विरुद्ध शिकायत

*८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में माताटीला बांध की डूब की वह जमीन जो खाली हो जाती है और जिसमें रबी की फसल बोई जाती है उक्त बांध में डूबे हुये ग्राम के सभी निवासियों को बांट दी गई है ? यदि हां, तो कब और किस हिसाब से ?

श्री राममूर्ति—बरसात के बाद जब पानी ९८९ फिट के स्तर पर रहता है तब १०,४३३ एकड़ भूमि रबी के लिये उपलब्ध हो जाती है। इस भूमि में से ५,१८१ एकड़ तीन-तीन एकड़ के प्लाट बना कर ऐसे निर्वासित काश्तकारों को दे दी गयी है जिन के पास डूब के बाहर ६ १/४ एकड़ से कम जमीन बची है। बाकी जमीन अच्छी न होने के कारण काश्तकार उसे लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

*९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजपुर और कोटरा गांवों के निवासियों द्वारा अधिकारियों के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि उक्त गांवों के कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने बहुत-सी जमीन पर अवैधानिक रूप से फसल बो दी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

बांसी तहसील में राप्ती का कटाव

*१०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले में राप्ती नदी बांसी तहसील के बंजरहा बुजुर्ग गांव के करीब काटती हुई पुरानी बूढ़ी राप्ती के एकदम करीब पहुंच गई है जिससे राप्ती नदी के मार्ग बदलने की संभावना पैदा हो गई है जिससे सैकड़ों गांवों की आबादी व फसल बर्बाद हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

लखनऊ में बच्चों को भगाने वालों की गिरफ्तारी

*११—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ शहर में कुछ लोग मार्च, १९६१ के अन्त में पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं जो दूर-दूर के जिलों से छोटे बच्चों को फुसलाकर लाते थे और अनाथालयों के नाम से उनसे भिक्षा मंगवाते थे ? क्या कुछ बच्चों को उक्त बन्धन से मुक्त भी किया गया है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, मार्च के अन्त में तीन व्यक्ति पकड़े गये थे। इनके बन्धन से १३ बच्चों को मुक्त किया गया है।

*१२—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पूरी जानकारी सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५८७ पर)

पाली प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक के हाथों हरिजन विद्यार्थी की मृत्यु

*१३—श्री रघुवीरराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी में ज्ञानपुर थाने के अन्तर्गत पाली प्राइमरी पाठशाला के एक अध्यापक ने तारीख २९ मार्च, १९६१ को एक हरिजन विद्यार्थी को जान से मार डाला है ? यदि हां, तो अब तक उस अध्यापक के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री चरणसिंह—दिनांक २९-३-६१ को उक्त पाठशाला के एक अध्यापक द्वारा पटरी से मारे जाने के फलस्वरूप एक हरिजन विद्यार्थी की मृत्यु हो गई थी।

उपरोक्त घटना की सूचना मिलने पर सुरियांवां थाने पर धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत उक्त अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है।

हरदोई जिले में दंडनीय अपराध की घटनाएं

*१४—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हरदोई में थाना-वाइज पहली जनवरी, १९६१ से अब तक किस प्रकार के कितने-कितने काग्निजेबुल अफन्सेज दर्ज किये गये ? उक्त अपराधों में कितनों की चार्जशीट अदालतों में भेजी गई, कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और कितने जारी तफतीश हैं ?

श्री चरणसिंह—सूचना बहुत विस्तृत है। यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

कैम्पियरगंज के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*१५—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री को गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाने के थानेदार के विरुद्ध गत १४ मार्च, १९६१ को लिखित शिकायतें उक्त क्षेत्र के संसद सदस्य अथवा विधायकों की ओर से प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायतों का संक्षिप्त सार तथा उस पर की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—इस संबंध में शासन को दिनांक १४-३-६१ को केवल लोकसभा के एक सदस्य को लिखित शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत का संक्षिप्त सार संलग्न है। शिकायतों की जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५८८ पर)

गोरखपुर जिले के विभिन्न अपराधों में धन-जन की क्षति

*१६—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अलग-अलग थानों में वित्तीय वर्ष १९५९-६० व १९६०-६१ में अलग-अलग वारदातें, डकैतियां तथा कत्ल कितने हुये और उनमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितनों पर मुकदमा चला, कितने व्यक्तियों को सजा हुई तथा कितने छूट गये?

*१७—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अलग-अलग थानों में वित्तीय वर्ष १९५९-६० व १९६०-६१ में जो चोरियां तथा डकैतियां हुईं उनमें कितनी रकम की चोरी तथा डकैती हुई और कितनी रकम का अब तक पता चला?

श्री चरणसिंह—प्रश्नों में मांगी गई सूचना बहुत विस्तृत है। अतएव यदि प्रश्नकर्ता महोदय चाहें तो इस बारे में मेरे कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गाजीपुर जिले के विभिन्न अपराधों में धन-जन की क्षति

*१८—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १९५९-६० में हर एक थाने में अलग-अलग कितनी डकैतियां और कत्ल हुये? इन डकैतियों में कितने व्यक्तियों की जान और माल का नुकसान हुआ?

श्री चरणसिंह—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५८९-५९० पर)

बलिया जिले में टोंस पर नये बांध के लिये सर्वेक्षण

*१९—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में टोंस नदी के किनारे जो बांध बंधा है वह बांध किस स्थान से किस स्थान तक बांधा गया है और इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ और क्या ग्राम पिड़ोहरी के पास खंडिया नाले में जो रेगुलेटर लगा है वह बाढ़ में बह गया है? यदि हां, तो क्या इसको बनवाने और बांध की मरम्मत कराने की कोई योजना है और टोंस नदी के दूसरे किनारे पर बांध न बांधने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले में टोंस नदी के किनारे बांध हथनी ग्राम से मुस्तफाबाद ग्राम (जो सराय भारती के निकट है) तक बांधा गया है। इसके निर्माण में लगभग ५,७२,६६० रुपया लगा है।

पिड़ोहरी ग्राम के पास खन्डिया नाले पर रेगुलेटर के एक दर के अगले भाग को अत्यधिक कटाव के कारण बाढ़ में थोड़ी सी क्षति हो गई थी। उसकी तथा बंधे की मरम्मत हो रही है।

टौंस नदी के दूसरे किनारे बांध बनवाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो रहा है जिसके सम्पन्न हो जाने के पश्चात् ही कुछ निर्णय किया जा सकेगा।

एटा जिल में बीज विकास फार्म

*२०—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत कुल कितने कहां-कहां पर बीज विकास फार्म बन रहे हैं और प्रत्येक फार्म का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चरणसिंह—इस समय केवल तीन फार्म बन रहे हैं। इनका विवरण संलग्न तालिका (क) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५११ पर)

*२१—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या उक्त फार्मों में काश्तकारों की आबादी की जमीन ली जा रही है ? यदि हां, तो उसका मुआविजा क्या है ?

श्री चरणसिंह—आबादी की जमीन नहीं ली जा रही है। अतः मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर जिले में रिन्द नदी के असिंचित क्षेत्र के लिये सिंचाई योजना

*२२—**श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत रिन्द नदी के असिंचित क्षेत्र को जिसमें हजारों एकड़ भूमि असिंचित पड़ी हुई है उसे सिंचाई योग्य बनाने के लिये जो योजना सरकार के सामने है उसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

*२३—क्या सिंचाई मंत्री उपर्युक्त क्षेत्र की कथित योजना की रूप-रेखा पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—कानपुर जिले के अन्तर्गत रिन्द नदी के असिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु वर्तमान राजबहों को बढ़ाने तथा कुछ नये राजबहों के निर्माण की योजना है जो रामगंगा बांध योजना से अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर निर्भर है। धान की खेती के हेतु पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच नामक नहर के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है, और आशा है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त हो जायेगा। यह ब्रांच रिन्द व पान्डु नदी के बीच के क्षेत्र की सिंचाई करेगा।

बदायूं जिले में नलकूपों पर से चोरियां

*२४—**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में जिला बदायूं के सरकारी तथा प्राइवेट कौन-कौन से नलकूपों पर किस-किस चीज की चोरियां हुईं ?

श्री चरण सिंह—मांगी गई सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है।

केराकत तहसील में सिंचाई साधनों की कमी

*२५—**श्री लालबहादुरसिंह** (जिला जौनपुर) तथा **श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जौनपुर जिले में केराकत तहसील में गोमती नदी के दक्खिन सिंचाई के लिये जिस नहर का निर्माण हुआ है उससे माइनर निकाल कर सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करने का कोई निर्णय तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये लिया गया है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिए ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

गंगा नहर की मांट ब्रांच पर फीडर नलकूपों का निर्माण तथा हिन्डन कट आगरा का रिमार्डेलिंग

*२६—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में गंगा नहर की मांट ब्रांच पर ९० फीडर नलकूपों के निर्माण के लिये ३६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो उन नलकूपों में से कितने नलकूप अब तक उस ब्रांच पर बन चुके और उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—मार्च, १९५६ में ३६ लाख रुपये की लागत पर गंगा नहर की मांट ब्रान्च पर ९० फीडर नलकूपों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। यह सभी नलकूप बन चुके हैं और उन पर मार्च, १९६१ तक चौंतीस लाख बारह हजार सात सौ उन्नासी रुपया व्यय हुआ है।

*२७—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—उक्त नलकूपों से जो अब तक बन चुके हैं कितने क्यूसेक्स पानी बढ़ जायगा ?

श्री राम मूर्ति—१३८ क्यूसेक्स।

*२८—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिंडन कट आगरा का remodelling हो चुका है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ है और इसके remodelling करने पर पानी की कितनी क्षमता बढ़ गई है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। अभी कार्य हो रहा है। अप्रैल, सन् ६१ तक १०,१६,००० रु० व्यय हो चुका है। कार्य समाप्त होने पर उसकी क्षमता १२०० क्यूसेक्स से बढ़कर १८०० क्यूसेक्स हो जावेगी।

जौनपुर जिले में धारिकपुर उपजल शाखा का निर्माण तथा चर्वरिया व बेलवार बंधों की मरम्मत का आदेश

*२९—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मड़ियाहूं जल शाखा की धारिकपुर उपजल शाखा के निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है, वह कब तक बन जायेगी तथा उसके बनने के बाद किन-किन मौजों की कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई होने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। निर्माण-कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५९२ पर।)

*३०—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की बंबरिया नाला बन्धी तथा बेलवार बन्धी के पुनर्निर्माण का प्रश्न जो सरकार के विचाराधीन है और उसके पुनर्निर्माण हो जाने की कब तक संभावना है ?

श्री राममूर्ति—यह दोनों बन्ध हैं, बन्धियां नहीं हैं। इनकी मरम्मत के लिये आदेश दिये जा चुके हैं और आशा है कि यह कार्य वर्षाकाल से पूर्व ही समाप्त हो जायेगा।

लाइव स्टाक सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग के लिये विज्ञप्ति

*३१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार ने १२ मई, १९५५ में किसी विज्ञप्ति द्वारा यह आश्वासन दिया था कि जो लड़के दो वर्ष की लाइव स्टाक सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग (Lives ock Supe visor's Training) पूरी कर चुकेंगे और दो वर्ष को संतोषजनक सेवा कर चुकेंगे उन में से १० को जो इन्टर की परीक्षा बायलोजी के साथ पास कर चुके होंगे वेटिरीनरी कालेज (Veterinary College) मथुरा में वेटिरीनरी असिस्टेंट सर्जन के कोर्स की ट्रेनिंग के लिये सरकार की ओर से भेजा जायेगा ?

श्री चरणसिंह—संचालक, पशुपालन के लाइवस्टाक सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग के लिये जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें यह कहा था कि १० योग्य लाइवस्टाक सुपरवाइजर्स जो ट्रेनिंग कर चुकेंगे और जिनकी दो वर्ष की संतोषजनक सेवा होगी उनको यदि वे इन्टर की परीक्षा बायलोजी के साथ कर चुके हों, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा में वेटेरीनरी असिस्टेन्ट सर्जन की ट्रेनिंग के लिये भेजा जावेगा।

*३२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त विज्ञप्ति के अनुसार योग्यता रखने वाले कितने लाइव स्टाक सुपरवाइजर्स हैं और उनमें से कितनों को सरकार ने उस आश्वासन के अनुसार मथुरा वेटेरीनरी कालेज की वेटिरीनरी असिस्टेन्ट सर्जन की ट्रेनिंग में भेजा है ?

श्री चरणसिंह—८३ लाइवस्टाक सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो पशु-चिकित्सा महाविद्यालय में भरती होने की कम से कम योग्यता तथा २ वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हैं। सन् १९६१-६२ में १० लाइवस्टाक सुपरवाइजर्स को चुनाव के पश्चात् भेजने का निश्चय किया गया है।

शाहजहांपुर जिले में कत्ल व डकैतियां

*३३—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना जैतीपुर व थाना मरिनपुर कटरा व थाना खुदागंज, जिला शाहजहांपुर में जून, १९६० से २६ मार्च, १९६१ तक कितनी कहां-कहां डकैती हुई हैं और उनमें से किन-किन डकैतियों में कत्ल भी हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—उक्त अवधि में थाना जैतीपुर व थाना मीरनपुर कटरा के अन्तर्गत ३-३ डकैतियों की रिपोर्ट हुई। थाना खुदागंज के अन्तर्गत किसी डकैती की रिपोर्ट नहीं हुई।

थाना जैतपुरी की एक व थाना मीरनपुर कटरा की दो डकैतियों में प्रत्येक में एक एक व्यक्ति की हत्या हुई।

फर्रुखाबाद जिले में पुराने थानेदार

*३४—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने थानेदार (Sub-Inspectors) ऐसे हैं जिनको फर्रुखाबाद जिले में काम करते ६ वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३५--**श्री होरीलाल यादव**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने दीवान पुलिस हैं जो एक थाने में ३ साल या उससे अधिक समय से हैं ?

श्री चरणसिंह--फर्रुखाबाद जिले में ऐसा कोई भी दीवान से पुलिस (Head Constable) नहीं है जो कि ३ वर्ष या उससे अधिक समय से किसी एक ही थाने पर तैनात हो।

बहादुरपुर ब्लाक की दाई, श्रीमती दुलारी देवी, के साथ बलात्कार

*३६--**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक में १८ फरवरी, १९६१ को जब कि विकास मेला चल रहा था, तो वहां के सेन्टर की दाई के साथ कुछ गुण्डों ने बलात्कार किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--कथित घटना के संबंध में सेन्टर की दाई, श्रीमती दुलारी देवी, ने दिनांक १९-२-६१ को थाने पर कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखाई जो धारा ३७६ ३४२ १४७ ४५२/३२३/३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

[१६ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि भूमि संरक्षणार्थ प्रशिक्षण केन्द्र

*१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कृषि भूमि के संरक्षण के संबंध में जो दो प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायगी उनमें से प्रत्येक केन्द्र में कितने कार्यकर्त्ता प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होंगे और प्रत्येक केन्द्र पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय होगी ?

श्री चरणसिंह--गत वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में दो प्रशिक्षण केन्द्र मौरानीपुर (झांसी) तथा मझवाली (अल्मोड़ा) में स्थापित किये गये। उस वर्ष प्रत्येक केन्द्र में २० प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये तथा प्रत्येक केन्द्र पर २३,५०० रुपया व्यय हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा व्यय का विवरण नीचे अंकित है--

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित व्यय की धनराशि
		०
१९६१-६२	८०	१,३५,३५०
१९६२-६३	८०	२,८९,५००
१९६३-६४	८०	१,६४,१५०
१९६४-६५	८०	१,००,५५०
१९६५-६६	८०	१,०३,९५०

*२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृहमंत्री उक्त दोनों केन्द्रों में से एक केन्द्र को सीतापुर जिले में स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--दोनों प्रशिक्षण केन्द्र मौरानीपुर (जिला झांसी) तथा मझखाली (जिला अल्मोड़ा) में स्थापित हो चुके हैं। एक प्रशिक्षण केन्द्र रहमानखेड़ा (जिला लखनऊ) में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से चल रहा है, जो सीतापुर के निकट ही है। अतएव एक अन्य केन्द्र इसी क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

मधुवन थाने की पुलिस के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायत

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके तथा पुलिस कप्तान, आजमगढ़ के पास १० जनवरी, १९६१ को भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र ग्राम नूरल्लाहपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के हरिजनों का आया है जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा घूस लेने की शिकायत की गई है?

श्री चरणसिंह--जी हां।

*४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री चरणसिंह--इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) द्वारा जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

चकिया खदरा ताल से पानी की निकासी के लिये प्रार्थना

*५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा ९ फरवरी, १९५८ को भेजा हुआ कोई पत्र मिला है जिसमें चकिया खदरा ताल से पानी की निकासी हेतु ड्रेन बनाने की मांग की गई है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति--जी हां। उस समय यह योजना इतने महत्व की नहीं समझी गई कि और योजनाओं की अपेक्षा उसको प्राथमिकता दी जाती। हाल ही में शासन ने यह निर्णय किया है कि पांच मील तक लम्बी नालियों की खुदाई (earth-work) का कार्य सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा किया जायेगा जिसके बाद पक्का कार्य (masonry work) सिंचाई विभाग द्वारा किया जायगा। चूंकि इस ड्रेन की लम्बाई ३ मील, ५ फर्लांग होगी इसकी खुदाई का काम अब ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।

भोगांव तहसील में जल निकासी का नाला

*६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार १७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में ओरन्ध, किनावर, कट तालाबों का जल निकालने के लिये जो नाला बनने का कार्य शुरू हुआ था वह नाला अब तक क्यों नहीं बन सका?

श्री राममूर्ति--इस नाले पर कार्य १९५७ में आरम्भ हुआ था। जब केवल दो फर्लांग मिट्टी का कार्य रह गया तो कृषकों ने भूमि अधिकरण पर आपत्ति की और कोर्ट द्वारा स्टे-आर्डर हो जाने से शेष कार्य नहीं किया जा सका। अब कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में हो गया है और शेष कार्य शीघ्र ही समाप्त होने की आशा है।

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित इलेक्ट्रिकल विभाग, वाराणसी में छटनी

*७--**श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित एलेक्ट्रिकल विभाग, वाराणसी के कर्मचारियों को पहली मार्च, सन् १९६१ से नोटिस दी गई है कि उक्त विभाग एबालिश कर दिया गया है इसलिये उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है? यदि हां, तो इस आदेश से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं?

श्री राममूर्ति—जी हां, २३४ कर्मचारी प्रभावित हुए।

*८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त विभाग को किसी विभाग में मिलाया जा रहा है? यदि हां, तो किसमें?

श्री राममूर्ति—इस प्रखंड का सारा काम विद्युत विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग में जो उम्मेदवार भर्ती हुये हैं उनके लिये किस-किस जिले से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और किन-किन जिलों से कितने-कितने उम्मेदवार मुलाकात के लिये बुलाये गये थे तथा कितने-कितने उम्मेदवार किस-किस जिले के लिये गये?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५९३–५९४ पर)

मानों के तालाब का बांध टूटने से कठिनाई

*१०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि झांसी के मानों के तालाब के बांध के टूट जाने से लगभग पच्चीस-तीस ग्रामों के किसानों का झांसी की मन्डी में अनाज आदि का लाना उस रास्ते से बन्द हो गया है?

श्री चरणसिंह—रास्ता बन्द नहीं हुआ है, खराब जरूर हो गया है।

*११—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तालाब का बांध टूटा था और उसके अभी तक जिला अन्तरिम परिषद् द्वारा न बनवाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री चरणसिंह—मानों के तालाब का बांध १९५४ में टूटा था, बांध की मरम्मत मत्स्य विभाग द्वारा कराई जा चुकी है। अतः जिला परिषद् द्वारा बांध की मरम्मत कराने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस की संख्या बढ़ाने पर विचार

*१२—**श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्य की बढ़ती आबादी को देख कर पुलिस की संख्या में वृद्धि की किसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह—उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग अन्य विषयों के साथ इस विषय पर भी विचार कर रहा है।

*१३—**श्री झारखंडे राय**—यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा क्या है?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*१४–१५—**श्री रामेश्वर प्रसाद** (जिला रायबरेली) तथा **श्री खयालीराम** (जिला लखनऊ)—[हटा दिये गये।]

सलोना ताल पम्प नहर का बन्द हो जाना

*१६—श्री विश्रामराय—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ताल सलोना पम्प नहर जिला आजमगढ़ द्वारा इस समय सिंचाई बन्द हो गई है और ताल का पानी कम हो गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस समय सलोना ताल में पर्याप्त जल के अभाव से नहर बन्द है ।

*१७—श्री विश्रामराय—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ताल सलोना पम्प नहर योजना के बेकार सिद्ध होने की उपर्युक्त आशंका को दूर करने की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री राममूर्ति—सलोना ताल पम्प नहर योजना के असफल होने की सम्भावना नहीं है ।

*१८-२०—आचार्य दीपंकर [तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री ऊदल—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२३—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—[हटा दिये गये।]

*२४-२६—श्री सुशमाप्रसाद गोस्वामी—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में बीज विकास फार्म

*२७—श्री अमरनाथ—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कुल कितने, कहां-कहां पर बीज विकास फार्म बन रहे हैं और अलग-अलग फार्मों का क्षेत्रफल क्या है ?

*२८—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रत्येक फार्म में कितने काश्तकारों की कुल कितनी जमीन ली जा रही है ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५९५ पर)

उन्नाव जिले की धनकौली ड्रेन

*२९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा धनकौली ड्रेन (परगना डौंडियाखेरा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव) कितनी लम्बी मंजूर है ? क्या १९६०-६१ में इसकी लम्बाई ग्राम गौरैया से आगे बड़ैला झील तक बढ़ाई गई है ?

श्री राममूर्ति—धनकौली ड्रेन एक पुरानी ड्रेन है जिसकी लम्बाई ४ मील १ फर्लांग है। इस को १९६०-६१ में बड़ैला झील तक नहीं बढ़ाया गया ।

*३०—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो जिन किसानों की भूमि इस ड्रेन के बढ़ाये जाने से उसके अन्तर्गत आई है, क्या वह सरकार द्वारा हस्तगत कर ली गई है और संबंधित किसानों को उसका मुआविजा दे दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता ।

रासायनिक खादों का वितरण

*३१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—रासायनिक खादों की खपत के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ७०, दिनांक ४ अप्रैल, १९६१ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९५७ को कितने रुपयों के रासायनिक उर्वरक वितरित होने से बच गये थे और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार कितनी कीमत की रासायनिक खादें प्रतिवर्ष ३१ मार्च, १९६० तक मंगाई गईं और कितनी कीमत की खादें उनमें से प्रतिवर्ष १ अप्रैल, १९५८, १९५९ व १९६० को वितरित होने से बचीं ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ५९६ पर)

छतौना ग्राम में डाक्टर द्वारा आत्महत्या

*३२—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद राय बरेली में थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम छतौना में दिनांक २ मार्च, की रात में उपरोक्त ग्राम के एक डाक्टर की लाश उसी के घर की कोठरी में लटकती हुई पाई गई ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—जिला रायबरेली में थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम छतौना में दिनांक १/२-३-१९६१ की रात्रि को उपर्युक्त ग्राम के एक डाक्टर की लाश उनके घर की कोठरी में लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने इस मामले की जांच की। घटना आत्महत्या की पाई गई।

*३३—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उपरोक्त मृतक के घर में केवल वही एक कोठरी है जिसमें उसकी लाश लटक रही थी और उसकी औरत भी उसी के साथ उसी कोठरी में लेटी थी और उसका दरवाजा सुबह खुला मिला था ?

श्री चरणसिंह—यह सत्य है कि मृतक के घर में केवल एक ही कोठरी है किन्तु घटना के समय मृतक की स्त्री उक्त कोठरी में नहीं बल्कि ओसारे में लेटी थी।

*३४—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया जबकि मृतक की लाश में खुदकशी के लक्षण नहीं थे ?

श्री चरणसिंह—मृतक की लाश में खुदकशी के लक्षण थे और उसने एक पत्र भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि खुदकशी का खुद जिम्मेदार है। आत्महत्या का मामला होने तथा और कोई सन्देह न होने के कारण लाश का पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया।

*३५-३६—**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]

राज्य में हिस्ट्री शीटर्स

*३७—**श्री कल्याणचन्द्र मोहिले**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल History sheeters की संख्या क्या है तथा जिलेवार किन-किन सन् में इनकी History sheets खोली गई है ?

*३८—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने-कितने लोगों की History sheets १९५८-५९ तथा १९५९-६० में जांच करने के बाद बन्द कर दी गईं ?

श्री चरणसिंह--ये प्रश्न बहुत ब्योरे के हैं । इनके उत्तरों के लिये सूचना एकत्रित करने में बहुत अधिक श्रम, समय तथा व्यय की आवश्यकता होगी, जो प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुये लाभप्रद न होगा।

गोरखपुर में शान्ति भंग की आशंका में गिरफ्तारियां

*३९--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत मार्च, १९६१ ई० में गोरखपुर शहर में कितने व्यक्ति शांति भंग के अन्देशे में गिरफ्तार किये गये ?

श्री चरण सिंह--मार्च सन् १९६१ में गोरखपुर शहर में शांति भंग की आशंका होने के कारण २५ व्यक्ति धारा १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

*४०--**कुंवर श्रीपालसिंह**--[हटा दिया गया।]

*४१--**श्री रामदुलारे मिश्र**--[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

मंत्रियों के लिये निर्मित बंगलों में कार्यालय

*४२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बंगले मंत्रियों के रहने हेतु बनाये गये थे उन बंगलों में कौन-कौन से सरकारी कार्यालय अब खोले गये हैं ?

श्री राममूर्ति--विक्रमादित्य मार्ग पर मंत्रियों के हेतु बनाये गये पुराने बंगलों में निम्नलिखित सरकारी कार्यालय खोले गये हैं:--

बंगला संख्या १	वित्त मंत्री जी । (अस्थायी रूप से)
बंगला संख्या २	राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक का कार्यालय।
बंगला संख्या ३	संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय की शाखायें।
बंगला संख्या ४	मुख्य अभियंता (हाइडिल) विद्युत विभाग का कार्यालय।
बंगला संख्या ५	राज्य संपादक, जिला गजेटियर्स का कार्यालय ।

जमुअरिया खुर्द का बलवा

*४३--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा जमुअरिया खुर्द, थाना मेंहदावल (बस्ती) में कोई बलवा १८ मार्च, १९६१ को हो गया ? यदि हां, तो इस बलवे में कितने लोग मरे ?

श्री चरणसिंह--जी हां, बलवे में ३ व्यक्ति घटनास्थल पर मरे तथा १ घायल व्यक्ति बलवे के दूसरे दिन मरा।

*४४--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना कितने बजे हुई, उसकी सूचना पुलिस को कब मिली और उक्त घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस किस समय पहुंची ? क्या इस घटना की जांच में थानेदार से ऊंचा कोई पुलिस अधिकारी मौके पर गया ? यदि गया, तो किस तारीख को किस समय पहुंचा और घटना स्थल पर कब तक रहा ?

श्री चरणसिंह--घटना दिनांक १८-३-६१ को शाम को ५ बजे हुई जिसकी सूचना पुलिस को दि० १८-३-६१ को ९ बजे रात को प्राप्त हुई। पुलिस सूचना पाकर तुरन्त ही रवाना हो गई तथा ११-३० बजे रात को घटनास्थल पर पहुंची। सी० आई०, डी० एस० पी० तथा एस०पी० घटनास्थल पर गये थे। सी०आई० घटनास्थल पर दि० १९-३-६१ को ५ बजे शाम पहुंचे और २०-३-६१ को पौने पांच बजे शाम तक रहे, डी०एस०पी०

घटनास्थल पर दिनांक १९-३-६१ को १ बजे दिन में पहुंचे और ७ बजे शाम तक रहे, तथा पुलिस अधीक्षक, घटनास्थल पर दिनांक २१-३-६१ को ९ बजे सुबह पहुंचे और १ बजे दिन तक रहे।

*४५--श्री राजाराम शर्मा--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुअरिया खुर्द, थाना मेंहदावल (बस्ती) के संबंधार काश्तकारों की फसल और घर लूट लिये गये? क्या इस संबंध में सरकार के पास किसी को कोई चिट्ठी आई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है? क्या लूटपाट की जांच सरकार खुफिया द्वारा करायेगी?

श्री चरणसिंह--जी हां, शासन को प्रश्नकर्ता महोदय के दिनांक २९-३-६१ के २ पत्र प्राप्त हुये। मामले की जांच सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा की जा रही है।

खुफिया पुलिस द्वारा जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सरजू नहर योजना

*४६--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) श्री बलदेवसिंह तथा श्री लक्ष्मीनारायण (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरजू नदी सिंचाई योजना जो बनायी गई है उससे कौन-कौन जिले लाभान्वित होंगे और कितने एकड़ भूमि रबी और कितने एकड़ फसल खरीफ की सिंचाई होगी और योजना का कार्य किस तारीख से शुरू होगा?

श्री राममूर्ति--सरजू नहर योजना के अन्तर्गत जिला बहराइच, गोंडा और बस्ती में सिंचाई होगी। इस नहर से ४,१८,००० एकड़ की वार्षिक सिंचाई होने की आशा है जिसमें २,५१,००० एकड़ धान १,२५,५०० एकड़ रबी, तथा ४१,५०० एकड़ ईख है। इस योजना पर कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६१-६२) में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

जरगावें खगार की डकैती

*४७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जरगावें खगार, तहसील गरौठा, जिला झांसी में १८ जनवरी, १९६१ को भीषण डकैती पड़ी? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--ग्राम जरगांव खंगार, थाना गुरसरांय, जिला झांसी में दिनांक १८-१-६१ को सशस्त्र डकैती पड़ी। भा०दं० वि० की धारा ३९५/३९६ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। जांच के बाद ३ अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है तथा २ अभियुक्त अभी फरार हैं।

*४८--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डकैती में डाकुओं ने ग्राम के व्यक्तियों को जान से मार डाला? यदि हां, तो कितने लोगों को?

श्री चरणसिंह--डकैती में डाकुओं द्वारा ग्राम का केवल एक व्यक्ति मारा गया।

विधायक निवास में चोरियां

*४९--श्री रामदीन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास नम्बर १ और २ में मार्च, १९५७ से ८ अप्रैल, १९६१ तक कितनी चोरियां, किन-किन तारीखों में तथा किन-किन व्यक्तियों की हुई और क्या-क्या सामान गायब हुआ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना बहुत विस्तृत है। सदस्य महोदय यदि चाहें तो इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*५०--श्री रामदीन--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या ठोस कदम उठाये?

श्री चरणसिंह—विधायक निवास पर रात्रि तथा दिन में भी पुलिस के गश्त का पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया गया है। वे यदाकदा आने जाने वालों से बातचीत करके इस बात का प्रयास करते हैं कि संदिग्ध व्यक्ति वहां पर न पहुंच सकें।

*५१–५२—**श्री सजीवन लाल**—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले के पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*५३—**श्री कमलेशचन्द्र** (जिला शाहजहांपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में पुलिस विभाग में कितने शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी हैं?

श्री चरण सिंह—शाहजहांपुर जिले में पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के कुल ६९ कर्मचारी हैं।

*५४–५६—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५७–५९—**श्री राजेन्द्रदत्त** (जिला मुजफ्फरनगर)—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६०–६२—**श्री रामलखन** (जिला वाराणसी)—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६३–६४—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला फर्रुखाबाद)—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

चित्रा मियादपुर में महादेव पासी की लड़की का कत्ल

*६५—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले के अन्तर्गत थाना पुरवा के ग्राम चित्रा मियादपुर में महादेव पासी की लड़की का फरवरी या मार्च, १९६१ में कत्ल कर दिया गया? यदि हां, तो उस पर स्थानीय पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह—जी हां, ग्राम चित्रा मियादपुर में दिनांक १५–२–६१ को श्री महादेव पासी की पुत्री की हत्या हो जाने के बारे में थाना पुरवा पर उसी दिन एक रिपोर्ट मृतक के चाचा द्वारा की गई थी।

जांच के उपरान्त पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है।

*६६—**श्री यमुनासिंह तथा श्री विश्वनाथराय**—[हटा दिया गया।]

सहकारी नलकूपों को शासनाधिकार में लेना

*६७—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कितने सहकारी ट्यूबवेल को सरकार लेने जा रही है और क्यों?

श्री राममूर्ति—चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा लिये जाने वाले सहकारी नलकूपों का प्रोग्राम अभी नहीं बना है।

*६८–७०—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७१–७२—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७३—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*७४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*७५–७६—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*७७–७८—श्री सुखीराम भारतीय (जिला इलाहाबाद)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

सुबेहा कैनाल में झाल तोड़ देने की शिकायत

*७९—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत परगना सुबेहा में हैदरगढ़ से सुबेहा कैनाल में ६ मील पर झाल (टेल) और खानापुर माइनर में ३ मील पर झाल (टेल) तोड़ देने के कारण किसानों को सिंचाई डाल द्वारा करनी पड़ती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, परगना सुबेहा में राजबहा सुबेहा के मील ६ पर कोई झाल नहीं थी। इसी राजबहे के मील ६ फर्लांग १ पर जो झाल थी वह मौजूद है।

माइनर खानपुर के मील ३ पर भी कोई झाल नहीं थी तथा मील ३ फर्लांग १ पर जो झाल थी वह भी मौजूद है ।

*८०—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त झालों (टेलों) को तोड़ देने के कारण किन-किन गांवों के किसानों को डाल द्वारा कितनी भूमि की आब-पाशी करनी पड़ती है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता ।

मवाना ग्राम से नहर विभाग के विरुद्ध शिकायत

*८१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास ग्राम मवाना, जिला मेरठ से इस प्रकार की शिकायत गत २५ मार्च से ४ अप्रैल के बीच आई है कि नहर विभाग की उपेक्षा के कारण तोड़ क्षेत्र डाल हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस विषय पर श्री भद्र प्रकाश गोयल का एक छपा हुआ पत्र मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को मिला है जिस पर जांच कराई जा रही है ।

श्री गोयल ने पहले भी इस विषय पर प्रार्थना-पत्र भेजे थे जिनकी मौके पर जांच कराई गई थी और उनकी प्रार्थना के निर्मूल होने की सूचना भी उनको दी जा चुकी थी ।

*८२—श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*८३–८५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

ट्यूबवेल कालोनी के लिये असौरा ग्राम की जमीन लेना

*८६—श्री विजयशंकरसिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने हापुड़ जिला मेरठ में ट्यूबवेल कालोनी बनाने के वास्ते ग्राम असौरा में कौन-कौन नम्बरान की कितनी जमीन किस भाव में किस साल में हासिल की ?

श्री राममूर्ति----हापुड़, जिला मेरठ में ट्यूबवेल कालोनी बनाने के लिये ग्राम असौरा में खेत नम्बर २२९७/१, २२९६--१, २३००--२ और २३०२--२ की कुल ४,७९४ एकड़ भूमि २,३१८ रुपये फी एकड़ के भाव पर सन् १९५९ में ली गई थी।

*८७--८९----**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)----[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

विकास खंडों में कृषि फार्म खोलने की योजना

*९०----**श्री मुक्तिनाथ राय**----तारांकित प्रश्न संख्या ४२ व ४३ दिनांक ११ अप्रैल, १९६१ के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ कृषि करने वाले लोगों को सरकार बड़ा कृषक मानती है और कितने एकड़ की काश्त करने वालों को छोटा कृषक ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह----कोई परिभाषा तो नहीं की गई परन्तु सामान्यतः ४, ५ एकड़ के किसान की जमीनें जहां तक सम्भव है नहीं ली जाती हैं।

*९१----**श्री मुक्तिनाथ राय**----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक विकास खंड में पच्चीस एकड़ का कृषि फार्म खोलने की योजना प्रदेश सरकार की है या योजना आयोग द्वारा बनाई गई है ?

श्री चरणसिंह----योजना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई। यह एक अखिल भारतवर्षीय योजना है। प्रदेश सरकार ने उसको स्वीकार किया।

*९२----**श्री मुक्तिनाथ राय**----यदि योजना, आयोग की है तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश सरकार ने भी कोई सुझाव इस सम्बन्ध में योजना आयोग को दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह----उन्नति बीज उत्पादन तथा वितरण की योजना, योजना आयोग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से सारे भारत वर्ष के लिये बनाई गई थी और इसको अन्तिम रूप देने में राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया था। इस सम्बन्ध में दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निश्चय हुआ कि हर एक N. E. S. BLOCK में एक फार्म २५ एकड़ का उन्नति बीज उत्पादन के लिये खोला जाय। राज्य सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि भूमि के उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार को इस बात की इजाजत दी जाय कि जहां भूमि ज्यादा उपलब्ध हो वहां एक फार्म यूनिट के स्थान पर कई यूनिट २५--२५ एकड़ के खोल दिये जायं और इस बात पर जोर न दिया जाय कि हर N. E. S. BLOCK में एक २५ एकड़ का फार्म अवश्य हो। बहुत विचार परामर्श करने के बाद यह निश्चय हुआ कि जहां तक हो हर ब्लाक में एक २५ एकड़ का फार्म खोला जाय, परन्तु विशेष अवस्था में ४ यूनिट अथवा १०० एकड़ का फार्म एक स्थान पर उनकी स्वीकृति से स्थापित हो जाय। इसी योजना के अनुसार फार्म खोले जा रहे हैं।

मुट्ठीगंज अनाथालय, इलाहाबाद में श्रीमती शान्तिदेवी की श्रीमती सरला देवी द्वारा हत्या

*९३----**श्री सुरेशप्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ मार्च १९६१, की रात को इलाहाबाद के किसी अनाथालय में किसी युवती का कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री चरणसिंह----दिनांक १५--३--६१ को नहीं वरन् २५/२६--३--६१ को इलाहाबाद के मुट्ठीगंज अनाथालय में श्रीमती शांति देवी नामक महिला की हत्या हुई थी। यह हत्या राजकीय हेल्थ स्कूल की छात्रा श्रीमती सरला देवी द्वारा कावड़ से की गई थी।

*९४-श्री सुरेशप्रकाशसिंह---क्या सरकार को यह सूचना है कि इलाहाबाद स्वास्थ्य निरीक्षिका शिक्षण केन्द्र (Health Visitors Training School) की किसी छात्रा द्वारा यह कत्ल किया गया था ?

श्री चरणसिंह---जी हां ।

इलाहाबाद में निहालपुर के श्री चन्दन लाल की पत्नी का कत्ल

*९५---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि मुहल्ला निहालपुर, इलाहाबाद में श्री चन्दन लाल की पत्नी का कत्ल २३ मार्च, १९६१ को कर दिया गया ?

श्री चरण सिंह---जी हां ।

*९६---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री चन्दन लाल की पत्नी की हत्या के अपराध में किन-किन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई ?

श्री चरण सिंह---केवल श्री चन्दन लाल की गिरफ्तारी हुई है ।

*९७---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या यह सत्य है कि इस हत्या के किसी अपराधी की जेल में मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु का क्या कारण था ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

जलकुण्डी योजना

*९८---श्री बलदेव सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बहराइच जिले की सरहद पर राप्ती नदी पर जलकुन्डी योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण करवा रही है ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---जी हां । ३०-४-१९६१ तक कुल ३,०२,८६५ रु० ।

*९९---श्री बलदेवसिंह---सर्वेक्षण का कार्य कब आरम्भ हुआ और क्या नेपाल राज्य से इसकी स्वीकृति मिल गई ?

श्री राममूर्ति---सर्वेक्षण कार्य नवम्बर १९५५ में प्रारम्भ किया गया था तथा नेपाल सरकार से स्वीकृति मिल गई थी ।

*१००---श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)---[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया ।]

विधायक निवास में बाहरी लोगों का रहना

*१०१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों में कितने कमरे ऐसे हैं जिनमें विधायक नहीं रहते दूसरे लोग रहते हैं ?

श्री राममूर्ति---मांगी हुई सूचना मेज पर रखी हुई तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

विधायक निवास कर्मचारियों को इतवार को छुट्टी देने की प्रार्थना

*१०२---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने पिछले १ माह की अवधि में क्या सरकार के सामने यह मांग रखी है कि विधायक निवास के कर्मचारियों को भी अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान महीने में चार रविवार को अवकाश दिया जाय ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं ।

**१०३-१०४---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

विकास खंडों में कृषि फार्म के लिये भूमि

*१०५---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा प्रत्येक विकास खंड में खोले जाने वाले शासकीय कृषि फार्म के लिये अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम द्वारा अतिरिक्त भूमि को लेने में सरकार के सामने क्या अड़चन है ?

श्री चरणसिंह---अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम द्वारा अतिरिक्त भूमि यदि (१) कृषि योग्य होगी (२) कम से कम २५ एकड़ के एक चक में होगी, तथा आवागमन के साधन सुगम होंगे तो कृषि फार्म के लिए लेने में कोई अड़चन नहीं होगी ।

*१०६-१०७---श्री यमुनासिंह---[तेरहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये ।]

दिबियापुर थाने में लाइसेन्स शुदा बन्दूकों का जमा किया जाना

*१०८---श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, १९५० में पुलिस स्टेशन दिबियापुर, जिला इटावा में लाइसेंस शुदा कितनी बन्दूकें जमा कराई गई थीं और क्यों ? उन बन्दूकों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह---पुराने कागजात तलफ (weed out) हो गये, अतः प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

दिबियापुर फफूंद थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*१०९---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के थाना दिबियापुर-फफूंद के अन्तर्गत एक जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक कुल कितनी चोरियां, नकबजनी, राहजनी, फौजदारियां, डकैतियां और कत्ल हुये हैं ?

श्री चरणसिंह---इटावा जिले के थाना दिबियापुर के अन्तर्गत एक जनवरी, ६० से ३१ मार्च, १९६१ तक १० चोरी, २ नकबजनी, एक राहजनी, २ फौजदारी, एक डकैती तथा एक कत्ल तथा थाना फफूंद के अन्तर्गत २५ चोरी, १३ नकबजनी, ६ फौजदारी, २ डकैती तथा एक कत्ल की घटनाओं की रिपोर्ट हुई ।

*११०---श्री भजनलाल---उपर्युक्त सम्बन्धित अपराधों में कुल कितने धन व जन की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह---उपर्युक्त संबंधित अपराधों में थाना दिबियापुर में कुल ९,७७८ रु० ७१ न० पै० तथा एक व्यक्ति की क्षति हुई । थाना फफूंद में कुल ८३,३४२ रु० ७४ न० पै० तथा एक व्यक्ति की क्षति हुई ।

*१११---श्री भजनलाल---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अपराधों से सम्बन्धित कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने गिरफ्तार करने को शेष हैं और क्यों ?

श्री चरणसिंह---थाना दिबियापुर में उपर्युक्त संबंधित अपराधों में कुल ५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ५ व्यक्ति जो फरार हैं, गिरफ्तार करने को शेष हैं । थाना फफूंद में कुल १०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा ३ व्यक्ति जो फरार हैं गिरफ्तार करने को शेष हैं ।

*११२---श्री जंगबहादुर वर्मा---[तेहरवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*११३-११४—श्री मुनीन्द्र पालसिंह (जिला पीलीभीत), श्री प्रतापसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय—[तेरहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कृषि तथा पुलिस विभाग में परिगणित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*११५—श्री रामदीन—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में प्रदेश भर में ३१ दिसम्बर, १९६० को कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे ?

श्री चरणसिंह—कृषि विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या ३१ दिसम्बर, १९६० को ११,४६१ थी, इनमें ७८९ परिगणित जाति के तथा २,१२८ पिछड़े वर्ग के थे ।

*११६—श्री रामदीन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० को पुलिस विभाग के अन्तर्गत कितने अधिकारी तथा कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड जाति के थे ?

श्री चरण सिंह—सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ५९८ पर)

शानदेव कैम्प में तिब्बती शरणार्थियों पर व्यय

*११७—श्री प्रताप सिंह तथा श्री बदलू राम (जिला बहराइच)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ शानदेव कैम्प में कितने तिब्बती रिफ्यूजी रहते हैं और आजकल उन पर कितना खर्चा प्रतिमाह हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—शानदेव कैम्प में इस समय ८८४ तिब्बती रिफ्यूजी रहते हैं इस कैम्प पर वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कुल खर्च ७४,३५७ रुपया हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

कृषि तथा सिंचाई विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना

१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सिंचाई मंत्री सिंचाई विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग के †प्लान की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्र सिंह—क्या कृषि मंत्री कृषि विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—कृषि विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का पर्याप्त विवरण आय-व्ययक संबंधी साहित्य १९६१-६२ के खंड ३ (आयोजनागत) में दिया हुआ है । नियोजन विभाग द्वारा भी एक विवरण शीघ्र दो खंडों में प्रकाशित होने वाला है जिसमें अन्य विभागों के साथ-साथ कृषि विभाग की भी तृतीय पंचवर्षीय विकास योजनाओं का पूर्ण विवरण होगा । इसका खंड २ प्रकाशित हो चुका है और नियोजन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है ।

३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्र सिंह—क्या गृह मंत्री गृह विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री चरणसिंह---योजनागत विभागों की श्रेणी में न होने के कारण गृह विभाग की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है।

१९४८ के यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार वित्त विभाग की विज्ञप्ति के अन्तर्गत प्रख्यापित संशोधन*

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू०पी० बिक्री-कर नियम, १९४८ में, वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी० १६४२/१०--१०६१-५१, दिनांक २८ मार्च, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९४८ ई० के यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में विधान परिषद् से प्राप्त संशोधनों में शुद्धियों की सूची†

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों की सूची में जो ५ मई, १९६१ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विधान परिषद् से प्राप्त शुद्धियों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष के निर्णय में उद्धरित गृहमंत्री के पत्र के संबंध में श्री गोविन्द नारायण तिवारी, द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---मैंने उस रोज यह सूचना दी थी माननीय गोविन्दनारायण जी को कि गृह मंत्री जी ने जो पत्र मुझे लिखा था, उसके संबंध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण जो देना चाहें वे दे सकते हैं, वह अब कृपा करके दें।

‡**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया और मैं इस सदन के उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाय।

श्रीमन्, आज स्पष्टीकरण देने के सिलसिले में मेरे सामने एक थोड़ी-सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि १२ तारीख को मैंने एक पत्र आपकी सेवा में भेजा और आपसे यह प्रार्थना की थी कि एस०पी० जालौन के जिस पत्र को गृह मंत्री जी के जवाब के साथ आपने इस सदन में कोट किया था, वह पत्र मुझे पूरे रूप से दे दिया जाय ताकि मैं स्पष्टीकरण को ठीक प्रकार से तैयार कर सकूं। लेकिन केवल आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें आपने मुझे यह सूचना दी कि गृह मंत्री महोदय इस बात के लिये तैयार नहीं हैं। आपने मुझे यह भी सलाह दी कि मैं गृह मंत्री महोदय से इस विषय में बात करूं। मेरा आपसे केवल यह निवेदन है कि आपने पुलिस कप्तान के पत्र का केवल एक अंश उद्धृत किया था लेकिन उसका बाकया जो अंश था वह ऐसा था जिसमें हमारा मामला पूरे तौर से साफ हो जाता था, जिससे हम अपनी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते थे। मुझे दुख है कि उस पत्र में जो आगे बात लिखी थी उससे मुझे अवगत नहीं कराया।

श्री अध्यक्ष---आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिये, क्योंकि आप खुद भी अपनी ओर से सफाई दे सकते हैं।

---

*छापे नहीं गये।
†छापी नहीं गई।
‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं वही कर रहा हूं। इस सिलसिले में मेज पार्लियामेंन्टरी प्रेक्टिस के पेज ४६० की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote from a despatch or other state paper not before the House unless he be prepared to lay it upon the table. This restraint is similar to the rule of evidence in courts of law, which prevents counsel from citing documents which have not been produced in evidence. The principle is so reasonable that it has not been contested.'

इस प्रिन्सिपल के आधार पर मेरी ओर से यह मांग करना उचित ही था और मैं इस आशा में था कि वह पत्र मुझे मिल जायगा। बहरहाल मैं अभी औरैया गया और विश्वस्तसूत्र से मुझे मालूम हुआ कि उस पत्र में हमारे जिम्मेदार कांग्रेसी लोगों के ऊपर यह भी आरोप था कि उन्होंने अभिलाख सिंह डाक को अपने गांव में रोका।

श्री अध्यक्ष—आपके ऊपर जो यह चार्ज है कि आपने ११० दफा के मुल्जिम की जमानत दी, पहले आप उसके बारे में कहें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—उस पत्र में इस तरह की बात थी....

श्री अध्यक्ष—पहले आप अपना स्पष्टीकरण दे दें, फिर कारण भी बता दें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—स्पष्टीकरण के संबंध में मेरी दूसरी एक दिक्कत और है। मैंने कल उरई जाकर इस संबंध में कुछ डाकूमेन्ट्स देखने की दरख्वास्त दी और ३० रुपये का टिकट लगा कर अर्जेन्ट मुआयने की दरख्वास्त दी ताकि मैं कागजात की नकलें हासिल कर सकूं और अपने स्पष्टीकरण की रिपोर्ट में सार्टिफाइड डाकूमेन्ट्स पेश कर सकूं लेकिन हमें बहुत दुख है कि सबेरे ७ बजे से सवा १२ बजे तक निरन्तर कोशिश करने के बावजूद भी वह हमें न मिल सके। जिलाधीश से तीन बार कहने के बावजूद भी उन डाकूमेन्ट्स का इन्सपेक्शन या सर्टिफाइड कापीज का मिलना न हो सका....

श्री अध्यक्ष—आपको सफाई नहीं देना है, आप को तो अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है। आप जो कहते हैं कि....

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सामने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने में दिक्कतें पेश हुईं उन से केवल मैं आपको पहले अवगत कराना चाहता हूं।...

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन में प्रश्न केवल यह था कि माननीय गोविन्द नारायण तिवारी ने उक्त व्यक्ति की जमानत ली या नहीं ली और अगर ली तो उक्त व्यक्ति को घर पर रखा या नहीं? यही पर्सनल एक्सप्लेनेशन का विषय हो सकता है, सदन यही जानने के लिये इच्छुक है कि उन्होंने जमानत ली या नहीं ली और उस को घर पर रखा या नहीं रखा? यही मूल प्रश्न इसका है।

श्री अध्यक्ष—यही मैं कह रहा हूं कि पहले तिवारी जी स्टेटमेंट दें और फिर कारण बतायें।

*__श्री गौरीशंकर राय__ (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। उस दिन व्यवस्था देते समय आप ने एस० पी० का पत्र पढ़कर सुनाया था, उसका उद्धरण पढ़कर सुनाया था। आज माननीय गोविन्द नारायण तिवारी ने मेज पार्लियामेन्टरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

प्रैक्टिस का उद्धरण देते हुये बताया कि यह हमारा प्रिविलेज है कि जिस चीज को सदन में कोट किया जाता है उसका पूरा अंश माननीय सदस्य को दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि उस पत्र का अंश आप को मिल सका तो आप उनको माननीय गृह मंत्री जी से पूरा क्यों नहीं दिला सके? क्या आप चौधरी चरण सिंह जी से उस को नहीं दिला सकते थे? आज माननीय तिवारी जी को अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने में दिक्कत पड़ रही है, केवल अपनी पार्टी के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिये वह पत्र नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि आप उस पत्र को दिलायें और माननीय गोविन्दनारायण जी को अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना निवेदन..

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय गौरी शंकर राय जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसका निर्णय अभी नहीं हुआ और उसके पहले ही आप ने माननीय नवल किशोर जी को मौका दे दिया।

श्री अध्यक्ष—वह उसी पर कह रहे हैं।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठा कर और कन्फ्यूजन पैदा किया है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन या अपनी निजी सफाई देना दूसरी चीज होती है, लेकिन वह तो अपनी सफाई की पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बारे में यह होता है कि अगर कोई गलत बात होती है....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो सवाल उठाया है वह उस से संबंधित नहीं है। आप तो दूसरी बात कह रहे हैं.....

श्री नवलकिशोर—मैं श्रीमन्, वही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि एस० पी० की जो चिट्ठी आई उस में से जो चीज आपने कोट की उनको अधिकार है कि उस पूरी चिट्ठी को आप उन को मंत्री जी से दिलायें। मेरा कहना यह है कि जो आपने उन को मौका दिया कि वह बतायें कि वह चार्जेज जो उन पर हैं वह सही हैं या नहीं है। केवल इतना ही अधिकार उन को है और उसका संबंध उतने से है। अब पूरी चिट्ठी पर्सनल हो या प्राइवेट, यह मांग पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर कतई लागू नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि यह बातें किस कंटेक्स्ट में कही गई थीं, इसलिये कि एक गलत बात चौधरी चरणसिंह जी ने कही थी। दूसरी बात मैंने यह कही थी कि गवर्नमेंट पार्टी के होम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के लोगों के कुकृत्य को छिपाने के लिये कही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे कि बीच में नेकराम जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया और दूसरा व्यवस्था का प्रश्न गौरीशंकर राय जी ने उठाया और तीसरा प्रश्न नवल किशोर जी ने उठाया।

श्री अध्यक्ष—वह तीसरा अलग से नहीं था, वह तो उसी दूसरे के संबंध में था।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हो यह रहा है कि आप एक व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी रूलिंग तो नहीं दे पाते उसी बीच में दूसरा और तीसरा व्यवस्था का प्रश्न उठता चला जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप पहले एक व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी रूलिंग दे लीजिये। तमाम अव्यवस्था हो रही है। इस अव्यवस्था के लिये पहले व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष—जो गौरीशंकर राय जी ने प्रश्न उठाया कि मैंने उनसे वह पत्र प्राप्त करने के लिये कोशिश क्यों नहीं की, तो उसका कारण यह है कि यह जो चीज है, उस पत्र के उद्धरण के रूप में है। मैंने उनसे पत्र से पूछा था कि अमुक घटना के बारे में आपकी क्या जानकारी है और किस जानकारी के भरोसे पर आपने अमुक बात कहीं। तो उन्होंने वह उद्धरण दे दिया जो इससे संबंधित है। अब जब गोविन्द नारायण जी ने मुझ से कहा कि वह पत्र पूरा मिल जाय तो उनको सहूलियत हो जायगी, उसका कारण नहीं बतलाया, केवल इतना ही कहा कि सहूलियत हो जायगी। तब मैंने गृह मंत्री जी से कहा कि क्या आप पत्र दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जितना पत्र का भाग संबंधित था इस विषय से उसका उद्धरण दे दिया और पूरा पत्र देने के लिये वह तैयार नहीं हैं। मैंने श्री गोविन्द नारायण जी को ऐसा लिख दिया कि यह चीज है।

एक दूसरा सवाल यह उठाया गया मेज पार्लियामेंन्टरी प्रैक्टिस को कोट करके तो यह डिबेट तो नहीं हो रही है। अगर डिबेट में उद्धरण दिया होता और आप पूरा पत्र उसी समय मांगते तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की प्रथा के अनुसार होता। पर यह डिबेट नहीं है। श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी ने उस दिन यह कहा था कि हम कुछ वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं और उसे वे उसी रोज ही देना चाहते थे। उस रोज उनके सामने पूरा पत्र नहीं था तो भी उस रोज वे स्पष्टीकरण देने के लिये तैयार थे।

जहां तक पूरे पत्र के लिये गृहमंत्री जी को कम्पेल करने का संबंध है, जब आपके स्पष्टीकरण में ऐसी चीज आगे निकले और जिसके लिये आवश्यक हो कि वह पत्र सदन में लाया जाय तो सोचा जा सकता है। वैसे वैयक्तिक स्पष्टीकरण होता है अपनी जानकारी के आधार पर, दूसरे की जानकारी से उसका संबंध नहीं है। आप अपनी जानकारी से गृह मंत्री जी के पत्र में कही बात को कन्ट्राडिक्ट करिये या बताइये और फिर आपके स्पष्टीकरण से यह पता चले कि पूरे पत्र की आवश्यकता है तो उस पर विचार होगा। लेकिन वैयक्तिक स्पष्टीकरण के वक्त और अपनी जानकारी देते वक्त दूसरे की जानकारी की जरूरत नहीं होती, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जानकारी दें इस विषय में कि ११० में कोई चालान किये हुये व्यक्ति की आपने जमानत दी या नहीं दी, या आपने उसको अपने घर में रखा या नहीं रखा है। अगर रखा है तो आप वह बता सकते हैं कि क्यों रखा था और अगर नहीं रखा है तो कह सकते हैं कि यह गलत रिपोर्ट है। यह आपकी तरफ से आना चाहिये आपके वैयक्तिक स्पष्टीकरण में। बस मैंने अपना निर्णय दे दिया, यह आपका काम है कि आप अपने स्पष्टीकरण में बताये कि यह गलत है या सही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सारा विषय वास्तविकता से पृथक होता जा रहा है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस विषय में प्रश्न सिर्फ यह था कि अमुक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और माननीय चरणसिंह ने हाउस में इस तरह से बात कह दी। प्रश्न यह है कि जो बात चरणसिंह जी ने हाउस में कही थी अखबार में वह छपी या नहीं और अगर छपी है तो जो बात चरणसिंह जी ने कही थी वही छपी है या दूसरे प्रकार से छापी गई है और दूसरे जो चरणसिंह जी ने कप्तान पुलिस की रिपोर्ट भेजी है वह गलत है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष—वह यह कह सकते हैं वह गलत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—बार-बार वह प्रश्न....

श्री रामस्वरूप वर्मा—आपने जो व्यवस्था दी वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो सदन में यहां डिबेट हो और अगर कोई चीज पढ़ी जाय तो आप कम्पेल कर सकते हैं कि वह देनी चाहिये। माननीय चरण सिंह जी ने जब बजट स्पीच हो रही थी तो एक पत्र का अंश पढ़ा था जो कप्तान ने भेजा था। हमारे दल की तरफ से बार-बार कहा गया कि वह दें....

श्री अध्यक्ष---उस रोज आप कहते, आज तो नहीं कह सकते।

श्री रामस्वरूप वर्मा---आप उनसे मंगवाइये।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, एक गलतफहमी रह गई---आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है। पूरे खत को मांगने का इनका पार्लियामेंट्री राइट है और आपने यह कहा कि अगर चरणसिंह जी होते और डिबेट में आये होते। वह डिबेट में इसलिये नहीं आये कि बीमार हैं। अगर हाउस में होते तो हम मांग लेते और....

श्री अध्यक्ष---लेकिन वह इन्कार तब भी कर देते।

श्री गौरीशंकर राय---मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि उनका इन्कार करना कहां तक उचित है और मैं आपकी असमर्थता और मजबूरी के संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि आप नहीं मांग सकते ?

श्री अध्यक्ष---जब यह स्टेटमेंट अपना दे लेंगे तो मैं आवश्यकता जज करूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---What about his Parliamentary right ?

श्री अध्यक्ष---वह नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---आप श्रीमन्, स्पष्ट व्यवस्था कर दें कि यह राइट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---स्पष्टीकरण देते वक्त नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यों है कि एक अभी अभी यह व्यवस्था हुई कि डिबेट में अगर उसको कहीं कोट किया जाता तो मिल जाता....

श्री अध्यक्ष---मिल जाता, मैंने नहीं कहा। तब आप रोक सकते थे कि आप नहीं पढ़ सकते जब तक आप इसको हमारे सामने पेश नहीं करते।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिविलेज मोशन की जो डिबेट हुई और जिसके सिलसिले में हमें एक्सप्लेनेशन के लिये आज्ञा दी गई उसी सिलसिले में, गृहमंत्री यहां नहीं थे, गृहमंत्री की तरफ से वह कोट किया गया है। तो जैसा पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में लिखा है, गृहमंत्री जी ने उसे कोट किया और उसी डिबेट के सिलसिले में मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिये वह हमें मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यहां पर थोड़ी सी गलतफहमी है। हमारे पर्सनल एक्सप्लेनेशन के स्कोप को आप डिफाइन कर दें। क्या यह स्कोप उस तरह का है जैसे कि विटनेस बाक्स में गवाह खड़ा होता है और जिरह का सवाल पूछा जाता है और कहा जाता है कि जवाब हां या न में दो ? और अगर यह नहीं है तो क्या उसके स्कोप में वह बैकग्राउन्ड जिसमें कि हमारे ऊपर चौधरी चरणसिंह ने वह लांछन लगाए और उनकी सारी की सारी स्पीच है ? श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चरणसिंह जी ने केवल यही बात कही होती कि उरई के एक असेम्बली के सदस्य ने ११० वाले की जमानत की और अगर हम कंट्राडिक्ट करते तो कहते कि बताइए की या नहीं, यही नहीं है बल्कि यह है कि प्रश्रय दिया और बंगले पर रखा और बजट की डिबेट का जो भाषण है उसमें जितने इंसीनुएशंस और इम्प्यूटेशंस हैं हमारे खिलाफ, तो जो हमारा पर्सनल एक्सप्लेनेशन का स्कोप है उसमें वह सब शामिल है।

जिस तरह से हमको मिसरिप्रेजेन्ट किया गया और एक नई तरह की बात पोलिटिकल ग्राउंड पर की गई उस पर अगर सफाई देने का अधिकार है और सारी की सारी बैक ग्राउंड पुलिस की और पालिटिक्स की दे सकें तब तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब है, लेकिन अगर यह हो कि उस गवाह की तरह से कहें जिससे कि यह कहा जाता है कि हां या नहीं में जवाब दो तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात बिलकुल बेकार है।

मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन में यह बताना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में चौधरी साहब ने यह बात क्यों और किस कारण से कही और किन परिस्थितियों में कप्तान ने हमारे खिलाफ लिखा और किन परिस्थितियों में हम जिला जालौन में रहा करते हैं और इन सब परिस्थितियों के फलस्वरूप किन परिस्थितियों में हमने एक आदमी की जमानत की, यह बात भी कह सकूं तो ठीक है। एक कत्ल का मुकदमा हो और अगर मुल्जिम से कहा जाय कि यह बताओ तुमने कत्ल किया कि नहीं किया, बिलकुल स्कोप वाली बात हो जाती है। क्या उनको इस बात का अधिकार है कि वह परिस्थितियां भी स्पष्ट करें जिससे वह implicate होता है या ऐक्सानरेट होता है? अगर हमारे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का स्कोप, जिस दृष्टिकोण से हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वह है तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात ठीक है। और अगर हमसे यही पूछना है कि मैं यह बताऊं कि ११० की जमानत की थी या नहीं, तो फिर हमारे पर्सनल एक्सप्लेनेशन के कोई माने नहीं होते।

श्री अध्यक्ष----उन्होंने एक प्रश्न रखा। मैंने उनको पहले भी कहा था, शायद उनको गलतफहमी हो गई। मैंने कहा कि यह स्टेटमेंट एक ऐसर्शन है इस बात का कि आपने जमानत दी और आपने ११० वाले को अपने घर में रखा। इस तरह की पुलिस कप्तान की रिपोर्ट थी जो उन्होंने आई० जी० को भेजी, उसमें वह बात आ गई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आप भी वहीं के रहने वाले हैं, आपने पता लगाया है?

श्री अध्यक्ष----उसका पता लगाना मेरा काम नहीं है। आपने कहा कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन में, जो फैक्ट्स दिये हैं, उन फैक्ट्स को पहले दे कर उसके कारण को जस्टीफाई करें और आप कहें कि दी या नहीं दी। तो आप कारण बता सकते हैं कि किस परिस्थिति में आपने दी। फिर तो यह प्रश्न नहीं उठता है अगर यह स्टेटमेंट देते हैं कि जमानत दी। तो इस विषय में कोई गलतफहमी हो गई है।

अगर आप कहते हैं कि गलत बात है तो आप बैकग्राउन्ड दे सकते हैं जिस परिस्थिति में यह रिपोर्ट दी गई, झूठी रिपोर्ट दी गई। तो वह तो आपके इस स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। और एक्सप्लेनेशन में अगर आप दोनों चीजें कबूल करते हैं और उसको आप जस्टीफाई समझते हैं कि हमारा प्रिन्सिपल है, लीगल राइट है, तो उसमें कोई दूसरी चीज आती नहीं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का झगड़ा है। फैक्ट्स एक से हैं लेकिन प्रिंसिपिल अलग हो जाता है। अगर आप कहते हैं यह चीज हमने की ही नहीं है, तो क्यों झूठ लगाया गया, पुलिस के एस० पी० से क्या झगड़ा था या किसी ने कैसे उसके कान भरे आप कह सकते हैं, जब कि आप इन्कार करते हैं। लेकिन जब आप इकरार करते हैं और सिर्फ इसका जस्टीफिकेशन दें कि हम प्रिंसिपल से मानते हैं कि हमने ठीक किया, इन्नोसेंट आदमी फंसता था इसलिये किया, इसे आप कह सकते हैं, कारण बता सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट आपको देना है पहले कि यह चीज कहां तक सही है। यह देते हुए आप अपना स्टेटमेंट दें। यह नहीं कि प्रिलिमिनरी आब्जेक्शन उठायें, क्योंकि यह कोर्ट नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी----श्री राम स्वरूप की जमानत की बाबत जो बात माननीय गृह मंत्री महोदय ने या एस० पी० ने जो पत्र लिखा था उसके विषय में मैं यह निवेदन करूं कि मैंने राम स्वरूप की जमानत दी थी।

एक सदस्य---शेम, शेम।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---जब शेम वाली बात होगी तो शेम का भी जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप गरम न होइये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं गरम नहीं होता ।

श्रीमन्, उसकी मां को गांव के पुलिस के चौकीदार ने अपने घर में रख लिया था और उसके मकान पर कब्जा कर लिया था । राम स्वरूप ने इसका विरोध किया चौकीदार का । चौकीदार लड़ गया, थानेदार ने ११० का मुकदमा चलाया । राम स्वरूप गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहां नौकर था । जब गांव वालों ने उसकी जमानत करनी चाही तो थानेदार ने गांव वालों को धमकाया । थानेदार ने यह कहा कि जो कोई इसकी जमानत करेगा उसको हम जेल में बन्द कर देंगे । गांव वाले डरे, वे मेरे पास आये । मुझसे थानेदार की शिकायत की और अपनी मजबूरी जाहिर की । उन लोगों ने कहा कि दफा ११० में अदालत हुक्म देती है कि जमानत करो लेकिन अगर हम जमानत करते हैं तो थानेदार कहते हैं कि हम जेल में बन्द कर देंगे । रामस्वरूप मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उसका चालचलन निहायत अच्छा है और उसकी कोई शिकायत नहीं है । इन परिस्थितियों में मैंने उसकी जमानत की । लेकिन यह कहना बिलकुल गलत है कि मैंने उसको अपने बंगले पर रखा । और यह कहना तो सरासर इनसिनुएशन है कि मैंने उसको किसी तरह का प्रश्रय दिया ।

और श्रीमन्, किसी आदमी को अपने घर पर रखने में और किसी को प्रश्रय देने में बड़ा डिफरेन्स है । प्रश्रय देने के माने हैं कि किसी को जुर्म करने के लिये प्रोत्साहित करना । तो यह बात जो एस० पी० के लेटर में भी नहीं है लेकिन चौधरी चरणसिंह जी ने प्रश्रय देने वाली बात कही, यह बिलकुल गलत है । उसके बाद श्रीमन्, उसके ऊपर मुकदमा चला । मैं एक बात यह भी बता दूं कि सन् ५४ से ६० तक उसकी बिलकुल क्लीन स्लेट थी । तबतक कोई मुकदमा, किसी तरह की कोई अरेस्ट, कोई प्रासीक्यूशन या किसी तरह की कोई बात उसके खिलाफ नहीं हुई थी । गांव वाले सब एक मत थे कि उसका चालचलन निहायत अच्छा है । चूंकि उसकी मां को चौकीदार ने जबरदस्ती अपने घर में डाल लिया है और उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, ऐसी सूरत में थानेदार से मिल कर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया । एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि जब भी कभी इस तरह की समस्या आयेगी तो मैं जरूर करूंगा और ऐसा करने में मुझको किसी तरह की शर्म नहीं है । भारतवर्ष का कानून हमें यह अधिकार देता है और जब कभी परिस्थिति की मांग होगी और न्याय का हनन होगा तो मैं अपने इस अधिकार का प्रयोग करूंगा । हमें यह अधिकार कानून में दिया गया है ।

हमारे जो दोस्त शर्म वाली बात कहते हैं.....

श्री अध्यक्ष---अब उस बात को जाने दीजिये ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---बहुत अच्छा । श्रीमन्, एक बात मैं यह भी निवेदन करूं कि मैं यह बिलकुल जानता था कि वह बिलकुल झूठा फंसाया गया था और मैं इस बात पर संतुष्ट था कि सन् ५४ से उसकी बिलकुल क्लीन स्लेट थी । हमारी यह मजबूरी है कि मैं परिस्थितियों को उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाता जिस दृष्टिकोण से उरई के कप्तान पुलिस या गृह मंत्री मुझे दिखाना चाहते हैं । मैं भारतवर्ष के संविधान के अनुसार डिगनिटी आफ दि इंडिविजुअल में विश्वास करता हूं । श्रीमन्, आपको मालूम है कि मैं दफा १०७, १०८, १०९ और ११० को हिन्दुस्तान की स्टेट्यूट बुक पर नहीं रहने देना चाहता । मैं इनका विरोधी हूं । ये दफायें एक नागरिक की फंडामेंटल राइट्स पर हमला करती हैं । यह अंग्रेजों की विरासत है जिसे आज का आजाद हिन्दुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता । मैंने इस सदन के.....

श्री अध्यक्ष---आपने पोजीशन बता दी ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अब मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं कि अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के ऊपर ११० का मुकदमा चला था और माननीय पालीवाल ने उनकी

जमानत ली थी। इसी तरह से अलायारखां के ऊपर ११० का मुकदमा चला था जिनकी जमानत बुंदेलखंड के पुराने जनसेवी, उस समय के कौंसिल के मेम्बर और जिला जालौन के बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट पंडित गोपालदास शर्मा ने ली थी। इसी प्रकार डाक्टर आनन्द जो हिन्दी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे, ११० में प्रासीक्यूट किये गये थे, उनके अच्छे चरित्र और आचरण का प्रमाण-पत्र स्वयं स्पीकर महोदय ने दिया था। इसके अलावा, श्रीमन्, आपने ही मुझे यह बताया था कि सन् १९३० में एक आदमी को जिसके बारे में आप संतुष्ट थे कि वह अच्छा आदमी है कुछ दिन आपने अपने बंगले या मकान पर रखा था। लेकिन श्रीमन्, जो इस सदन में यह कहा गया कि प्रश्रय दिया गया .....

श्री अध्यक्ष—आप उसको बहस में न बढ़ाइये। आप कृपा करके बैठें, मेरी बात सुन लें। आपने जो सिद्धान्त बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना सिद्धान्त स्पष्ट बता दिया। और मैंने भी इसलिये थोड़ा सा जिक्र कर दिया था, पहले भी प्रश्न पूछते समय कि इसमें क्या अपमान की बात है? मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस समय गृह मंत्री जी ने भाषण दिया उस समय इस चीज का किसी को जवाब देना चाहिये था कि हम लोग इस नीति के नहीं हैं। ऐसा किसी को कहना चाहिये था या नाम लेने का उन्हें चैलेंज करना चाहिये था, इसलिये कि सब के ऊपर 'शैडो' पड़ती है उनके भाषणों की कि अमुक पार्टी में इतने आदमी और अमुक पार्टी में इतने आदमी हिस्ट्रीशीटर्स हैं, इत्यादि। ऐसी चीज कहा तो 'नेम' करने की मांग उनसे करना चाहिये थी। यह नियम है कि अगर ज्यादा लोगों पर शैडो पड़ती हो तो नेम करने के लिये कहना चाहिये। वह किसी ने कहा नहीं। यह अधूरी चीज रह गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, हमारी एक चीज ले लें कि मैं गृह मंत्री जी के विरुद्ध प्रिवेलेज मोशन का नोटिस ला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह दूसरी चीज है। इस समय गृह मंत्री जी बीमार हैं। अगर वह होते तो डिबेट के लिये समय मांग लेते, अब तीन चार दिन रह गये हैं। आप डिबेट की शक्ल में अपना स्पष्टीकरण न दीजिये बल्कि अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की शक्ल ले लीजिये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट रिपील हो गया है और प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट बन गया है। इसके अलावा आज रिट्रीब्यूटरी थ्योरी खत्म होकर रिफार्मेटरी थ्योरी लाई जा रही है और डेथ सेंटेंस को खत्म करने की बात है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के इंसुनियेशन्स विरोधी दल के सदस्यों पर और विशेषतौर पर मेरे ऊपर किये गये हैं जब कि १९६२ का चुनाव आने वाला है, यह बड़े दुख की बात है। कप्तान पुलिस ने जो लिखकर दिया उसके पीछे एक बैक ग्राउंड है। वैसे यह कोई बड़ा भारी इंसीडेंट नहीं था। ८ नवम्बर, १९५९ को हमारे यहां, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्त्ता श्री विश्वानाथ की हत्या करा दी गई....

श्री अध्यक्ष—अब दूसरे सवालों की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि वह परिस्थिति जिसके वशीभूत होकर हमारी मजबूरी आई, ...

श्री अध्यक्ष—आपकी मजबूरी सिद्धान्त के ऊपर आ गई, फिर झगड़ा क्या है?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—परिस्थिति के ऊपर भी आई ....

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने बता दी।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—श्रीमन्, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं .....

श्री अध्यक्ष—उस आदमी की परिस्थिति आपने बता दी ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में मैंने किया ...

श्री अध्यक्ष—आपने डिफाई करने के लिये नहीं किया है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, डिफाई का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल है कि जो हमारे ऊपर लांछन लगाये गये और जो बजट स्पीच है उस समय अगर मैं मौजूद होता और मेरा नाम लिया होता तो हमें कहने का अधिकार होता । इसी स्पीच का प्रयोग करके यह इश्यू सदन में आया है । जिला जालौन के कप्तान के खिलाफ ५,००० रुपये की रिश्वत के....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । आपने कहा था कि स्कोप को वाइडर नहीं करेंगे ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, जिन परिस्थितियों के ऊपर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे चलाये गये....

श्री अध्यक्ष—यह चीज इसमें नहीं आती है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—जहां तक एक्सप्लेनेशन का सवाल है श्रीमन्, डाकूमेंट्स मौजूद हैं....

श्री अध्यक्ष—वह तो आप अलग से चार्जेज लगाइये । दफा ५२ में ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, मेरे खिलाफ एक लेटर पढ़ा गया ...

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें ।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन की आड़ में कुछ ऐसे वाक्यात पेश करें जो सही न हों और अगर वह मेरी मालूमात में हों तो क्या मुझे आप इस बात की इजाजत देंगे कि मैं उनसे दो-चार सवाल पूछ लूं ताकि इसकी सफाई हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं बिलकुल तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—मगर मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप कृपा करके बैठिए ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि मेरी बातों को चैलेंज नहीं किया जा सकता । मैं उसकी सारी की सारी रेस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूं और इस माननीय सदन के किसी भी माननीय सदस्य को पूरी छूट है कि जो सवाल मुझसे करना चाहें करें ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । यह कोई डिबेट नहीं है । मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे सकता । सवाल यह है कि उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया और पर्सनल एक्सप्लेनेशन में उन्होंने अपनी बात बता दी कि उन्होंने जमानत ली, लेकिन उसको प्रश्रय नहीं दिया । तो अब इस मामले को खत्म करना चाहिये और पालिटिक्स उसमें नहीं घुसनी चाहिये, इस पार्टी या उस पार्टी की पालिटिक्स की बात उसमें नहीं आनी चाहिये, और इसका वाइडर स्कोप भी नहीं होना चाहिये । डिबेट का स्कोप यह नहीं है कि उनसे क्वेश्चन आप करें और वह उसका आन्सर दें । वह भी उसी तरह से इस माननीय सदन के सदस्य हैं जैसे कि और

कोई सदस्य हैं और उनके खिलाफ अगर कोई चीज कही जाती है तो वह अपनी जानकारी से उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, और वह दे चुके। अब इसमें प्रश्न पूछने की कि फलां बात गलत कही या सही कही, यह चीज उनसे सदन में नहीं पूंछी जा सकती है। तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—एक व्यवस्था का प्रश्न यह है, श्रीमन्, कि जिस स्पिरिट और जिस मोटिव से हमको चार्ज किया गया उसी हिसाब से हमको उसे रिटैलिएट करने का अधिकार है या नहीं? अगर कोई हमारी मोटिव्ज को अटैक करता है तो हमको अपनी सफाई देनी चाहिये और अटैक करने वाले की मोटिव को स्पष्ट करना चाहिये या नहीं?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैं आपसे कहता हूं, यहां दिक्कत यह है कि आप तो यहां मौजूद हैं और जिनके खिलाफ कोई बात आती है या आप वहां की हालात के बारे में जो जिक्र करते हैं तो उन हालात की जानकारी रखने वाले नवलकिशोर जी नहीं हो सकते। वहां के मेम्बर कोई सामने हैं नहीं कि जो उन हालात के ऊपर कोई आपको कांट्रेडिक्ट करें। तो सुनी सुनायी बातों पर कांट्रेडिक्ट करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, चितर सिंह जी उसी जिले के हैं, वह कांट्रेडिक्ट कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह उसके लिये तैयार नहीं हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—तो उसका मतलब यह है कि हमारी बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप से मैं यह निवेदन करूंगा कि जब प्रश्न उठ गया है तो आप सारी बातों को यहां आ तो जाने दें जिससे कि यह हाउस, यह मंत्रिमंडल, माननीय सदस्य और आप जान तो जायं कि जिला जालौन में हो क्या रहा है, हम लोगों के ऊपर वहां क्या क्या बीत रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जैसे पालीवाल जी ने उस रोज कहा था कि बहुत सी चीजें जालौन में क्या-क्या हो रही हैं, कैसे कैसे झगड़े हो रहे हैं और क्या-क्या बातें हो रही हैं, यह चीजें बाहर बैठकर तय करनी चाहिये। जहां तक इस सदन का ताल्लुक है, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे 'हीटेड डिस्कशंस' जिसमें एक दूसरे पर आक्षेप किये जायं, यहां नहीं होने चाहिये। इसमें सफाई हो जाने के बाद उनका मोटिव मालूम हो गया कि क्या कारण थे, कैसी परिस्थिति थी यह सब स्पष्ट उन्होंने कर दिया। तो यह मानकर चलना चाहिये कि जो बात वह कह रहे हैं वह सही है जहां तक कि सदन का ताल्लुक है। सदन के बाहर से कोई भी मतलब नहीं है। यहां जो व्यक्ति अपनी जानकारी से कहता है कि यह बात सच है तो हमारे यहां की यही प्रथा रही है कि वह चीज सच मानी जाती है उसकी जानकारी के आधार पर। अब जहां तक बाहर का सवाल है वह दूसरी बात है। उन्होंने स्पष्टीकरण अपना दे दिया। अब इस मामले को यहीं क्लोज करना चाहिये। और मैं समझता हूं कि इसमें गरमा-गरमी का कोई सवाल नहीं है और मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं उनसे प्रश्न पूछने की। अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हाउस में आपके द्वारा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने एक आश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष—मैं पहले और जो कार्यवाही जरूरी है वह कर लूं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगा, लेकिन इतना चाहता हूं कि जो चौधरी साहब को, गृहमंत्री को मैंने पत्र लिखा है वह पत्र मुझे यहां पढ़कर सुनाने दीजिये जिससे मेरी परिस्थिति साफ हो जाय और चौधरी साहब की भी परिस्थिति साफ हो जाय.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह रेलीवेंट नहीं है। चौधरी साहब जिस वक्त यहां आ जायं, उस वक्त मैं मौका आपको दे सकूंगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--गृह मंत्री, चौधरी साहब नहीं हैं तो उनकी जगह दूसरे लोग तो हैं.....

श्री अध्यक्ष--आप मुझे उस पत्र की नकल पहले दे दें। फिर मैं चौधरी साहब से भी पूछ सकता हूं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--तो श्रीमन्, इस बात की जानकारी आप करें ताकि जिन परिस्थितियों में मैंने कप्तान पुलिस को लेटर लिखा और जिन परिस्थितियों में वह पत्र लिखा गया उन परिस्थितियों को सदन के सामने और आपके सामने रख सकूं।

श्री अध्यक्ष--जब आपने उस चीज को ऐडमिट कर लिया तो फिर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--मैं उस इम्पुटेशन को ऐडमिट नहीं करता हूं। उसमें तो कप्तान पुलिस भी विटनेस हैं, किन्तु उसकी बोनाफाइडी को चैलेंज करने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--इतना काफी है। आपने उसको बतला दिया है।

*श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, आपने अभी कहा था कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाद इस बात को तय करेंगे कि चरणसिंह जी वाला पत्र यहां पर देना जरूरी है या नहीं। अब गोविन्दनारायण जी तिवारी ने भी एक बाहर के व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि चतुर्भुज शर्मा ने अभिलाख डाकू को जमानत दी है। वह खत भी मंगा दिया जाय तो यहां पर सब सफाई हो जाय।

श्री अध्यक्ष--आप इस तरह से प्रश्न उत्तर मुझसे नहीं कर सकते।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोविन्द-नारायण जी तिवारी के इस पार्लियामेंटरी राइट को मानते हैं या नहीं कि चरणसिंह जी का पूरा खत तिवारी जी को मिलना चाहिये? क्या आप उनका यह भी अधिकार समझते हैं या नहीं कि चरणसिंह जी के पत्र की उनको पूरी प्रतिलिपि मिलनी चाहिये? क्या आप यह भी उचित समझते हैं या नहीं कि इन सब पर्सनल एक्सप्लेनेशन्स और सब जानकारी होने के बाद आपने जो व्यवस्था दी है उसको दोहरा सकें? इन तीनों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--उनका जो स्टेटमेंट हुआ है मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या निर्णय है?

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कह दिया कि मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--क्या जब सदन उठ जायगा तब इस पर विचार होगा?

श्री अध्यक्ष--यह आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। आप मुझे चिट्ठी लिखकर भेजें, एक-दो दिन में उत्तर दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--मैं आपसे यह व्यवस्था पूछना चाहता हूं कि हमारा जो खत है उसके बारे में तो हम आपके कमरे में मिलें और जो चरणसिंह जी का खत है उसको आप यहां पढ़कर सुना दें, हमारे खत को यहां पढ़ न पढ़ सकें--आप नाराज भले ही हो जायं, किन्तु मेरी बात सुनिये, आप मर्यादा की रक्षा करें। [* * *]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--- [* * *] उक्त अंश श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मैं मर्यादा की रक्षा करने के लिये ही ऐसा करना चाहता हूं।

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--श्रीमन्, इन शब्दों को गौरीशंकर राय जी को वापस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आप इन शब्दों को वापस करें।

श्री गौरीशंकर राय--मैं वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--यदि आप इन शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं आपके नेम करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय--मैं वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गौरीशंकर राय को सदन की सेवा से ४ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री गौरीशंकर राय जी . . . .

श्री उग्रसेन--विरोध करने का हमारा अधिकार है। आप हम से पूछें कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री उग्रसेन--माननीय गौरीशंकर राय जी ने पार्लियामटरी प्रेक्टिस के हिसाब से ३ मूलभूत प्रश्न आप के सामने रखे हैं। उनका आप जवाब नहीं देते, नहीं दे पा रहे हैं और आप के नेम करने के बाद माननीय मंत्री जी प्रस्ताव कर रहे हैं कि उनको चार दिन के लिये निलंबित कर दिया जाय। तो हमारी सुरक्षा कहां है? गौरीशंकर राय जी ने मूलभूत प्रश्न उठाये हैं। उन पर श्रीमन्, आप व्यवस्था दें, उनका जवाब दें। इस बीच में नेम करने की बात क्यों लायी जा रही है? इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आपने स्वयं कहा है कि आप बाद में निर्णय देंगे अतः मेरा निवेदन है कि आप उसी पर कायम रहें।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि जो उन्होंने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया था उसे मैं देख लूंगा और वह चिट्ठी उन्होंने क्या भेजी है गृह मंत्री को, उसमें क्या लिखा गया है वह भी मैं जानना चाहता हूं। इसलिये वह चिट्ठी भेजें। उसके बाद मैं उनसे पूछ कर कि वे देना चाहते हैं या नहीं वह पूरा पत्र, मैं निर्णय करूंगा। उन से पूछना पड़ेगा इसके लिये। देना न देना उनका काम है। इसलिये मैंने कहा कि मैं बाध्य कर सकता हूं या नहीं, इसे भी मुझे देखना पड़ेगा। कायदे के हिसाब से अगर बाध्य नहीं कर सकता तो मैं कह दूंगा कि मैं बाध्य नहीं कर सकता। यह सब चीजें हैं, कई बातों और नियमों को देखकर निर्णय करना होगा। इसलिये मैंने कहा कि किसी अन्य वक्त में मैं कल या परसों चिट्ठी लिख कर भेज दूंगा कि यह स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने यह जिक्र किया है। अगर उसमें इस तरह की कोई चीज है कि जिससे सफाई हो सकती है और इसलिये वह उसे नहीं रहे हैं, तो उसके लिये आप स्पष्टीकरण दें। आप वह पत्र देने के लिये तैयार हैं या नहीं? मैं उनसे बगैर पूछे नहीं रहूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--क्या आप यह नहीं समझते हैं कि.....

श्री नेकराम शर्मा--मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप की रूलिंग होने के बाद इस विषय पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये। और दूसरा प्रश्न यह है कि नेता सदन ने जो प्रस्ताव किया है वह आपके समक्ष है उसके अलावा और कोई बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, आपने झारखंडेराय जी को बोलने के लिये समय दिया था। उसके बाद नेकराम शर्मा जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया बीच ही में। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने कप्तान के पत्र की चर्चा की उसके विषय में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय गृह मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन सरकार के अन्य सदस्य यहां उपस्थित हैं और वे इस पूरे पत्र को यहां प्रस्तुत करेंगे या नहीं यह उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। और मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय में उनसे पूछ लें क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल है, किसी व्यक्तिगत आदमी का सवाल नहीं है।

जहाँ तक उस प्रस्ताव का ताल्लुक है जो माल मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह सदन उसे अस्वीकृत करे।

श्री अध्यक्ष--पहले तो यह पता चलना चाहिये कि श्री गौरीशंकर राय ने वे शब्द वापस लिये या नहीं।

श्री गौरीशंकर राय--मैं अपनी बात वापस नहीं लेता।

*__श्री गेंदासिंह__ (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, कृपा कर आप मेरी बात सुन लें। (शोर) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गौरीशंकर राय जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उन के व्यवस्था के प्रश्न पर आपने कृपा कर यह कहा कि हम कुछ समय में उसका उत्तर देंगे। गौरीशंकर राय जी ने शायद उसके बाद यह बात आप को कही, जो शायद आपके कान तक पहुंच न सकी, क्योंकि शोरगुल होने लगा था, कि सदन उठ जाने वाला है और कहीं इतना विलम्ब तो न होगा कि उस समय तक पूरे मामले पर विचार न हो सके।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री गेंदासिंह--तो ठीक है, गौरीशंकर राय जी ने जो बात कही वह आप तक न पहुंच सकी और आपने जो कहा उसे मैं भी सुन न सका। आपकी ओर से कोई ऐसा उत्तर मिला कि सदन के उठने के पहले आप इसका उत्तर दे देंगे, यह मैं न जान सका। हम समझते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई उत्तर मिला होता.....

श्री अध्यक्ष--मैंने उनकी यह बात नहीं सुनी, शोरगुल बहुत था.....

श्री गेंदासिंह--मैं भी नहीं समझ पाया। मेरा कहना यह है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है तो उसको आपको अवसर देना चाहिये। उन्होंने यह समझा कि आप शायद ऐसे वक्त उत्तर देंगे जब कि सदन उठ चुका हो.....

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि मैं दूंगा, और शायद यह भी कहा था कि कल या परसों दूंगा.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—कल या परसों की बात नहीं कही थी। और अगर आपकी यह बात गौरीशंकर राय जी सुन लेते कि आप सदन उठने से पहले ही अपनी राय दे देंगे तो शायद यह चीज न उठती। ऐसी सूरत में जब कि आपने भी उसको नहीं सुना, आपको इस प्रस्ताव पर भी विचार कर लेना चाहिये और माननीय उप-नेता सदन से इसे वापस लेने के लिये कहना चाहिये क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इससे यह लाभ होगा कि आइंदा इस सदन की मान मर्यादा और अध्यक्ष महोदय की मान मर्यादा कायम रहेगी। हां, अगर माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस ले लें तो मैं प्रस्ताव वापस ले सकता हूं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, आप ही इस समय अल्पमत के रक्षक हैं, इसलिये आपको इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस पहलू पर भी सदन के नेता को विचार कर लेना चाहिये और मैं अपील करूंगा कि वे पुनः इस पर विचार कर लें कि यह इस कारण हुआ कि उनका यह ख्याल हुआ कि मैं शायद कल परसों में उस पर निर्णय नहीं दूंगा। इसलिये वे उचित समझें तो इस प्रस्ताव को रोक दें। यह ज्यादा अच्छा होगा कि मैं माननीय गृह मंत्री से बात कर लूं और उसे आपको बता दूं यहां पर, उसके बाद कोई बात हो तो आप उसे पेश कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्या मैं यह समझूं कि जो अल्फाज उन्होंने कहे, उसे उन्होंने वापस ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष—अब उसके लिये जगह नहीं रही, आप यही मानकर चलिये कि वह शब्द उसमें से हट जायेंगे, मैं उनको काट दूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर अध्यक्ष महोदय, मुतमइन हैं कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, तो मुझे आपके आदेश के पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

'बुन्देला' तथा 'हलचल' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव आये हैं जिनमें एक तो गौरीशंकर राय जी का है 'बुन्देला' के खिलाफ और दूसरा रामस्वरूप वर्मा जी का है 'हलचल' के खिलाफ। मैंने अभी उनको पढ़ा नहीं है। इसलिये मैं अपनी राय आज नहीं दूंगा .....

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—अभी मैं बोल रहा हूं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपने 'बुन्देला' वाले प्रस्ताव को तो पढ़ा है, 'हलचल वाले को क्यों नहीं पढ़ा ?

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी किसी को नहीं पढ़ा है। मैंने अभी विचार नहीं किया है।

जिला उन्नाव के थाना वारा सगवर के अन्तर्गत चोरी, डकैती, कत्ल इत्यादि के कारण उत्पन्न आतंक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में मैंने श्री भगवतीसिंह विशारद का प्रश्न स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है —

"जिला उन्नाव के थाना वारा सगवर के अन्तर्गत इधर दो वर्षों से चोरी, राहजनी, डकैतियों और हत्याओं में बाढ़ सी आ गयी है। एक ही दिन, एक ही समय में २–२, ३–३, और ४–४ निरीह सोये हुए व्यक्तियों की हत्यायें ग्राम रूझिहाई, वाला की कटरी तथा अन्य स्थानों पर हो चुकी हैं।

दिनांक १२–१३ मई को रात में ग्राम रूझिहाई दुन्दपुर में पुनः इसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई और ३ परिवारों के ६ व्यक्तियों को सोते हुए निरीह अवस्था में आततायियों द्वारा कत्ल कर दिया गया है।

इस प्रकार के कत्ले आम से संबंधित ग्राम तथा क्षेत्र में भय, आतंक और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। नागरिक गांव छोड़ कर भाग रहे हैं।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर प्राक्रिया नियामावली के नियम ५२ के अन्तर्गत मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये आज के उपवेशन में इस विषय को अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उठाना चाहता हूं।"

गृह मंत्री जी, आप अब कब वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—१९ तारीख को।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—एक धारा ५२ का इसी प्रकार का इटावा जिले का था, ५०-५० घर लूट लिये . . . .

श्री अध्यक्ष—रोज आप खड़े हो जाते हैं। मैं बार-बार कह चुका हूं कि एक ही विषय लिया जा सकता है।

अन्तरिम जिला परिषद् के चुनावों के संबंध में जानकारी की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, अंतरिम जिला परिषद् के जो चुनाव होने वाले थे उनकी तारीखों के बारे में बड़ी भ्रामक खबरें अखबारों में निकलती रहती हैं। यदि स्वायत्त शासन मंत्री उसको स्पष्ट कर दें तो बड़ी दया होगी कि कब नामिनेशन की तारीख रखी गयी है और कब चुनाव रखा गया है।

*स्वायत शासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, जिस समय विधान सभा की बैठक को बढ़ाया जा रहा था तो पार्टियों के नेताओं ने यह इच्छा प्रदर्शित की थी कि क्षेत्र समितियों के चुनाव आगे को बढ़ा दिये जायं। उस समय मैंने भी यह आश्वासन दिया था कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्षेत्र समितियों के लिए जो पहले तिथियां निश्चित थीं, वह टाल दी गयी हैं, आगे को निमत कर दी गयी हैं। जो २० मई को नामजदगियां होने वाली थीं वह पहली जून को होंगी और २५–३० को जो चुनाव होने वाले थे वह ८ जून को होंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, यह सदन कब तक चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—वह तो १९ तारीख तक के लिए तय हो गया था।

श्री नेकराम शर्मा—सुना है कि २५ मई तक चलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—२० मई को जो नामजदगी होने वाली थी, अंतरिम जिला परिषद् के जो प्रतिनिधि चुने जाने वाले थे ग्राम सभाओं में से, उनकी भी तारीख बदल दी गयी है या क्षेत्र समितियों और अंतरिम जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के जो चुनाव होने वाले थे वह पहली जून को कर दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं यह चीज समझ नहीं सका जो अभी मेरे मित्र दीपंकर जी ने कही। बात यह है कि अंतरिम जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव होने वाले थे। व्यवस्था यह है कि हर एक ब्लाक से १० से जो अधिक होते हैं उसमें से दो और १० से कम में से एक, प्रधानों के द्वारा चुना हुआ प्रधान, अंतरिम जिला परिषद् का प्रधान बनता है। जो मैंने चुनाव की बात कही वह इस समय केवल इसी चुनाव की तारीख के संबंध में कही थी। अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य जो प्रधानों की ओर से ब्लाक के द्वारा चुने जायंगे उनकी नामजदगी की तिथि जो, पहले २० मई निश्चित हुई थी वह अब पहली जून होगी और उनका मतदान ८ जून को होगा।

१८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न ७५–७६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर*

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ को श्री बलदेवसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५–७६ के सम्बन्ध में श्री बलदेवसिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से कितने एकड़ की और किन-किन जिलों में सिंचाई होगी और इसके कब तक कम्पलीट होने की सम्भावना है।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "बहराइच, गोंडा और बस्ती में इस नहर का पानी पहुंचेगा। करीब १२ लाख एकड़ जमीन खरीफ में और ४ लाख १८,००० एकड़ रबी में इससे सैलाब होने की सम्भावना है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है:

बहराइच, गोंडा और बस्ती में इस नहर का पानी पहुंचेगा। करीब १२ लाख एकड़ जमीन इस योजना से लाभान्वित होगी और ४ लाख १८ हजार एकड़ वार्षिक सिंचाई की सम्भावना है जिसमें धान २,५१,००० एकड़, रबी १,२५,५०० एकड़, गन्ना ४१,५०० एकड़ है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ५९९ पर)

स्थायी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। विधान सभा की स्थायी तथा अन्य समितियों के सम्बन्ध में नाम वापसी की तिथि १५ जून थी। चूंकि कल छुट्टी थी इसलिये मैंने उसका समय आज सायंकाल ५ बजे तक कर दिया था। तो जो लोग नाम वापिस लेना चाहें उनको आज पांच बजे तक का मौका है। आवश्यकता पड़ने पर १८ जून को चुनाव होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आज अपने घरों से आये हैं। अगर आप इसका समय कल पांच बजे तक कर देते तो उचित होता।

श्री अध्यक्ष—फिर १८ को चुनाव नहीं हो पायेगा।

श्री उग्रसेन—कल तो १७ ही होगी।

श्री अध्यक्ष—कागजात वगैरह भी तो छपाने पड़ते हैं।

---

*१८ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

*उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब सहकारिता मंत्री के प्रस्ताव पर विचार होगा। कुंवर श्रीपालसिंह उस दिन बोल रहे थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) --आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिन यह निवेदन कर रहा था कि इन सहकारी समितियों पर कर का निर्धारण किस प्रकार किया जायगा? मैं यह कह रहा था कि कर के निर्धारण के लिये जो इसमें तरीका रखा गया है वह यह है कि जमीन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो लेकिन कर का निर्धारण जो किया जायगा वह बराबरी समझकर किया जायगा, यह सोचकर किया जायगा कि सबका हिस्सा बराबर है। श्रीमन्, मेरे पहले बोलने वाले सदस्य जो कह रहे थे, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि शायद उनको कुछ थोड़ा सा भ्रम हो गया है और भ्रम इस बात का हो गया है कि सहकारी कृषि से केवल उन किसानों का नुक्सान होगा जिनके पास जमीन है। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं उन्हीं किसानों का नुकसान सहकारी कृषि से होगा, इसीलिये इसका विरोध कुछ लोग करते हैं। ऐसा मैंने समझा था उनके भाषण से और माननीय माताप्रसाद जी ने भी अपने भाषण में करीब करीब इसी बात को कहा था।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को यदि आद्योपान्त देखा जाय तो उन किसानों का नुक्सान इसमें कतई नहीं है जिनके पास जमीनें हैं। यह मैं मानता हूं कि वह किसान जिनके पास जमीनें हैं वह चटनी बनाये जायंगे। मगर माननीय माताप्रसाद जी तथा दूसरे सज्जन जो मुझसे पहले बोल रहे थे वे चटनी में नमक की तरह से मिला दिये जायेंगे। चटनी में आम की अमिया के कुछ दाने मिल सकते हैं, लहसुन के दाने मिल सकते हैं, पोदीना की पत्ती के टुकड़े मिल सकते हैं लेकिन नमक नहीं मिल सकता। नमक का किसी तरह से भी पता नहीं चलता। वे लोग जिनके पास जमीन नहीं है और जो आज यह सोच रहे हैं कि इस बिल के द्वारा उनका उत्थान होगा वे कुछ उन्नति कर सकेंगे, वे बिलकुल भ्रम में हैं। इस चटनी में नमक के समान हैं। अगर सरकार का पेट फाड़ा जाय तो लहसुन के टुकड़े और अमिया के टुकडे तो मिल सकते हैं लेकिन नमक कहीं नहीं मिलेगा। वह तो खून में मिल जायगा।

श्रीमन्, इसकी धारा ११८ में लिखा हुआ है--"सहकारी कृषि समिति जहां तक उसके सदस्यों का संबंध है कि निमम वेजेज ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त होगी"। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय गंगाप्रसाद जी और माननीय माताप्रसाद जी तथा उनके वर्ग से कि इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट का असर मामूली किसान के ऊपर नहीं पड़ने वाला है और न बड़े किसानों पर होने ही वाला है, उसका असर तो उन लोगों पर पड़ने वाला है जो मजदूरी करते हैं, मिनिमम वेजेज से छूट देने का मतलब क्या है? आप धारा १२० को देखें वह कहती है--"समिति फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक" का समिति के कौन कार्यकर्त्ता होंगे उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, उसके क्या-क्या कार्य होंगे और उसके कार्यक्षेत्र में यह भी आता है कि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक। अब इसका निर्धारण कौन करेगा? वही कृषि समिति करेगी। कृषि समिति में कौन होंगे? भूमिधर, सीरदार किसान, सहानुभूति कर सदस्य और नाममात्र के सदस्य। यह नाम मात्र के सदस्य होंगे तोलने वाले बनिये उनकी परिभाषा शायद मैंने नहीं दी।

(इस समय १ बजकर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

इस समय मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें इसकी परिभाषा दी हुई है। सहानुभूति कर सदस्यों के लिये वे कहते हैं "कोई व्यक्ति जो समिति के उद्देश्यों, हितों तथा सदस्य कार्यकर्ताओं के वास्तविक कल्याण में अभिरुचि रखता हो, सहानुभूति कर सदस्य बनाया जायगा।"

---

†१२ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

*छापा नहीं गया।

किसी बात का प्रतिबन्ध नहीं है खाली सहकारी कृषि के सदस्यों से उसकी सहानुभूति हो, चाहे उसकी सहानुभूति सहकारी कृषि और सहकारी आन्दोलन से न भी हो। यानी वे होंगे सदस्यों के रिश्तेदार। उनको सहानुभूतिकर ? सदस्य बनाया जायगा।

दूसरे जो नाम मात्र के सदस्य हैं वे क्या हैं ? वे व्यक्ति जो कार्य समिति का कारोबार करते हैं और कार-बार करने का विचार रखते हैं, नाम मात्र के सदस्य बनाये जा सकते हैं।

ये आ गये तोलने वाले, जो सहकारी समिति का अन्न खरीदते हैं और उसको खरीदेंगे बनिक जी। अपनी तराजू लेकर वे भी मेम्बर हो गये।

अब संबद्ध सदस्य कौन होंगे ? ऐसा मनुष्य जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी हैं जो समिति के कारोबार में मौरूसी या अस्थायी कर्मकर अथवा शिशुक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है"। यानी जो सीखने के लिये लड़के आ जायं किसी स्कूल या कालेज से तो वे भी सदस्य बनाये जांयगे। मैं निवेदन करूंगा श्री माताप्रसाद जी तथा श्री गंगाप्रसाद जी के वर्ग से कि यह लोग ही मजदूरी तय करेंगे वहां काम करने वालों लोगों की। उसमें न माताप्रसाद जी का अनशन और न गंगा-प्रसाद जी की ललकार चल सकती है। अगर समिति ने तय कर दिया कि गंगाप्रसाद जी को ४ आना रोज मजदूरी मिलेगी तो चूंकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट में वह नहीं आते हैं इस वास्ते गंगाप्रसाद जी कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। उनको झख मारकर ४ आना ही मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना चाहेंगे तो उनके ऊपर अराजकता भी कायम की जा सकती है, और कहा जायगा कि यह प्रतिक्रियावादी हैं और समाजवाद के विरोधी हैं। उसको यह फलने फूलन नहीं दना चाहते हैं अपने पेट के लिये अपने स्वार्थ के लिये। यह सोचना कि इसमें बड़े-बड़े किसानों का नुकसान है यह बिलकुल भ्रम मात्र है।

पृष्ठ ११ पर धारा २१–२२ में यह कहते हैं कि प्रबन्ध कमेटी का प्रत्येक 'मनुष्य सदस्य'। मैं आप का ध्यान इस मनुष्य सदस्य की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या वहां जानवर भी उसके कोई सदस्य होंग ? क्या सहकारी समितियों का जो निर्माण होगा उसमें मनुष्यों के अतिरिक्त कुछ जानवर भी सदस्य होंग ? यदि होंगे तो वह कहां से आयेंगे ? किस ग्राम पंचायत से आयेंगे ? 'मनुष्य सदस्य' इसमें लिखा है इसके माने क्या हैं? इसके माने तो यही होते हैं कि इसमें कुछ जानवर भी सदस्य होंगे जो जानवर सदस्य होंगे उनके अतिरिक्त मनुष्य सदस्य हुये। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है और इस बिल के लिये कहा जाता है कि गांव पंचायत के और सरकार के भी प्रतिनिधि इसमें होंगे तो वह तो आदमी होंगे। सरकार को हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने क्या समझ रखा है ? क्या सरकार जानवर है ? मनुष्य सदस्य इस प्रकार की इसमें अनेकों गलतियां हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं कि इसे जनमतसंग्रह के लिये गांवों में घुमाया जाय ताकि गांव वाले भी समझ लें कि हमारी सरकार को बनाने वाले दल के लोग गांव सभाओं के सदस्यों को जानवर समझते हैं, आदमी नहीं समझते।

अब धारा २० में कहते हैं कि उपविधान द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। इसमें यह है कि जो सदस्य होंगे उनका कोई प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो भी प्रतिनिधि होगा उसको स्वयं उपस्थित हो कर वोट देना होगा। बकिया सब के लिये यह प्रतिबन्ध है अगर इस प्रतिबन्ध से कोई छूट है तो वह केवल सरकार के प्रतिनिधि को है। सरकार का प्रतिनिधि चाहे तो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है और बकिया, जो इसके सदस्य हैं अगर वह बीमार हों, चारपाई से न उठ सकते हों, वह अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकते लेकिन सरकार का प्रतिनिध अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। क्या कारण है ? इसके माने केवल यह हैं कि इनका जो प्रतिनिधि होगा वह स्लीपिंग पार्टनर होगा वह कभी नहीं जायगा। किसी को नामिनेट कर देगा और वह किसको करेगा ? जिसको कि यहां से कुंजी भरी जायगी कि इनको कर देना फलां समिति के लिये, वही हो जायगा। इसके यह हक लेना चाह रहे हैं। यह इस प्रकार है कि प्रबन्ध कमेटी का प्रत्येक मनुष्य सदस्य प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

[कुंवर श्रीपालसिंह]

स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी। यह तो है धारा २१ जिसके द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु सरकार के लिये वह प्रतिबंध आ गया है।

एक चीज और जो बड़े जोर के साथ कही गयी है सहकारी कृषि के बारे में कि वह गांव के लोगों को पसन्द नहीं है तो १० हजार कमेटियां कैसे बन गयीं ? सरकार की ओर से आंकड़े पेश किये गये और यहां तक कह दिया गया कि एक महीने में ४ सौ से भी ज्यादा बन गयी हैं। यह कैसे बन गयीं ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---सर्विस कोआपरेटिव्ज।

कुंवर श्रीपालसिंह---सर्विस कोआपरेटिव जिसको आप कहते हैं वह तो वैसा है जैसे धड़ और पैर। जिसे आप सर्विस कोआपरेटिव कहते हैं उसका कतई कोई विरोध कर ही नहीं सकता। वह तो एक चीज ही है जिसके द्वारा उन्नति होगी लेकिन जो ज्वाइन्ट कोआपरेटिव है उसके जरिये से उपज घटेगी और सत्यानाश होगा। यह होगा आप लिख लीजिये। मैं अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वनमहोत्सव मनाया जा रहा था सरकार की ओर से। तहसीलदारों की ओर से जो फीगर्स लिखकर आयी वह प्रत्येक तहसील से २४ हजार, कहीं से ४० हजार और कहीं से ५० हजार। हमारी तहसील शाहगंज में जो तहसीलदार थे वह ईमानदार आदमी थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वह नहीं जानते थे कागज के ऊपर जीरो बढ़ाना। १ हफ्ते के अन्दर उन्होंने २६ सौ पेड़ लगवाये थे कागज के ऊपर उन्होंने वही रिपोर्ट भेज दी कलेक्टर साहब को। दूसरे दिन कलेक्टर साहब का फरमान पहुंचा कि और तहसीलदारों ने ३०,३० हजार पेड़ लगाये हैं और तुम्हारे यहां २६ सौ ही क्यों लगे ? तहसीलदार साहब परेशान, नायब तहसीलदार जो उनसे ज्यादा वाकिफ और सरकार के तरीकों से ज्यादा वाकिफ थे उनसे कहने लगे कि आप अपनी नौकरी खोजियेगा कि सत्यवादिता का आदर्श कायम करते रहियेगा ? आप जीरो बढाइये और रिपोर्ट भेजिये। उन्होंने २६ सौ का २६ हजार बनाकर टाइपिंग मिस्टेक कहकर भेज दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने कहा कि अब ठीक है। तो यह सब की सब फर्जी हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---सब जगह ऐसा नहीं हो सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं दूसरे की क्यों कहूं ? मैं तो आपसे ही पूछता हूं कि आपके यहां कितनी कोआपरेटिव समितियां सही सही हैं ? और आप कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियों के मेम्बर हैं ? और यदि नहीं है तो आप स्वयं मिसाल में मौजूद हैं कि जितना सहकारी आन्दोलन है, जो सहकारी समितियां हैं, सब आज कागज के ऊपर है। किसी के यहां कम समितियां बनीं उनसे कहा गया कि तुम्हारे यहां कम समितियां हैं, उन्होंने कहा कि कल पूरी हो जायंगी और दूसरे दिन कागज का पेट भर दिया। इस प्रकार आपका सहकारी आन्दोलन चल रहा है।

मैं जो कह रहा था कि मजदूरों का ही नुकसान होगा उस बारे में मैं अपनी राय नहीं देना चाहता। माननीय विभव जी यहां बोल रहे थे उस वक्त वह सत्य बात कहने के मूड में थे। इस मूड में नहीं थे कि किसी एक पार्टी के प्रोग्राम को उन्हें चलाना है, उसके लिये सत्य और असत्य का विवेचन नहीं करना है, बल्कि उनके मस्तिक में सत्य बात आ गई और वह कह गये। उन्होंने कहा कि देश की जो अलाभकर जोतें हैं, देश में जो छोटी छोटी जोतों में लोग लगे हुए हैं, उनको वहां से छुड़ाने के लिये ही सहकारी कृषि करना आवश्यक है। यह बिलकुल सत्य बात है। यही उद्देश्य है। चाहते यह हैं कि सहकारी कृषि के नाम पर जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको गांवों से उखाड़ दिया जाय। लेकिन वह जायं कहां ? कोई जरिया नहीं है। बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस गांव में एक-एक फैक्टरी सरकार की तरफ से स्थापित की जाय या प्राइवेट सेक्टर में की जाय जिससे कि सरप्लस लोग उसमें लग जायें यह कुछ नहीं है। कोआपरेटिव

फार्मिंग करके सबको उसमें फंसा देंगे सबकी जमीन उसमें लगा देंगे किसी को खाने को नहीं मिलेगा सब मरने लगेंगे तो अपने आप जमीन छोड़कर भाग जायंगे। यह क्या तरीका है? इससे तो कोई उन्नति होगी नहीं।

मेरे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने चीन की बड़ी दुहाई दी थी और कहा कि लोग नहीं देखते कि चीन में कितनी उन्नति हो गई, कितने लोग खाकर मस्त हो गये, कितने मोटे तगड़े हो गये। लेकिन असलियत क्या है? इसी मई के महीने में अभी ४ दिन पहले जो 'तांगचुंगतिम' नाम का अखबार चीन से निकलता है उसमें लिखा था कि खाद्यान्न की कमी के कारण चीनी किसानों को निजी खेती निजी खेतों में करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह है उनका जवाब। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला किस्सा है। चीन वाले कहते हैं कि खाने बगैर मरे जा रहे हैं। वह कहते हैं कि काम के समय भरपेट और बेकाम के समय आधे पेट खाना दिया जाय। एक वक्त ठोस और एक वक्त पेय दिया जाय। एक वक्त चावल और एक वक्त उसका माढ़ दिया जाय और यहां हमारे दोस्त लोग ललकार कर कहते हैं कि चीन में खाने की इतनी अधिकता हो गई है कि दूसरे देशों को बांट रहा है। यह क्या है? इसे वही लोग समझें कि जो ऐसी बात कहते हैं।

एक बड़े मजे की बात कही गई है। माननीय चन्द्रसिंह रावत हैं नहीं कहीं चले गये। बड़े जोर से उन्होंने कहा कि मनुष्य की उत्पति भी सहकारिता से होती है। मगर मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उस सहकारिता की परिधि क्या वह थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं--दो के बजाय दस-पांच को उसमें शरीक कर सकते हैं? यदि वह इसमें भी राजी हों तो मैं जरूर मानूंगा कि वह सहकारिता के सिद्धान्त के मानने वाले हैं। अन्यथा केवल दो की सहकारिता उन्होंने रखी तो मैं यह कह सकता हूं कि वह सहकारिता नहीं है बल्कि नितान्त विशुद्ध एक व्यक्ति का स्वार्थ उसमें है। प्रत्येक अपने अपने सुख के लिये सहकारिता करता है। यदि चन्द्रसिंह रावत १०-५ को सहकारी बनावें तो मैं मान लूं कि उनको सहकारिता में प्रबल विश्वास है।

जिस वक्त जमींदारी टूट रही थी, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया हुल्लड़ मचाया गया कि जमींदारी टूट जाने पर जितने किसान हैं सब जमींदार बना दिये जायेंगे बिना किसी के पूछे ही। हुआ क्या? जमींदारी टूट गयी, जमींदार तबाह हो गये, उनको कागजी टुकड़ा पकड़ा दिया गया और जमींदार बना कौन? सरकार। माननीय गंगाप्रसाद जी जहां थे वहीं रह गये, उनको न तो जमींदारी टूटने से एक कौड़ी का लाभ हुआ और न एक धुर जमीन मिली। उसके बाद नम्बर आया बड़े किसानों का। सरकार ने सोचा कि अब जमींदारों के बाद दूसरी चिड़िया कौन है जिसको पकड़ें? तो वह थे बड़े किसान जिनके लिये हमारे रूस के दोस्तों ने 'कुलक' नाम रखा था। उनके लिये सीलिंग का जब बिल आया तब गंगाप्रसाद जी और उनके वर्ग वालों ने बड़ी दुहाई दी कि सीलिंग हो जानी चाहिये, जमीन हमको ही मिलेगी। सीलिंग हो गई, लोगों की जमीन छिन गई, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बांट दी, उस सीलिंग में हम ही नहीं उधर के बैठने वाले भी थे जो नये जमींदार बने थे, जमीनें नाती, पोते तथा रिश्तेदारों में तकसीम हो गई और गंगाप्रसाद जी फिर जहां के तहां रह गये। न तो एक कौड़ी आमदनी बढ़ी, और न जमीन ही मिली। उनसे कहलवा लिया इस सरकार ने बड़े जोर से कि इससे नफा हमारा जरूर होगा। मगर जब वह काम हो गया तो नफा कौड़ी का नहीं हुआ।

उसी प्रकार सहकारिता वाले आन्दोलन में सबसे ज्यादा जोर गंगाप्रसाद जी दे रहे हैं, पूरा आसमान सर पर उठाये हैं कि बगैर सहकारिता के किसी तरीके से उनके वर्ग का लाभ नहीं हो सकता है। मगर मैं क्या कहूं तीन मर्तबा की उड़ान में तीतर भी पकड़ लिया जाता है। एक मर्तबा चीज समझ में न आवे, दूसरी दफा न आवे और तीसरी दफा भी न समझ में आवे तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है। अब गंगाप्रसाद जी समझ रहे हैं उन्हीं का लाभ है सहकारिता आन्दोलन में। जबकि खुलासा रूप से विधेयक कह रहा है कि जो मजदूर होगा वह पक्का, अव्वल नम्बर का मजदूर बना दिया जायगा। अभी तो माननीय गेंदासिंह जी अपने खेत पर काम करने वाले मजदूर को १ रुपये के बजाय १२ आना दे दें तो दूसरे दिन मिनिमम वेजेज का अधिकारी पहुंच जाय कि साहब आपने कम क्यों दिया। अगर गेंदासिंह जी अपने हलवाहे को इतवार

[कुंवर श्रीपालसिंह]

के रोज छुट्टी न दें, बैलों को चारा खिलाने वाले को छुट्टी न दें तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो जायगा। मगर सहकारी समिति में मजाल नहीं गंगाप्रसाद जी बैठ जायं। अगर समिति के सदस्य पास कर देते हैं तो उस रोज भी आना पड़ेगा, उनको इतवार के दिन भी बैलों को खिलाना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। और फिर भी कहते हैं उन्हीं का लाभ है। तो इसको मैं यही कह सकता हूं कि वह दिवा स्वप्न देख रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं कह सकता।

एक चीज और कहना चाहता हूं उपज के बटवारे के बारे में। मान लें थोड़ी देर के लिये सहकारी कृषि हो गई, हम सब शरीक हो करके बड़े उत्साह से खेती किये, अन्न पैदा होगा। उसका बटवारा किस आधार पर होगा ? तीन किस्म के लोग इसमें शरीक होंगे। एक तो वे लोग होंगे जिनकी जमीन होगी, दूसरे वे लोग होंगे जिनकी मेहनत होगी और तीसरे वे लोग होंगे टकोरी वाले जिनका रुपया होगा। अब जो बटवारा होगा वह किस आधार पर होगा उसका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है, उसको ये ही जानें। जमीन वाला कहेगा कि हमारी जमीन है लिहाजा हमें इस हिसाब से मिलना चाहिये, मेहनत वाला कहेगा कि हमने पूरी मेहनत की है इसलिये हमें ज्यादा मिलना चाहिये और जो नाम मात्र का सदस्य टकोरी वाला होगा, जिसका रुपया होगा, वह कहेगा कि रुपया हमारा लगा, हम रुपया न देते तो यों ही धूल फांकते रह जाते इसलिये हमें ज्यादा मिलना चाहिये। चूंकि बिल में बटवारे का कोई जिक्र नहीं है इसके माने हैं कि वह समिति ही इसको तय करेगी और अगर वही समिति तय करेगी तो यह तय है कि उसमें बहुमत होगा जमीन वालों का और रुपये वालों का। माननीय गंगाप्रसाद जी वहां भी ज्यों के त्यों रह जायेंगे। इनको वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यह जो कहा जा रहा है कि इससे बड़े-बड़े किसानों का नुकसान होगा इसलिये ये विरोध कर रहे हैं और मजदूरों का लाभ होगा इसलिये इसको चलने नहीं देना चाहते इसलिये मैं चाहता हूं कि वे आंख खोल कर जरा देख लें कि उन्हीं का इसमें नुकसान है।

आज जो दो, डेढ़ रुपया वे पा रहे हैं, सहकारी खेती में उनको ४, ६ आने रोज से ज्यादा नहीं मिलेगा। और यही इसलिये भी दिया जायगा क्योंकि समाजवाद का तरीका ही यह है। लेकिन, कार्ल मार्क्स और फ्रेड्रिक ऐंजिल्स ने जो घोषणा-पत्र लिखा है उसमें स्पष्ट कहा है कि समाजवादीकरण तभी होगा जब किसानों को खत्म किया जायगा। तभी श्रमिक अधिनायक-तन्त्र कायम किया जा सकता है और उस अधिनायकतन्त्र को कायम करने के लिये प्रत्येक को जब ये श्रमिक बनाना चाहते हैं तो जो श्रमिक हैं उसको तो पहले ही मार डालेंगे नहीं तो यह होगा कैसे। अगर मैं समाजवादी किसी को मानता हूं तो वह केवल माननीय झारखंडेराय जी को और बाकी तो सब नकली और फसली समाजवादी हैं। समाजवाद के प्रवर्तक और समाजवाद के तरीके पर चलने वाली अगर कोई भी पार्टी है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी जो नाम के समाजवादी हैं वे सब पिछलग्गू हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—यह राजाजी की राय है ?

कुंवर श्रीपालसिंह—राजाजी समाजवाद के विरोध में हैं। आज तो कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी है जिसका विश्वास समाजवाद पर है। हमारे इस सदन में सिद्धांत वाले समाजवाद का डंका पीटने वाली जो पार्टी है उसकी आस्था समाजवाद पर से डगमगा गयी। हमारी समाजवादी पार्टी तो अब रामायण का मेला लगाती है क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि गांवों में कोरे समाजवाद से काम चलने वाला नहीं है। तो खाली झारखंडेराय जी को मैं समाजवादी मानता हूं और बकिया को मैं समझता हूं कि खाली पांचों सवारों में गिनाना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस भी अपने को समाजवादी कहती है मगर समाजवादी है यह वही जाने। पहले गांधी जी थे तो कांग्रेसियों ने गांधीवाद का नारा बुलन्द किया। उनके मरने के बाद कहने लगे कि हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं मगर गांधीवाद के जरिये। लेकिन बाद में कहने लगे कि हम समाजवादी ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। समाजवादी कंकाल पर यह गांधीवाद की ओढ़नी उढ़ाकर यह हमारे पास आये। अबकी मर्तबा कह दिया कि हम पक्के समाजवादी

हैं। कल उनको मालूम हो जाय कि झारखंडेराय जी मैदान में आ गये और वह यह समझें कि वह जीत जायेंगे तो चट कह देंगे कि हम पहले से कम्युनिस्ट हैं, आप तो बाद के हैं । इस तरह के लोगों को मैं समाजवादी नहीं मानता हूं। मैं जब समाजवाद शब्द का प्रयोग करता हूं तो किसी भी माननीय सदस्य को भ्रम नहीं होना चाहिये उस समय केवल मेरे सामने झारखंडे राय जी की तस्वीर होती है, उनकी पार्टी होती है और उनके सिद्धांत होते हैं और उन्हीं का हम विरोध करते हैं क्योंकि वही असली विरोध करने के लायक होते हैं। मेरा समाजवाद पर विश्वास नहीं है। जब भारतीय परम्परा के आधार पर लोग यहां बैठे होंगे तो मेरा विश्वास होगा।

ग्रामों की उन्नति की बात कही गई है कि सहकारी खेती से होगी । पता नहीं कैसे होगी ? मैं इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ निवेदन कर चुका हूं लिहाजा इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ग्रामों की उन्नति तभी हो सकती है जब गांवों में जो लोग खेती पर लगे हुए हैं उनके अलावा जो बचे हुये लोग हैं, उनको दूसरे काम पर लगाया जाय । आज भी आप देखें कि किसी घर के अगर चार आदमी खेती पर लगे हैं तो बाकी आदमी शहर में ठेला आदि चलाते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं। इसलिये उनके गुजारे के लिये गांवों के बीच में फैक्टरियां बनाई जायं, उद्योग धंधे खोले जायं और उनको उनमें लगाया जाय तो गांवों की उन्नति हो सकती है। यह कहना कि बड़े-बड़े खेत कर देने से उन्नति होगी, भ्रमात्मक है क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि मेरे पास २५ एकड़ का फार्म है और उसी के बगल में चार बीघे का खेत है, मैं सब काम अपने हाथ से करके उतना पैदा नहीं कर पाता हूं जितना वह कर लेता है। इसलिये यह सोचना कि बड़े खेत होने से उपज बढ़ेगी केवल एक भ्रम है।

जापान में प्रति व्यक्ति भूमि ०.०७ हैक्टर है और भारत में ०.२९ प्रति व्यक्ति है। जापान में औसत कृषक परिवार के पास भूमि २.५ एकड़ है और भारत में ३.४३ एकड़ है । उत्पादन जापान में धान की कृषि का ४९.१ क्विंटल प्रति हैक्टर और भारत में १२.२ क्विंटल प्रति हैक्टर है। जापान में प्रति व्यक्ति होल्डिंग्स भी छोटी हैं । जापान में भारतवर्ष से प्रति परिवार भी होल्डिंग्स छोटी हैं। मगर उपज कई गुनी, तीन, चार गुनी तक है और इतना ही नहीं, जापान की इस आबादी का ४० प्रतिशत जो है उसके पास डेढ़ एकड़ से भी कम जमीन है। लेकिन फिर भी उपज इतनी ज्यादा है। उसका कारण क्या है ? क्या उन्होंने वहां लैंड की पूलिंग कर रखी है ? क्या उन्होंने कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग कर रखी है ? जी नहीं। उन्होंने अपने यहां वही किया है जो कि होना चाहिये। और वह यह है कि उन्होंने अपने यहां सर्विस कोआपरेटिव्ज बनायी हैं। उन्होंने अपने यहां संयुक्त उन्नत कृषि की है। उन्होंने अपने यहां संयुक्त सहकारी कृषि नहीं की है। हमको यह सहकारिता की एक पुस्तक मिली है इधर की। पहले तो हमारी सरकार का भी ध्येय था कि संयुक्त उन्नत कृषि की जाय, मगर अब इसको उन्होंने निकाल दिया उसमें से। अब यह कहते हैं कि हम तो संयुक्त सहकारी कृषि करेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं करेंगे । करें, मगर उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा सारे देश को। सहकारिता रूस में, समाजवादी स्वर्ग जो है, उसमें जिस समय हुई थी, जिस समय सरकारी फार्मिंग शुरू हुई और किसानों की जमीन छीनी गई उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए विक्टर क्रैव चैंको जो वहां के क्रेमलिन के मेम्बर थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है "आई चोज फ्रीडम", उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हुआ क्या ? जब जमीनें ले ली गयीं किसानों की और सरकारी खेती होने लगी तो अकाल पड़ा रूस में और करोड़ों आदमी उसमें खाने बगैर मर गये। गांव के आदमियों ने घोड़े की लीद और कुत्ते का मांस तक खाया और ठोकर मार कर घरों में से किसान निकाले जा रहे थे। उनके दरवाजों पर सरकारी फार्मों में गेहूं लहरा रहे थे, जरा-जरा से बच्चे गेहूं की एक बाली भी अगर छू देते थे तो गोली से मार दिये जाते थे।

एक सदस्य—कहां की बात आप कर रहे हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह—रूस की। और विक्टर क्रैव चैंको ने यह कहा है जो कि क्रैमलिन के मेम्बर थे, रूस की उस संस्था के मेम्बर थे जो कि वहां की सबसे बड़ी संस्था है पालिट

[कुंवर श्रीपालसिंह]

ब्यूरो, उसने अपनी पुस्तक "आई चोज फ्रीडम" में लिखा है तो वहां उस समाजवादी स्वर्ग के अन्दर भी जहां एक मर्तबा लोगों को नरक में से, उस कुम्भीपाक में से गुजरना पड़ा है जिसको कि सोचा नहीं जा सकता, उस तजुर्बे को फिर से हमारी सरकार दोहराना चाहती है। वह चाहती है कि वह इस सहकारिता के द्वारा ग्राम व्यवस्था हिला दे। लेकिन वह यह नहीं जानती कि जगह से हटा देने के बाद वह उस पत्थर को कहां रखेगी? करोड़ों आदमियों को डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा? इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिये मैं तेजबहादुर-सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं कि गांवों में इस बिल को जाना चाहिये। जिनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है उनके पास इसको जाना चाहिये। रूस की तरह यहां भी जिनको मजबूर होकर बैल का गोबर और कुत्तों का मांस खाना पड़ सकता है उनके पास इसको जाना चाहिये। यहां बैठकर इसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि हम भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं और उसी जनता के प्रतिनिधि के नाते हम जो चीज करेंगे वह जनता की होगी। मैं इसमें आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो जनता के प्रतिनिधि वाली होती हैं? वोट जब हम मांगने जाते हैं तब जनता का प्रतिनिधित्व होता है, उनसे कहा जाता है कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन यहां आ करके सब पार्टियों के प्रतिनिधि हो जाते हैं, जनता का प्रतिनिधि कोई नहीं रहता।

एक उदाहरण दूं। अभी पिछली मर्तबा यहीं इसी सदन में माननीय नारायणदास जी पासी का एक प्रस्ताव था जिस पर कि सदन ने एक मत से यह तय किया था, सब उसके समर्थन में बोल रहे थे, कि सन् १८५७ से लेकर के सन् १९४२ तक जो भी सेनानी स्वतंत्रता संग्राम के रहे हैं उनके आदर सत्कार के लिये हमें कुछ न कुछ करना चाहिये। मगर पार्टी व्हिप निकला और उस पार्टी व्हिप के जरिये से यह कहा गया कि अगर नारायणदास जी अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेते हैं तो हर एक कांग्रेसी सदस्य को उनके विरोध में वोट करना पड़ेगा। तो क्या मैं मानूं कि यह जनता के प्रतिनिधि हैं या कांग्रेस संस्था के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस संस्था समाजवादी संस्था है जिस समाजवाद के नाम से गांव का आदमी चिढ़ता है। वह, उसके प्रतिनिधि अगर इसके ऊपर बैठकर विचार करेंगे तो यह तय है कि यह बिल कभी भी गांवों के हित में नहीं होगा।

अन्त में मैं आपके द्वारा जोरदार शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को अवश्य गांवों में घुमाया जाय और घुमाकर प्रत्येक गांव के व्यक्ति से राय ली जाय। तब इस बिल को पास किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और बिल निर्माता भूतपूर्व मन्त्री गौतम जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं उनका इस लिये स्वागत करता हूं कि उन्होंने बड़े प्रयत्न से इसको तैयार किया था लेकिन मैं उनको बधाई इसलिये नहीं दे सकता कि यह बिल जो उन्होंने तैयार किया वह उस समय तैयार किया जब वह मास्को की यात्रा और जर्मनी की यात्रा नहीं कर पाये थे। मास्को और जर्मनी की यात्रा के पश्चात् यदि वह इस बिल को तैयार करते तो इस बिल का रूप दूसरा होता। हमको उम्मीद थी कि समाजवादी देशों से आने के पश्चात् इस बिल को ऐसा बनाया जायगा कि इसका रूप विस्तृत होगा और हमारे सहकारी आन्दोलन का मोड़ दूसरा हो जायगा। परन्तु मुझे दुख है कि जो हम आशा करते थे वह आशा इस बिल के आने से पूरी नहीं हुई है। अगर इस बिल को देखा जाय तो इसमें ४, ५ मुख्य बातें हैं जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं। एक मुख्य बात यह है कि १९१२ में जो प्रथम ऐक्ट बना वह समय-समय पर तब्दील होता रहा। उस ऐक्ट से कुछ अनुभव हुए हैं और कुछ कठिनाइयां भी। उन अनुभवों के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

इसमें ३, ४ बातें कही गई हैं। इसमें प्रथम यह है कि नान-आफिशियल मेम्बरों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, कोआपरेटिव फार्मिंग हो, लैंड मारगेज बैंक हो और कुछ अपील की व्यवस्था

की गई है। हम समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं और उसके अनुरूप ही अगर साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का कोई रास्ता हो सकता है तो वह रास्ता कोआपरेशन का है। इन दोनों के बीच का रास्ता यही सहकारी आन्दोलन का रास्ता है जो कम्युनिज्म और पूंजीवाद को रोकने के लिये सफल हो सकता है। स्वेडन ने कोआपरेटिव का सहारा लेकर बड़ी तरक्की की है। सहकारिता का सहारा लेकर अगर सारे देशों में तरक्की की है तो वह स्वेडन है। स्वेडन इस कोआपरेटिव मूवमेंट का सहारा लेकर इतने ऊंचे उठ गया है कि आज वह देश सहकारिता का मक्का बन गया है। हमारे भूतपूर्व कोआपरेटिव मंत्री माननीय गौतम जी की कृपा से मुझे उस देश को देखने का मौका मिला है। मैं उस देश में गया। वह देश सहकारी आन्दोलन से बहुत ऊंचे उठ गया है। धन में अमरीका के पश्चात् दूसरा नम्बर है। इस बिल के अन्दर हम चाहते थे कि नान-आफिशियल का पूरा-पूरा सहयोग हो जैसा कि स्वेडन में है। किन्तु जो कोआपरेटिव का आज आन्दोलन चल रहा है सरकारी कर्मचारियों का उसमें पूरा-पूरा राज है नीचे से लेकर ऊपर तक। दूसरे देशों में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट का इस कोआपरेटिव मूवमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है। पालिसी निर्धारित करने में उनका सम्बन्ध रहता है। यहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक सारा कोआपरेटिव का आन्दोलन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार से हमारा यह आन्दोलन कभी भी तरक्की पर नहीं ले जाया जा सकता है।

इस बिल में अधिक से अधिक नान-आफिशियल लोगों को लेने की कोशिश की गयी है, परन्तु इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हमने तय किया कि हम गांवों में सर्विस कोआपरेटिव्ज की स्थापना करेंगे, किन्तु सर्विस कोआपरेटिव की इस बिल के अन्दर कोई गुंजायश नहीं है। हम डि-सेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं और गांव को लोएस्ट यूनिट मानते हैं। जो गांव में सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाई जायंगी और साधन समितियां बनाई गई हैं उनके लिये कैपिटल फार्मेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ शेयर्स खरीदने की बात है जिससे कुछ कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाई जायंगी। उनको रुपया मिलेगा। लेकिन यह श्रीमन्, बहुत ना काफी है। माननीय राजा साहब ने अभी कहा कि सर्विस कोआपरेटिव से गांवों की तरक्की नहीं हो सकती। वास्तव में गांवों की तरक्की सर्विस कोआपरेटिव से ही हो सकती है और यह तभी कामयाब हो सकती है कि जब उनके पास कैपिटल हो। कैपिटल का फार्मेशन तभी हो सकता है कि जब सरकार डाइरेक्ट उनको आर्थिक सहायता दे और उन्हें मीन्स आफ प्रोडक्शन में सहायता दे। एक किसान एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, लेकिन सर्विस कोआपरेटिव बनाकर वह ट्रैक्टर खरीद सकता है, वह आबपाशी के साधन मुहय्या कर सकता है और सामूहिक रूप से बहुत सी बातें कर सकता है जो व्यक्तिगत तरीके पर करना उसके लिये मुमकिन नहीं है और इसकी व्यवस्था इस बिल में कतई नहीं है। माननीय मंत्री जी ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर विचार के समय भी यहां नहीं हैं, किन्तु मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाय तो उसमें इस प्रकार के संशोधन को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये। अगर परिधि बढ़ाने की बात मान कर वहां इस पर विचार किया जाय तो इसकी बहुत सी कमियां दूर हो सकती हैं।

माननीया, स्वेडन में उन्होंने सारे देश को रीजन्स में बांट दिया है। जो दूध का काम करने वाले हैं उनकी एक यूनियन है, जो स्लाटर हाउसेस में काम करने वाले हैं उनकी एक यूनियन है, खेती करने वालों की एक यूनियन है, क्रय विक्रय की सोसाइटियां अलग हैं और उन सब का सम्बन्ध एक सेंट्रल सोसाइटी से है। जो सेन्ट्रल सोसाइटी है वह गवर्नमेंट से बारगेन करती है कि कितनी प्राइसेस होनी चाहियें, हमारी क्या आवश्यकतायें हैं और इस प्रकार हर किसान वहां की सोसाइटियों का सदस्य है और सारा सहयोग आन्दोलन गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। हमारे प्रदेश में सारा कोआपरेटिव आन्दोलन सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं। यह धीरे-धीरे समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये, लेकिन इस बिल में रजिस्ट्रार की पावर्स बढ़ा दी गयी हैं और लिटिगेशन को, उनके अवार्ड की अपील का मौका देकर, बढ़ा दिया गया है।

[श्री नेकराम शर्मा]

इसके अतिरिक्त माननीया, हमारा कोआपरेटिव आन्दोलन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि देश में शिक्षा न हो। गांवों में जब तक शिक्षा का प्रचार न होगा यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। यहां एग्रीकल्चर के स्कूल हैं, ओवरसियर्स के लिये स्कूल हैं, लेकिन कोआपरेटिव आन्दोलन चलाने वालों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। स्वेडन में जितने कोआपरेटिव में काम करने वाले हैं वही लड़के नौकरियों में लिये जाते हैं और वे कोआपरेटिव स्कूल या कालेज में पढ़ते हैं, वहां से पास हो कर आते हैं। यहां तो हाई स्कूल या इंटर पास लड़के ही कोआपरेटिव विभाग में ले लिये जाते हैं चाहे उन्हें कोआपरेटिव आन्दोलन में विश्वास हो या न हो। वहां किसानों के लिये अलग-अलग कालेजेज हैं और उनके एक हफ्ते से लगाकर चार महीने के कोर्स भी होते हैं। वहां किसान इकट्ठा किये जाते हैं और कोआपरेटिव पर उनको लेक्चर दिये जाते हैं कि हमारा क्या मार्केट रहेगा, हमारी उपज का क्या स्कोप है, हमारा क्या प्रोडेक्शन होना चाहिये, हम दूसरे देशों में क्या भेजेंगे और हमारी क्या आवश्यकतायें हैं, क्या हमें बोना चाहिये, आदि बातों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसकी हमारे प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं है। उम्मीद यह थी कि इस बिल द्वारा कोआपरेटिव आन्दोलन में एक नया जीवन डाला जायगा, लेकिन गौतम जी से पूरी उम्मीद होते हुए भी कि वह इसे एक नया मोड़ देंगे, वह हो नहीं पाया। एक बैंक (Bank) की स्थापना हो गयी है और उसके द्वारा जो काम हुआ है वह बहुत अच्छा है, उससे कुछ उम्मीद हुई है। लेकिन यहां तीन तरह के किसान हैं---सीरदार, भूमिधर और असामी। इसमें भूमिधरों के लिये व्यवस्था की गयी। उनको कर्ज मिल सकता है। थोड़ी गुन्जायश सीरदारों के लिये भी की गयी है, लेकिन असामियों को नहीं। सर्किल रेट का लैंड वैलुएशन होगा, उस का हिसाब लगाकर जो कर्ज मिलेगा वह भी सब हिसाब करने के बाद चार, ६ महीने में मिलेगा, और उस से किसान की जरूरत वक्त पर पूरी नहीं हो सकती। शीघ्र कर्ज मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसको सिम्पलीफाई करना चाहिये था। हम अगर कोआपरेटिव आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमको सर्विस कोआपरेटिव्ज को प्रधानता देनी होगी। कैपिटल प्रोवाइड करने के लिये, प्रोडक्शन के लिये, डिस्ट्रीब्यूशन के लिये, इन सारे कामों के लिये गांव में एक यूनिट हमको बनानी चाहिये थी और उसके लिये इस बिल में गुन्जायश होनी चाहिये थी। गौतम जी के समय में इस ओर जो भी कार्य हुए उसकी प्रधान मंत्री जी ने भी सराहना की थी। अगर उस समय में उनके अधीन जो कार्य हुए उनको देखा जाय तो आज ऐसा लगता है कि इस समय दूसरे कोआपरेटिव मंत्री जी के आने पर वह कोआपरेटिव विभाग नान-कोआपरेटिव विभाग का सा होता जा रहा है। कई जिलों में फेडरेशन के सेक्रेटरीज और मेम्बरों को बदल दिया गया है उनकी टर्म खत्म भी नहीं हुई है और उनको हटा कर उनके स्थान पर दूसरे अपने ग्रुप के आदमियों को रख दिया गया है। आज जिस तरह से इस विभाग में गुट स्प्रिट से काम हो रहा है उससे कोआपरेटिव आन्दोलन कभी सफल नहीं हो सकता।

मेरे यहां अलीगढ़ जिले में कोआपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर्स का चुनाव होने वाला था। उसकी मीटिंग बुलाई गई। किन्तु १० तारीख को जब ए० डी० एम० प्रेजाइड करने पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यह मीटिंग नहीं होगी, और उसको स्थगित कर दिया जाता है। यहां से मिनिस्टर उस मीटिंग को पोस्पोन करा देते हैं गुटबन्दी के आधार पर और इसलिये करा देते हैं कि दो, तीन मेम्बरों के विरुद्ध जांच चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कार्यों से कोआपरेटिव मूवमेंट सफल होगा? कोआपरेटिव मंत्री जी, आप बजाय कोआपरेटिव भावना के नान-कोआपरेशन की तरह काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से पूंजीपति पैसे के बल पर दिल्ली से लखनऊ तक हावी हो रहे हैं, उसी तरह से कोआपरेटिव मंत्री गुटबन्दी इस विभाग में चला रहे हैं। उससे सहयोग आन्दोलन में विश्वास करने वाले कार्य कर्त्ताओं का आज गला घोटा जा रहा है।

जिन मंत्री महोदय ने इसको पेश किया है उनका कोआपरेशन से कोई संबंध ही नहीं है। आज चाहे पुलिस से संबंधित बिल हो, चाहे जिस विभाग का बिल हो, सभी का माननीय

रामस्वरूप यादव जी ही संचालन करते हैं। जब से हमने इस बात का नारा दिया है कि हम न तो साम्यवाद की तरफ जा रहे हैं और न ही हम कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं, बल्कि हम एक मिश्रित एकोनामी की तरफ जा रहे हैं, हमने अपनी उन्नति के लिये कोआपरेटिव के आधार को माना है और उसके लिये यह जरूरी है कि हम सहकारिता की भावनाओं को अपनायें। इससे देश का धन बढ़ सकता है और हमारी अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं। इस आन्दोलन में सन् १९१२ से १९६० तक कितना हेर फेर हुआ हमें उसको ध्यान में रखना चाहिये। माननीय गौतम जी ने उसमें अपने समय में एक नया मोड़ दिया और काफी इस ओर प्रगति की। आज उसमें किस तरह से एक दूसरा मोड़ दिया जा रहा है, किस तरह से नये मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं, क्या उससे यह आन्दोलन सफल हो सकेगा? आज सारे प्रदेश में यह बात फैली हुई है कि गुटबन्दी के आधार पर इस आन्दोलन को चलाया जा रहा है और जो आदमी काम कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, अपने आदमियों को उनकी जगह पर रखा जा रहा है। यह नीति इस आन्दोलन को सफल नहीं बना सकती। जनता भी बड़ी गम्भीरता के साथ सोच रही है कि आखिर यह जो कोआपरेटिव आन्दोलन चलाने वाले हैं उनकी मंशा क्या है? आज किसान को यह नहीं मालूम है कि वह मेम्बर बन गया है, उसका कितना रुपया जमा है और कितना कर्ज आया है, कितने रुपये का गबन हो गया है, आदि।

यह सभी को मालूम है कि फेडरेशन में कितना एम्बेजिलमेंट हुआ। सब सदस्य जानते हैं कि कोआपरेटिव की जो वर्किंग है वह ठीक नहीं चल रही है क्योंकि आपने गवर्नमेंट आफिशियल्स के हाथ में छोड़ दिया है। आप एक स्कूल या कालेज की स्थापना कीजिये और उसमें कोआपरेटिव में विश्वास रखने वालों को शिक्षा दीजिये। कोआपरेटिव विभाग में जितनी भी नौकरियां हैं उनके लिये कोर्स प्रेस्क्राइब कीजिये और जो वह कोर्स लें उन्हीं को नौकरियां दी जायं। यह विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक उन्हीं के सिपुर्द किया जाय। आप प्रदेश को रीजन्स में डिवाइड कीजिये और वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाइये। स्वेडन में जब शुरुआत में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं तो १५–२० मेम्बर्स थे २०० क्रोनर थे लेकिन आज वहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तक का कार्य कोआपरेटिव सोसाइटीज ही करती हैं। वहां पर फैक्टरीज, हाउसिंग स्कीम्स सभी कुछ नान-आफिशियल कोआपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं। हर किसान उसका सदस्य है। किसान अपना दूध सड़क पर रख देता है जिसे कोआपरेटिव की गाड़ी उठाकर ले जाती है। मैं आपकी आज्ञा से वहां का कुछ फार्म पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से वहां पर कोआपरेटिव आन्दोलन कार्य कर रहा है। वहां के किसान जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर होते हैं उनके पास केवल एक ही कागज होता है जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा होता है कि कितनी उसके पास जमीन है, कितने जानवर हैं, कितना उसने बोया है, कितना कोआपरेटिव को देना है, कितनी आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा, कितना लेबर लगेगा, यह सारा हिसाब उसमें लिखा होता है। वह हाथ से लिखकर गवर्नमेंट के पास भेजता है। लेकिन यहां पर किसान को कुछ भी पता नहीं होता।

माननीया, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप किसान को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक कोआपरेटिव आन्दोलन नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है इसे या तो वापिस लिया जाय और उसके बाद नये ढंग से समाजवादी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये और किसान की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुये इसको रिड्राफ्ट किया जाय, डिसेन्ट्रलाइज किया जाय, आफिशल कन्ट्रोल हटाया जाय या सेलेक्ट कमेटी में परिधि बढ़ाने के अधिकार के साथ भेजा जाय जो कि इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सके। जिस रूप में यह विधेयक है, इसके कोई अर्थ नहीं है। आजादी के बाद जिस प्रकार से हमने सैकड़ों बिल यहां पास किये हैं उसी प्रकार से यह बिल भी पास हो जायगा लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

माननीया, मैं शुरू में यह कह रहा था कि स्वेडन में कोआपरेटिव आन्दोलन क्यों तेजी पर है? वहां पर इस आन्दोलन के सफल होने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि वहां पर जो बुनियादी मेम्बर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई। गांव-गांव में जाकर कोआपरेटिव आन्दोलन के सम्बन्ध में उनको एजूकेशन दी गई। एजूकेशन से मेरा मतलब साधारण पढ़ाई-लिखाई से नहीं

[श्री नेकराम शर्मा]

है बल्कि जनरल शिक्षा से है। उनको यह बताया गया कि उनकी क्या हालत है, उनको किस बात की आवश्यकता है और उनके आब्जेक्टिव कार्य को कैसे पूरा किया जा सकता है। आज वहां पर हालत यह है कि कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो कोआपरेटिव का मेम्बर न हो। चाहे डेरी की सोसायटी हो, मारगेज सोसायटी हो, कोई भी सोसायटी हो, किसान उसके मेम्बर हैं। प्रदेश में सभी रहने वालों को सदस्य बनाया जाय, इसका प्रयत्न होना चाहिये।

यहां एक रजिस्ट्रार साहब बैठे हुये हैं, जो सब कुछ करते हैं। उनको आन्दोलन से कोई जानकारी नहीं। इतना खर्च होने के बाद मैं स्वेडन से लौटा, तो भूतपूर्व मंत्री गौतम जी से मैंने प्रार्थना की कि अपने गांव में एक सर्विस कोआपरेटिव चलाकर, कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव चलाकर, काम करने का मुझे अवसर दें। मेरे गांव की आबादी लगभग दो हजार है और वह ४ गांवों में बटा हुआ है। मंत्री जी ने मेरा पत्र रजिस्ट्रार साहेब के पास भेज दिया और मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इतना खर्चा करके लौटा और अपने अनुभव को कार्य रूप में न लाने दिया। और उन्होंने उसके बारे में तरह-तरह के विचार रखे। स्वेडन में जो के० एफ० का मेम्बर है वह अपनी तमाम चीजें कोआपरेटिव से लेता है, साल में हिसाब लगाया जाता है कि कितना उसने खरीदा और उसके हिसाब से उसे डिस्काउन्ट मिलता है और मुनाफा भी मिलता है। लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस नौकरशाही ने, इस स्कीम को नहीं चलने दिया।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नेकराम शर्मा---जैसे हमारे यहां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोली गई और एग्रीकल्चरल स्कूल्स हैं, इसी प्रकार कोआपरेटिव के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। इनमें से निकले व्यक्ति कोआपरेटिव विभाग में रखे जाने चाहिये।

दूसरा मेरा सुझाव है कि सर्विस कोआपरेटिव में कैपिटल का फार्मेशन हो। गांव की सोसाइटियों को मीन्स आफ प्रोडक्शन में सफल बनाने के लिये जरूरी है कि उनको सरकार की ओर से कार्य करने के लिये धन दिया जाय, आबपाशी की, बीज की, ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा हो।

जैसा मैंने पहले बताया था, इजराइल में ४ तरह का सिस्टम है। एक तो किबुटज सिस्टम है। वहां एक कम्यूनिटी लाइफ है। सारे गांव की जमीन एक है और सब उसमें काम करते हैं। उनके बच्चे रात को एक जगह सोते हैं। खाना-पीना एक जगह होता है। दूसरा सिस्टम वहां है मोशन, उसमें भी सर्विस कोआपरेटिव की भावना है। जमीन मिली हुई है, गांव की सोसायटी सब चीजें खरीद लेती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तीसरा सिस्टम उनका डिफेन्स लाइन का है। जोर्डन से उनकी लड़ाई रहती है। बार्डर पर मिलीटरी के लोगों के गांव बसाये गये हैं। वे खेतों पर काम करते हैं। वहीं उनका एक साथ खाना बनता है। सबके लिये एजूकेशन वगैरह का पूरा प्रबन्ध रहता है। इसी तरह से चाइना बोर्डर पर हम गोरखों वगैरह का गांव बसाकर उनकी किबुटज बनाकर अपनी आबादी और डिफेन्स की समस्या हल कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब कि हमारे यहां कोआपरेटिव से, मेल-जोल से, रहने की शिक्षा दी जाय। कोआपरेटिव भावना से हम अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं।

माननीया, किस प्रकार से कोआपरेटिव की शिक्षा वहां दी जाती है, यह मैं बतलाना चाहता हूं। कोआपरेटिव के साथ, बिजनेस एफीशियेन्सी, प्लानिंग, सेलिंग, परचेज, इत्यादि की शिक्षा भी दी जानी चाहिये। ट्रांसपोर्ट क्वैश्चन, ट्रांसपोर्ट इकोनामी, प्राइस क्वैश्चन, मैथड आफ सेलिंग, इम्पोर्ट, कस्टम्स क्वैश्चन्स, कोआपरेटिव प्रिंसिपल्स, जितने भी कोआपरेटिव से सम्बन्धित विषय हैं उनकी ट्रेनिंग यहां दी जानी चाहिये। गांव के स्तर से लगाकर कोआपरेशन की भावना उनमें भर दी जानी चाहिये। नौकरियों में वही लड़के लिये जावें जो ये सब शिक्षा पाये हुए हों। उनके आने-जाने का और खाने इत्यादि का प्रबन्ध सब सरकार की ओर से होना चाहिये। साइकोलोजीकली देखना होगा कि उसकी कितनी बुद्धि है। उसके बाद

उसका एप्वाइंटमेंट होना चाहिये यह देखकर कि यह लड़का फिट है कोआपरेटिव में काम करने के लिये। यहां तो जिसको ६ महीने की ट्रेनिंग हो गई, वह सुपरवाइजर बन गया। रजिस्ट्रार साहेब आज सेक्रेटरी हैं, कल उन्हें रजिस्ट्रार बना दिया जाता है। यही चलता रहता है। मेरा सुझाव है कि इस कोआपरेटिव विभाग से सरकारी कंट्रोल को समाप्त करना चाहिये और जनता के हाथों में कोआपरेटिव का कार्य सौंपना चाहिये। यह सब तभी सम्भव है जब कि आम शिक्षा होगी। तभी कोआपरेटिव आन्दोलन सफल होगा।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार या तो इस बिल को वापिस ले ले और फिर से लावे, नहीं तो इस संशोधन के साथ परिधि बढ़ाने के अधिकार के साथ इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि जो हम चाहते हैं वे सब बातें इस बिल में आ सकें। समय का तकाजा है कि अगर आप पूंजीवाद और कम्युनिज्म से देश को बचाना चाहते हैं, तो बीच का रास्ता कोआपरेटिव का अपनाइये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैंने पिछले २ दिनों से इस विधेयक पर हुई बहस को सुना। विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने मत व्यक्त किये। जहां तक सहकारिता के सिद्धांत की बात है, उससे सभी सहमत हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि समाजवादी व्यवस्था का जो अपरिहार्य अंग सहकारिता है उसकी भावनाओं की, उसके उद्देश्यों की पूर्ति यह विधेयक करता है या नहीं। आज हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है वह समाजवाद की व्यवस्था नहीं कही जा सकती, वह पूंजीवादी व्यवस्था है। किसी भी दिशा में देखें तो मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था ही नजर आवेगी। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उसमें एक ही व्यक्ति की मंशा काम करती है बाकी लोग साधारणतः अपने कर्तव्य से बंधे रहते हैं। एक पूंजी वादी व्यवस्था होती है या सामन्तवादी व्यवस्था हो। सामन्तवादी व्यवस्था इसलिये कह रहा हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्य जो स्वतन्त्र पार्टी के हैं उन्होंने भी इस सदन में अपने विचारों को प्रकट किया। वे हमारा विरोध इसलिये नहीं कर रहे हैं कि सैद्धान्तिक रूप से उनके पास कुछ कहने को था। उनके दिमाग में केवल एक भय है कि उनकी जमीन चली जायगी। यह हम सभी जानते हैं कि जिनके पास सिद्धांत की कमी होती है ऐसे मनुष्य हमेशा हृदय प्रधान बातों को लेकर चला करते हैं। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टियां भी यहां बनती हैं। जनतन्त्र में पार्टियां बनना बुरा नहीं है लेकिन देश में इस प्रकार की पार्टियां बनना, जिनसे देश की स्वतन्त्रता ही संकट में पड़ जाय, उचित नहीं है। बारबार यह कहा जाता है कि सहकारिता से लोगों के पास जो जमीन है वह भी चली जायगी और केवल स्वतन्त्र पार्टी ही इसमें सक्षम है कि उनकी जमीन बनी रहे।

एक बार माननीय सदस्य उस समय हवा के खिलाफ चले जब कि यहां जमींदारी प्रथा चल रही थी, उसको उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन न रोक सके। आज भी वे हवा के खिलाफ चल रहे हैं लेकिन वे आज भी उसको रोक नहीं सकते। वह आयेगी। अपने भाषणों के द्वारा जो उन्होंने असाध्य प्रयास किया है उनकी उस आलोचना के सम्बन्ध में इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

माननीय सदस्यों से मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सहकारिता का सिद्धांत समानता का सिद्धांत है। जब तक हम समानता के दृष्टिकोण को नहीं ला पाते तब तक हमें सहकारिता में सफलता नहीं हो सकती भले ही हमें एक दो जगह उसका चमत्कारिक प्रभाव दिखायी दे। सहकारिता और समानता का चोली दामन का साथ है जो पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक अधिकार सम्पन्न होता है और दूसरा कर्तव्य सम्पन्न। लेकिन सहकारिता में दोनों की समान स्थिति होनी चाहिये, उनकी इच्छाएं समान होनी चाहिये, समान रूप से ईमानदार हों, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास हो। सहकारिता के ये सिद्धांत हैं।

जो कर्तव्य और अधिकार की बात मैं कह रहा हूं वह हमारे विधेयक से भी स्पष्ट है। यानी यह विधेयक सहकारिता की ओट में पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था का परिचायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषरूप से आप उन धाराओं को देखिये जिनके द्वारा निबन्धक को

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

विशेष अधिकार दिये गये हैं। हमारे देश में अनन्त काल से नहीं तो बहुत समय से एक व्यवस्था चली आयी है और यहां पर दो तरह के आदमी होते चले आये हैं, और विश्व में इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक सामन्तवादी और दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन यह भी सही है कि सामन्तवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के साथ नहीं चल सकती क्योंकि न उसमें सस्ते मजदूर ही मिल सकते हैं और न इच्छानुसार श्रम करने वाले। इसलिये सामन्तवादी व्यवस्था के साथ पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिये कुंवर श्रीपालसिंह जी इस भ्रम में न रहें। योरोप का इतिहास स्पष्ट बताता है कि वहां सामन्तवादी व्यवस्था का नाश पूंजीवादी व्यवस्था ने किया है क्योंकि इन दोनों व्यवस्थाओं का टकराव सिद्धांतों में होता है। इसलिये एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को नष्ट करती है। इसलिये राजा साहब मुतमईन रहें कि उनकी व्यवस्था चलना चाहिये और जो पूंजीवादी व्यवस्था वर्तमान है उसका नाश यह विधेयक कर पायेगा इसमें सन्देह है। अगर वह चले तो किन परिस्थितियों में चले, कौन-कौन सी सुरक्षात्मक कार्यवाहियां करना चाहिये, इस पर हमें विचार करना है।

मैं यह कह रहा था कि हमारे देश में और वैसे भी एक अजब परिस्थिति है कि यहां पर २ प्रकार के इन्सान हैं। अगर मैं यह कहूं कि २ प्रकार के इन्सान तो राक्षस और देवता होते हैं, इन्सान नहीं हो पाते तो वह अत्युक्ति न होगी। वह चीज आज भी है कि जिन के पास अधिकार हैं उन के कोई कर्तव्य नहीं हैं और दुर्भाग्य से ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं हैं। यह मंत्रिमंडल है, सरकारी अफसर हैं या यह कोआपरेटिव सोसाइटी के निबन्धक हैं, यह सब ऐसे अधिकार सम्पन्न हैं कि उनके कोई कर्तव्य नहीं हैं। जब चाहें जिस कमेटी को मन में आया, जो कमेटी ठीक नहीं चल रही है, उस को वह अपदस्थ कर दें। चाहे सहकारी समिति विरोध में हो लेकिन वह चाहे कि किसी आदमी की नियुक्ति करना है तो वह करेंगे। अगर कोई समिति चाहे कि हम सचिव नहीं रखेंगे और बिना सचिव के ही हम काम चला सकेंगे या समिति को अगर ऊपर के अफसर चाहेंगे तो बाध्य कर देंगे कि तुम को रखना होगा। सरकार जिस तरह से कल्पना करती है कि परोपकार के लिये कोई अपना समय नहीं देगा तो आज सरकारी पार्टी के अलावा तमाम पार्टियां अपना कार्य संचालन कर ही रही हैं, वहां कोई सरकारी आदमी तो काम चला नहीं रहे।

सहकारिता आवश्यकता, इच्छा और ईमानदारी पर ही चलती है। अब अधिकार प्रधान लोगों का कर्त्तव्य प्रधान लोगों पर जो दबाव होता है वही सहकारिता का शत्रु है। इस बिल में अधिक मात्रा में यही चीज है, वह हर धारा में न हो लेकिन मूल रूप से काफी स्थानों पर यही चीज देखने को मिलेगी। इस चीज को मैं आगे स्पष्ट करूंगा। इस अधिकार सम्पन्न और कर्त्तव्य सम्पन्न लोगों के संघर्ष के कारण ही देश तबाह है। यह अधिकार सम्पन्न इतने मदहोश हुए हैं कि जो कार्य उनको करने चाहिये वह सहकारिता के लिये नहीं कर पाते, जो शक्तिप्रधान होते हैं वह पतित होते हैं और कुछ कर नहीं पाते। यह स्वाभाविक है, २,००० वर्ष के इतिहास से हमें मालूम होगा कि अधिकार सम्पन्न लोग ही ज्यादा मदहोश रहे हैं और वह ही अधिकारों का सदुपयोग करने में अधिक असफल रहे हैं। अगर वह अपने अधिकारों का सही उपयोग करें तो देवता हो सकते हैं, वह इन्सान नहीं रहेंगे। जैसे इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं वह देवता बन गये हैं। लेकिन अधिक संभावना पतित होने की ही रही है और पतित होने पर वह राक्षस हो जाते हैं। अब कर्तव्यपरायण जो लोग हैं उनके सामने कर्त्तव्य ही कर्तव्य होने के कारण, और उसके साथ अधिकारियों का सहयोग न होने के कारण, उनके सामने कोई प्रोत्साहन नहीं रहता कि वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें और उस प्रोत्साहन के अभाव में उनका कर्तव्य भी ढीला हो जाता है और वह कर्त्तव्यपूर्ति में गिर जाते हैं। जो कर्तव्यशील हैं, जो अधिक ईमानदार हैं वह तो देवता हो जायंगे लेकिन जो प्रोत्साहन का अभाव फील करते हैं उसका परिणाम भी यह होता है कि वह आदमी भी राक्षस हो जाते हैं।

अब जो समाजवादी व्यवस्था है, जो सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण है वह यह है कि इस देश में मानव को लाना चाहती है। न तो राक्षस बनें, न देवता बनें बल्कि मनुष्य बनें

हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। माननीय उप मंत्री जी हंस रहे हैं लेकिन वे कृपा करके गंभीरतापूर्वक सोचें क्योंकि यह प्रश्न आज हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के पक्ष के लोग नहीं चाहते कि इस देश के लोग मनुष्य बनें, लेकिन जो भ्रान्ति भावना घर कर गई है या जो थोड़ा-सा परिवर्तन होता है उससे डर कर साहस के अभाव में जो स्वीकार कर लेते हैं स्टेटस को (यथास्थितिवादिता) उसके कारण परेशानी फैल गयी है। मैं कहता हूं कि वे आगे आवें और अधिकार और कर्त्तव्य को अलग-अलग न करें, उन दोनों को जोड़ दें और जब उनसे जुड़ा विधेयक आयेगा तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। माननीया, क्या कठिनाई है इसके करने में? विधेयक के प्रारम्भ से देखें। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र बहुमत पर चलता है और इसीलिये चलाया जाता है कि बहुमत जो होता है वह अधिकतर सही समझा जाता है, यानी यह मूल सिद्धान्त है। इस विधेयक की धाराओं पर मानसिक आधार पर विचार करें कि क्या यह विधेयक जो सहकारी समितियों का है उसके द्वारा जो सदस्य होंगे वह कर्त्तव्य और अधिकार दोनों से लैस होंगे या केवल अधिकार या केवल कर्त्तव्य से ही प्रेरित होंगे, या यह निबन्धक या सरकार अपने अधिकारों से ही लैस होगी? इसी में विभेद है। वैसे जहां तक इसके उद्देश्य का सवाल है या इस विधेयक के पास करने का सवाल है तो यह मैंने पहले ही कहा कि जो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाला है वह इसका विरोध कर ही नहीं सकता।

जहां तक प्रजातंत्र के जो सिद्धात हैं उनकी बात है वह समाज में तभी फलीभूत होते हैं जहां समानता होती है। अब इसमें देखें कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्त बहुमत पर आधारित हैं या नहीं। इसकी धारा १५ में कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाय जो धारा में हो, अगर दो तिहाई सदस्य फैसला करें तो हो और अगर उससे कम करें तो न हो। अब कितना बड़ा दबाव है? माननीय मंत्री जी को अनुभव है हाउस में गुट बन जाया करते हैं और उन गुटों के कारण बहुमत भी परेशान हो जाया करता है और वह होते हुए भी बहुमत से बातें तय हो जाया करती हैं। लेकिन यहां पर दो तिहाई लिख दिया है, एक ऐसी व्यवस्था के लिये जिसमें दबाव का सवाल नहीं है उसमें आपने दो तिहाई कर दिया है। रूस में भी उनकी अपनी जो अन्दरूनी स्थिति है वह है लेकिन दिखावे के लिये ही उन्होंने यह बना रखा है कि अगर कोई राज्य अपने को अलग करना चाहे तो अलग कर सकता है। तो अगर आप अपने संविधान को भी देखें उसमें भी है कि जो राज्य अलग होना चाहे दो तिहाई मत से अलग हो सकता है, लेकिन बहुमत का सिद्धान्त डेमोक्रेसी में मान्य है और होना चाहिये और विशेषकर सहकारिता के क्षेत्र में तो मन की मौज है वह मन स्थिति पर बनता है, बिगड़ता है। ऐसे संगठन को कानून के जरिये से बांधना जो उसकी स्वतंत्रता में सही रूप से बाधक है, जो सहकारी समितियों के जीवन का मूल स्रोत है, किसी तरह से भी उचित नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो यह कहनी थी।

दूसरी बात यह है कि सहकारिता के विधेयक में जो गड़बड़ियां हैं इनको तो ठीक करना ही चाहिये। अब एक धारा १८ है जिसके अनुसार कई प्रकार के सदस्य सहकारी समितियों के होंगे। तीन प्रकार के सदस्य हैं--एक सहानुभूतिकर सदस्य, दूसरे सम्बद्ध सदस्य और तीसरे नाम मात्र के सदस्य। इन तीन प्रकार के सदस्यों के बनाने से कौन सी विशेषता आ गयी, या क्या लाभ सरकार ने सोचा है यह बात समझ में नहीं आती। मैं और स्पष्ट कहे देता हूं कि इससे लाभ नहीं होगा बल्कि गुटबाजी होगी और सहकारिता का जीवन दूषित हो जाएगा। इसलिये मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के सदस्य न रखें। जो सहकारी समिति से लेन-देन करना चाहेंगे, वह करेंगे, लेकिन उनको इसमें रखना ठीक नहीं है। यह सदस्य एक प्रकार की परेशानी होंगे और यह चीज मौलिक सिद्धान्त के भी विरुद्ध है कि जिससे हमारा लेन-देन चलता हो वह हमारी कमेटी में हो। कहीं भी इस तरह की चीज नहीं है कम्पनीज ऐक्ट में भी यह है कि कोई भी व्यक्ति जो उससे व्यापार करने वाला हो, वह उसका डायरेक्टर वगैरह नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ इसलिये है कि उसमें परस्पर दोनों के हित टकराते हैं। सहकारिता में तो वही रहने चाहिए जिनके हित एक समान हों। यहां जिनके हित टकराते हैं उन्हें भी रखा गया है। शायद उनके दिल में यह है कि मान लीजिये कोई सहकारी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

समिति ऐसी हो जो अच्छी तरह से काम तो करती हो लेकिन सरकार का उस पर कोई हाथ न हो तो इस तरह से सरकार अपना हाथ ऊंचा रख लेगी और बाकी सबका नीचा हाथ रहेगा। वरना सहकारी समिति साधारण सदस्यों की ही रहनी चाहिये। प्रतिकूल स्वार्थ वाले लोगों को उसमें रखना उचित नहीं है।

माननीया, धारा २७ में यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निकाल दिया जाय सहकारी समिति से तो दो वर्ष के अन्दर निबन्धक यह कर सकते हैं कि उसको फिर वापस ले लिया जाय। सहकारिता तो प्रेम को होता है। अगर किसी का मन नहीं है, समिति समझती है कि वह हमारे हित में नहीं है तो निबन्धक कैसे समझ लेगा कि यह हित में होगा? लड़ाई तो हमसे है निबन्धक दूर बैठकर कैसे फैसला कर सकता है कि इसको ले लिया जाय? जो यह प्रतिबन्ध है वह इस सहकारिता के विधेयक के सौन्दर्य को नष्ट कर रहा है इसलिये इसे हटाया जाय।

सहकारी समितियों के ऊपर यह लाद दिया गया है कि वैतनिक मंत्री रहेगा जिसकी नियुक्ति सरकार निश्चित तरीके से करेगी; और उस नियुक्ति में प्रमुख हाथ सरकार का रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे एक घटना याद आ गई। दो-तीन साल पहले जब माननीय गौतम जी सहकारिता मंत्री थे, एक जगह से शिकायत आई कि सुपरवाइजर जो कोआपरेटिव सोसायटीज में रहते हैं उनमें से किसी ने जो कार्यवाही वहां हुई नहीं थी उसको लिख लिया, जिनमें दिलचस्पी थी उनमें पैसा बांट दिया, कुछ पैसे का गबन भी किया, और यह प्रस्ताव कर दिया कि यह सभापति हटाकर दूसरा सभापति नियुक्त किया जाय और १९ तारीख की सूचना थी वह १८ को कर ली। मैंने सहकारिता मंत्री को बताया तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही करेंगे। मैंने उसी वक्त उनके मुंह पर कहा कि कार्यवाही तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो तरीका है, जो ऊपर से नीचे तक अफसरशाही और लाल फीतेशाही है, उसमें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यवाही होगी और दन्ड दिया जायगा। वह अब मंत्री नहीं हैं इसलिये कहना बेकार है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब सुपरवाइजर सब सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध अपनी बात चलाकर काम करे और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो इन सुपरवाइजरों को जबरदस्ती रखने से क्या फायदा है? इससे तो वह बिल्कुल न रहें और सदस्य अवैतनिक रूप से काम करें यह ठीक होगा या वह अपने मन के अनुकूल आदमी रख लें तो आज जो भ्रष्टाचार है उसका दशांश भी नहीं रहेगा क्योंकि वह स्वयं मालिक होंगे। इसलिये मंत्री जी से कहता हूं कि ऐसी बातों को ला करके अनावश्यक किसी जगह हस्तक्षेप करके इस विधेयक के सिद्धान्त और उद्देश्य को देश के सामने विकृत न करें जिससे लोगों की आस्था इससे उठ जाय।

मेरा सुझाव है कि अगर कोई सहकारी समिति है और वह चाहती है कि हम अपना काम करेंगे अवैतनिक तरीके से, तो सरकार हस्तक्षेप न करे। यह सहकारी समिति पर छोड़ दें कि जिस आदमी को वह उचित समझे उसको रख ले। भले ही सरकार उसकी योग्यता निर्धारित कर दे, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। सरकार यह न करे कि वह निश्चित करे कौन आदमी सहकारी समिति रखे। समिति को अपना आदमी रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये क्योंकि सहकारिता के सिद्धान्त में कर्त्तव्य और अधिकार का सामंजस्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

अब माननीया, धारा ६८ देखी जाय। इसमें सरकार ने दिया है, जबरदस्ती सहकारी समिति पर सरकार अपना कोई काम लादे तो गलत है। एक तरफ तो सरकार जबरदस्ती करती है कि फलां आदमी को सचिव रख ले और वह वैतनिक होगा और रजिस्ट्रार फलां-फलां मामले में फैसला करेगा। यह अजीब हाल है, निबन्धक स्वयं एक पार्टी हो गया। अगर कोई झगड़ा होता है तो फिर निबन्धक मध्यस्थ कैसे हो क्योंकि वह कहीं न कहीं प्रभावित होगा? रजिस्ट्रार उस सहकारी समिति का पंच निर्णय स्वयं कर सकता है, जहां उसकी दिलचस्पी होगी वहां वह स्वयं फैसला करेगा और जहां उसकी दिलचस्पी नहीं होगी वहां दूसरे को मध्यस्थता के लिये

दे देगा। तो मंत्री जी समझ रहे हैं कि वह इस बिल को बड़े निर्दोष रूप में ला रहे हैं और इससे हित होगा। अगर सरकार तमाम अधिकारों को अपने ऊपर लेती है, अब मैं यहां वह बात कह रहा हूं, तो कर्तव्य को भी ले क्योंकि सहकारिता में अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलने चाहियें। होगा यह कि कर्त्तव्य की जहां बात आयेगी वहां उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार है, जहां नियुक्ति का प्रश्न है वहां रजिस्ट्रार या सरकार को पूरा अधिकार है, लेकिन अगर उनके खर्च में गड़बड़ी है तो सरकार कहती है कि खर्चा समिति दे तो हम जायं। अगर आपको दिलचस्पी है कि सहकारी समिति में भ्रष्टाचार न हो तो फिर कर्त्तव्य का भी वहन कीजिये। अगर कहीं से इस तरह की शिकायत आती है तो सरकार अपना आदमी भेज करके जांच करे और दोषी पर मुकदमा चलाये। इस कर्त्तव्य का लेश मात्र अंश भी सरकार नहीं आने देगी।

इस पूरे विधेयक में अधिकार सरकार के पास हैं और कर्त्तव्य सब सहकारी समितियों का है, रात दिन जो भी करें वही करें पर उसका अंतिम फैसला कि उन्होंने ठीक किया है कि नहीं यह सब सरकार के हाथ में है। तो यह धारा जो मध्यस्थता की है या जो प्रार्थना-पत्र देने के लिये फीस वगैरह होगी जांच के संबंध में, उन सब के बारे में सरकार जिम्मेदारी न ले कर बुरा करती है। इसलिये सरकार इसको हटा ले और उन कर्त्तव्यों का वहन करे। तब तो मालूम हो कि सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से हमारे प्रदेश में सहकारी समितियां फलें फूलें।

मैंने भी शिकायतें सरकार के पास भेजीं। मुझसे कहा गया कि इन शिकायतों को आप पक्का करना चाहते हैं। मैंने कहा हां। अब जरा यह सोचा जाय कि इस सदन का माननीय सदस्य अगर ५० विभागों के बारे में ५० शिकायतें भेजता है और सब सबूतों को इकट्ठा करे तो जरा कल्पना कीजिये कि कितने सदस्य अपने इस परम कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे। यह जरा माननीय मंत्री जी सोचें। फिर यह हाल है कि सरकार यह चाहती है कि हमारे भ्रष्टाचार का पर्दा फाश न हो और उसको रोकने के लिये वह ऐसी अड़चनें उन लोगों के सामने डालती है जो उसके पर्दे को फाश करना चाहते हैं कि वे इतने सबूत लायें और फिर यह भी हो सकता है कि उस तारीख को जांच करने वाले अफसर साहब ही न पहुंचें और सब सबूत लौट जायं। इसलिये चाहिये यह कि जिनकी दिलचस्पी किसी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में है और उनके पास प्रमाण और तर्क हों तो सरकार प्राग्दर्शन में देखे कि आखिर जो कुछ सदस्य कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं और फिर तमाम सुविधा उनको मिलनी चाहिये। यह नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने खड़ी कर दी जाय कि वे सबूत इकट्ठा करते फिरें और तमाम खर्चा करें। इस विधेयक में यही व्यवस्था आज हमको मिलती है। हम चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक में इन चीजों का परिहार करे और अन्त में इसका स्वरूप ऐसा बनाये जिससे हमारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन बढ़े और सहकारी समितियां फलें और फूलें।

अब जरा आगे चलकर इस विधेयक को देखा जाय। मैंने एक दफा गीता पढ़ी। वैसे तो कई दफा पढ़ी, लेकिन उस दफा आद्योपान्त पढ़ी। तो उसमें मैं बुद्धि योग, सांख्य योग आदि सब पढ़ता गया और जब मैं अन्तिम अध्याय पर पहुंचा तो एक सर्वोत्तम योग पढ़ा जिसमें था—

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।

यानी कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अब तक जो मैंने १५, १६ अध्यायों में कहा है वह तो सब बेकार है। असली बात यह है कि तुम मेरी पक्की शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके पवित्र बना दूंगा। ठीक यही हालत सरकार की है। विधेयक में सब धारायें आयीं और बीच-बीच में मैंने उनका जिक्र भी किया कि सरकार ने अपने अधिकारियों को तो अधिकार दे करके और सहकारी समितियों को कर्त्तव्य सौंप कर के पूरी एक योजना बना ली है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था बराबर चलती रहेगी और समाजवाद के अन्दर सहकारिता का जो मूल आधार है उसको विकृत करके उसे आने नहीं देंगे और न अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ने देंगे।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

अन्त में जरा खंड १४७ और १४८ को पढ़ कर देखें उसमें लिखा है कि—

"इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के (यदि कोई हों) अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आरोपित करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भीअपेक्षा से छूट दे सकती है।"

यानी चाहे कोई खराबी हो, लेकिन अगर सरकार के स्वार्थ से टकराता न हो तो सरकार किसी भी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है। आज जिले-जिले में सहकारी समितियां बनी हैं, लेकिन वे देश की तरक्की के लिये नहीं हैं बल्कि वे शक्ति प्राप्त करने का अड्डा बन गयी हैं और केवल व्यक्ति विशेष की तरक्की के लिये यह सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है। तो इसमें गड़बड़ी पड़ सकती है। इस लिये एक चीज रखी है कि यह सब शर्तें हैं, लेकिन यदि सरकार चाहे तो छूट दे सकती है इसकी धारा १४८ में दिया हुआ है कि "राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है या यह निदेश दे सकती है कि उक्त उपबन्ध अमुक समिति या समितियों के वर्ग पर ऐसे परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायं।" जहां इसमें उपबन्ध हैं और यह सारा विधेयक बना हुआ है यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी समिति को छूट दे सकती है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे कहानी याद आ गयी। दवा ताकत की है और उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर लिख देते हैं कि शिलाजीत फलां जगह की और ऐसी चीजें होती हैं जिनका मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। कमजोर आदमी देखता है कि ताकत की दवा है लेकिन बना नहीं सकेंगे। अन्त में वह लिख देते हैं कि बनाने में यदि कष्ट हो तो ५ रुपये या दस रुपये के हिसाब से मंगा लें। ठीक यही हालत इस सरकार की है। सहकारी समितियां बनेंगी और जो इस विधेयक में नियम दिये हैं उनके आधार पर बनेंगी और यह नियम इसलिये बने हैं कि सहकारी समितियां सही रूप में काम करें। लेकिन यदि सरकार देखे कि हमारे दल का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो अन्त में कहा कि सरकार को अधिकार है कि जब चाहे कोई उपबन्ध लागू करे या न करे। अन्त में यह है कि जो व्यवस्था बनी है उसका परिष्कार करके सरकार ने अपने में शक्ति अंतर्हित कर ली है और फिर भी कहते हैं कि हम देश में या प्रदेश में सहकारी आन्दोलन चलाकर कृषि की उन्नति करना चाहते हैं।

अब मेरी समझ में दो बातें नहीं आती हैं। अच्छा हुआ माननीय गौतम जी आ गये हैं। यह विधेयक उन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिये वह इस पर प्रकाश डालेंगे। विधेयक के स्वरूप को अपनी जगह पर देखा जाय तो वह है लेकिन आत्मा नहीं है। इस विधेयक में सरकार ने अधिकार तो ले रखे हैं लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं लिये हैं। सारे कर्तव्य सहकारी समितियों को ही सौंप दिये हैं। ऐसी दशा में प्रदेश में सहकारी आन्दोलन फलफूल नहीं सकता। इन दफाओं का परिष्कार होना चाहिये और सहकारी आन्दोलन के जो तीन मूल-भूत सिद्धांत हैं, जितनी भी धारायें उनके खिलाफ पड़ती हैं उनको खत्म किया जाय बल्कि अधिकार और कर्तव्यों को जोड़ दिया जाय। मैं यह पसन्द करूंगा कि सहकारी समितियों से पूर्ण स्वेच्छापूर्वक कह दें कि वह अपना संगठन करें और सरकार जो लाभ या सहूलियत उनको देना चाहती है वह दे, जैसे सिंचाई में छूट दे दे या बीज या खाद का प्रबन्ध सहकारी समितियों के लिये कर दे। सरकार का कर्तव्य है कि सहकारिता को प्रोत्साहन मिले, ऐसे कार्य वह करे। सरकार के निबंधक उनके विचारों को प्रभावित न करे या उनके काम में दखलन्दाजी न करें। यदि ऐसा नहीं होगा और उनके कामों में दस्तन्दाजी होगी तो इससे सहकारी समितियां नहीं चल सकेंगी और अफसरों और नीचे के नौकरों की टोलियां बन जायंगी और नौकर और मालिक के बीच कभी सहकारिता नहीं बना करती है। यह तो भाई चारे से बनती है और भाइयों के बीच में बनती है। इसलिये इस विधेयक में जहां जहां दस्तन्दाजी की गई है, जहां जहां निबंधक को अधिकार दिये गये हैं, दो-तिहाई का प्रश्न है इन

सबको हटाकर शुद्ध प्रजातांत्रिक तरीके पर रखे, तब सहकारिता आन्दोलन फले फूलेगा। इन शब्दों के साथ में समझता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अधिष्ठात्री महोदया, इस बिल पर कई दिन से बहस हो रही है। जो बातें उठाई गई हैं वे मोटे रूप में तीन हिस्सों में बंटती हैं। एक तो जो मुकामी दिक्कतें है लोगों की अपने अपने जिले की, अपने अपने इलाके की सहकारी समितियों में जो खराबी हैं, उनका जिक्र हुआ। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारा कोई भी समाज का अंग हो उसमें कमजोरी है खराबिया हैं। इसे किसी को कहने मे हिचक नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटी में खराबियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में खराबियां है, हमारे जीवन में खराबियां है। आखिर ये तमाम जितने भी समाज के रूप हैं वह हमारे ही बनाये हुये हैं। जैसा हमारा करेक्टर होगा वैसा ही उसका प्रदर्शन होगा। इसलिये बहुत सी चीजों को नहीं मानते हुये भी मैं विस्तार में इस वक्त नहीं जाऊंगा। यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वह उनको देखे और जहां तक हो सके दूर करे।

दूसरी और भी छोटी-छोटी बातें जो विस्तार से कही गई हैं उनका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे, इसलिये मैं विस्तार की बात में नहीं जाऊंगा। मैं जो मुख्य मुख्य बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में अपने सुझावों तक ही अपने को सीमित रखूंगा। अभी जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने १४७ और १४८ धारा का जो मतलब लगाया वह यह कि गवर्नमेन्ट खासतौर से जकड़ना चाहती है कोआपरेटिव मूवमेन्ट को। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों धाराओं का मतलब ठीक उल्टा है जो उन्होंने लगाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो बिल बना है इसमें कहीं पर भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि दो वर्ष जो आगे आयेंगे उनको सोचकर यह कह सकें कि इन दो वर्षों में जो दिक्कतें आयेंगी उनको पूरा यह विधेयक कर सकता है। यह पूरा नहीं कर सकता है। भविष्य में जो सोसाइटियां नये किस्म की बनेंगी वह हम चाहते हैं कि क्रेडिट महकमें को ही न रहें बल्कि कोआपरेटिव मे हर महकमे को आना चाहिये और हमारे हर जीवन में कोआपरेटिव को आना चाहिये। यह हमारा इरादा है। इसलिये यह छोटा सा विधेयक उन तमाम दिक्कतों को नहीं देख सकता कि जो दिक्कतें पेश आयेंगी नई सोसाइटीज के बनने में। इस बिल के अन्दर अगर यह खास प्राविजन है तो वह जो दिक्कतें आयेंगी उनको दूर करने के लिये है। जो नई दिक्कतें पेश आयगीं उनको दूर करने के लिये यह चीज है न कि बन्धन ज्यादा करने के लिये। माननीय नेक राम जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था।

श्री भजनलाल—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या यह जो सहकारिता विधेयक, जिस पर बहस हो रही है और जो प्रवर समिति में जा रहा है, उसकी कार्यवाही बिला कोरम के पूर्ण मानी जायगी? यदि हां, तो क्यों?

श्री अधिष्ठाता—जब कोरम के लिये कहा जाता है तो घंटी बजाई ही जाती है, अब भी घंटी बजायी जायगी।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय नेकराम शर्मा ने, जिन्होंने इस विषय का विशेष अध्ययन किया है, बहुत अच्छे सुझाव रखे। मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी से सिफारिश करूं कि उनको कोई ऐसा काम दें कि जिससे उनकी लियाकत का फायदा यह प्रदेश उठा सके, लेकिन अन्त में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे मैं झिझकता हूं कि उनकी सिफारिश कैसे करूं! उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव विभाग को बन्द कर दो और शिक्षा दो। जब शिक्षा पूरी हो जाय तो कोआपरेटिव का काम शुरू किया जाय। पिछले १९५१ के सेंसस में १० या ११ फी सदी के बीच में हमारे प्रदेश में लिटरेसी थी, अब १७, सवा १७ या १८ फी सदी हो गयी होगी। १० साल में जब ६ फी सदी लिटरेसी बढ़ी तो सोचा जाय कि इस रफ्तार से हम पूरी आबादी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

कितने समय में शिक्षित कर पायेंगे और इतने दिन तक इंतजार का नतीजा यह होगा कि जब तक कोआपरेटिव का काम शुरू होगा उस समय तक प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, आबादी बढ़ती जायगी और लोग हम को खा जायेंगे। उनकी इस बात से मैं सिहर रहा हूं कि कैसे उनकी सिफारिश करूं! जनरल एजूकेशन के लिये भी उन्होंने कहा हो तो उसमें भी कुछ वर्ष लगेंगे और हमें इतना सब्र करने का समय नहीं है। हम १०,२० साल इंतजार नहीं कर सकते। एजूकेशन का सब से अच्छा तरीका यह नहीं है कि लोगों को क्लास में बैठा कर पढ़ाया जाय, बल्कि सब से अच्छा तरीका यह है कि उनको संस्थायें दे दी जायं और उनमें वे काम करें। उनमें की हुई गलतियों से उनको सबक मिलेगा और वे सीखेंगे। लोग अगर उन संस्थाओं में दिलचस्पी लें तो उनको ज्यादा एजूकेशन मिल सकती है।

अधिष्ठात्री महोदया, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने और बाहर के जिम्मेदार लोगों ने, पत्रों ने यह कहा और उनको यह शक रहा कि यह १०,००० सोसाइटियां एक रात में बन गयीं। कैसे बन गयीं, यह शक सब लोगों को रहा। बड़े-बड़े पत्रकारों ने इस पर लीडिंग आर्टिकल निकाले और सब कुछ हुआ। मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि यह एक रात में नहीं बनीं। मुझे ठीक तारीख याद नहीं लेकिन याददाश्त से कहना चाहता हूं कि २८ या २९ अप्रैल, १९५९ को हमने एक बड़ा भारी सेमिनार लखनऊ में किया था। उससे कुछ हफ्ते पहले उसके नोटिस दी गये होंगे और उसके पहले प्रायः एक महीने पहले यह फैसला भी हुआ होगा कि सेमिनार बुलाया जाय। उसके पहले कुछ उस बारे में सोच विचार भी चला होगा। अगर इस तमाम काम के लिये तीन महीने ले लें तो जनवरी से इस काम के लिये सोच विचार होता रहा यानी दिमागी तौर से सारी कार्यवाही जनवरी, १९५९ से शुरू हो गयी थी। उसके बाद सेमिनार में हमने बड़ी बड़ी अथारिटीज को बुलाया और वह अपने-अपने सबजेक्ट की अथारिटी थे। हमारे बहुत से सदस्यगण भी उसमें शरीक हुये थे। उसके बाद हमने लिट्रेचर निकाला कि क्राइटेरियन क्या हो, प्रोडक्शन प्लान क्या हो। हमने फैसला किया कि नयी सोसाइटियों में जब तक ४० एग्रीकल्चर खातों से ज्यादा लोग मेम्बर न होंगे, हम उनको रजिस्टर न करेंगे; पुरानी सोसाइटियों को जिनको कनवर्ट किया है उनमें साठ फी सदी फैमिलीज रजिस्टर्ड नहीं होंगी तब तक उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जायेगा। जब तक यह शर्तें पूरी नहीं हुईं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। नवम्बर के महीने में १० नवम्बर, १९५९ को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जब इनआगुरेट किया था तो उन्होंने हमारे कार्य की तारीफ की थी। उस तमाम काम को ९-१० महीने लगे। करीब ३ हजार कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स भी उसमें लगे। तो १० महीने में एक सुपरवाइजर के लिये ५ सोसाइटियों को बनाना क्या कोई असम्भव कार्य है? सारा साहित्य आपके सामने मौजूद है आप उसमें देख सकते हैं। इस सब के लिये अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स भी निकले। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के दिलों में यह भ्रम है वह इसको निकाल दें कि वैसे ही इतनी सोसाइटियां रजिस्टर्ड हो गयीं या जो कुछ हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उसी उद्घाटन में नेहरू जी ने यह भी तो कहा था, मैंने स्वयं सुना था, कि यह जो सोसाइटियां बनी हैं वे सब कागज पर ही तो नहीं हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं मानता हूं। अच्छा हुआ जो आपने यह सवाल उठाया। मैं आपको बताऊं कि यह कन्ट्रोवर्सी चली कैसे। मैं इस ओर भी कुछ इशारा कर दूं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने १०-११ साल पहले एक कमेटी बनाई थी इसलिये कि वे गांव में जो कर्जे की व्यवस्था है और क्रेडिट की जो कमी है उसकी जांच करें और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि कोआपरेटिव्ज हैव फेल्ड। उसमें यह था कि गांव में जितने धन की जरूरत है उसका केवल ३ फी सदी ही कोआपरेटिव मूवमेन्ट सप्लाई करता है, बाकी नहीं करता। इसलिये उनके सामने यह सवाल आया था कि कोआपरेटिव्ज सफल नहीं हो रहे हैं और वे फेल हो गयीं और उनको कामयाब बनाना चाहिये; ३ फी सदी का जो कोआपरेटिव क्रेडिट है उसको बढ़ाना चाहिये। इसलिये उन्होंने यह कहा कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इसको कैसे सफल बनाया जाय और

कैसे इस आन्दोलन तक पहुंच सकते हैं। वे इस नतीजे पर भी पहुंचे कि कोआपरेटिव मस्ट सक्सीड। उन्होंने सोचा कि यह कैसे सफल हो क्योंकि पुराने तरीके फेल हो चुके हैं। उन्होंने इसके लिये यह मुनासिब समझा कि वहां एक होल टाइम आदमी रखा जाना चाहिये जो लोगों को कर्जा दे सके और गांव में इसके लिये एक छोटा सा बैंक खोल देना चाहिये। उसके लिये हिसाब लगाया गया तो करीब २५० रुपये महीने का खर्च आया। उसमें इमारत का, चपरासी का, होलटाइम आदमी वगैरह का, सभी खर्चा था। इसके मानी यह हुए कि करीब ३ हजार रुपये सालाना का खर्चा आता था। अब सवाल यह उठा कि यह ३ हजार रुपये कहां से और कैसे आवें। केवल क्रेडिट ही एक आधार था उसका। प्राइमरी सोसाइटियों को दो परसेन्ट का ही मार्जिन मिलता है। अगर वह ६ परसेन्ट पर लेती हैं तो ८ परसेन्ट पर दे देती हैं, यानी दो परसेन्ट का मार्जिन रहा। तो प्राइमरी सोसाइटी को दो परसेन्ट का मार्जिन मिले और तीन हजार रुपये सालाना की आमदनी हो सके इसके लिये जबतक डेढ़ लाख रुपये का लेन-देन नहीं होगा तब तक वह स्वावलम्बी नहीं बन सकतीं। जब वह सेल्फ सपोर्टिंग नहीं बन सकती तो एक नया आधार बना कि गांव की बैंक वह नहीं बन सकती। इसलिये गांव की क्रेडिट का मसला हल नहीं हो सकता। यह उनका नतीजा था। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट कई वाल्यूम्स में है, उसके आधार पर मैं यह बता रहा हूं। जब यह फैसला हुआ तब सोसाइटियां बनना शुरू हुईं। उसका मुख्य उद्देश्य था वायबिलिटी यानी अपना खर्चा खुद निकाल लें। जब वायबिलिटी का सवाल हुआ तो लोगों ने कहा कि तीन गांव की बनाओ या पांच गांव की बनाओ और धीरे धीरे काशन जो था ऊपर से पांच-गांव का सोचा गया। तो नीचे एक एक स्टेप में उससे बढ़कर ७, १५, २० बल्कि २९ गांवों तक की सोसाइटियां इस प्रदेश में बन गईं। किसी ने यह नहीं कहा कि इतने गांवों से ज्यादा की न बनाओ। जब वह बन गईं तो देखा गया कि यह क्या है। तब इस नतीजे पर पहुंचे कि २०–२५ गांवों की जो सोसाइटियां हैं हमारे यहां १५ गांव का औसत आता था, वह बैंकिंग सिस्टम की हो सकती हैं लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटियां नहीं हैं। क्योंकि १५ गांवों के आदमी आ नहीं सकते, जिसका नतीजा यह होगा कि जो सुपरवाइजर वगैरह होगा वही हुकूमत करेगा वही साहूकार बन जायगा और बाकी कर्जदार हो जायंगे।

सन् १९५८ के अन्त में नेशनल डेवलपमेन्ट काउंसिल ने यह फैसला किया कि असली कोआपरेटिव वही है जोकि एक गांव की हो। मैंने उस समय २८-२९ अप्रैल को जो प्रेसिडेंशल भाषण दिया था उसमें कहा था कि छोटी सी छोटी सोसाइटी बने जो वायबिल हो सके। नेशनल डेवलपमेन्ट काउंसिल का फैसला था कि एक गांव की सोसायटी हो। मैंने कहा था कि छोटी सी छोटी हो जिसमें लोग एक दूसरे को समझते हों और जिम्मेदारी ले सकते हों और वायबिल हो। लेकिन फैसला हुआ कि एक गांव की सोसाइटी हो। हमने यू० पी० में फैसला किया कि एक गांव सभा की एक सोसाइटी बनायेंगे। दस हजार जो सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वह एक गांव सभा के आधार पर हैं। ११,६८५ गांव सभाओं के अन्दर १०,२६३ सोसाइटीज़ बनाई गईं। इसमें करीब एक हजार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो दो गांवों की हैं और बाकी एक गांव सभा की हैं।

एन० डी० सी० का जो फैसला था उससे वह एक कोआपरेटिव मूवमेन्ट चलाना चाहते थे और उसस सोशल चेंज करना चाहते थे लेकिन रिजर्व बैंक क्रेडिट मूवमेन्ट का उसे एक हिस्सा समझती थी तो दोनों में यह फन्डामेन्टल रिफरेन्स था। एन० डी० सी० के सामने एक बिगर पिक्चर थी जब दस हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बन गईं और पं० जवाहरलाल जी ने अपनी रजामंदी देदी तो रिजर्व बैंक में एक तहलका मच गया। उन्होंने हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी। तब हमारे आफिसर कितने ही बक्स कागज़ लेकर उनके पास गये और उनको कई रोज़ तक समझाया। मैं आपसे निवेदन करूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अपनी वह रिपोर्ट वापिस लेनी पड़ी। लेकिन रिजर्व बैंक को वह अपनी रिपोर्ट गलत माननी पड़ी। उसके बाद बहुत कुछ उसने कहा लेकिन उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाऊंगा कि पं० जवाहरलाल जी ने कहा या नहीं कहा।

[श्री मोहनलाल गौतम]

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के बड़े बड़े आफीसर्स जिनमें यहां के कोआपरेटिव के सेक्रेटरी श्री भिडे तथा श्री गोस्वामी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी थे इनके मातहत यहां दो टीमें आयीं और उन्होंने २१ दिन का दौरा किया। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के १२ आदमियों ने हमारी सर्विस कोआपरेटिव्ज को देखा। अब ये भिडे साहब इस देश में कोआपरेटिव के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं लेकिन जो इस विषय के विद्वान हैं उनमें दूसरे चौथे नंबर के ये थे। उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश की सर्विस कोआपरेटिव्ज ने बहुत अच्छा काम किया है और यहां के कोआपरेटिव मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के सामने उन्होंने १०-१५ मिनट तक उनकी तारीफ की और कहा कि सर्विस कोआपरेटिव्ज ने बहुत अच्छा काम किया। वह उस आधार पर कहा था और अब क्या आधार है वह मैंने बता दिया।

अब सर्विस कोआपरेटिव्ज के जो आंकड़े हैं उन पर गौर कर लिया जाय। उस वक्त कोआपरेटिव्ज की संख्या १०,२६३ थी और ११,६८५ गांव सभायें उसमें आयीं, उनके मेम्बरों की संख्या ७८६ हजार थी। यह मैंने जवाहरलाल जी को बताया था बिचपुरी में। अब यह हो सकता है कि बोगस रजिस्ट्रेशन हो जाय और मेम्बर भी बोगस बना लिये जायं लेकिन आलोचकों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि १,७६,१२,००० रुपये का जो शेयर कैपीटल हुआ वह कहां से आया। वह कोई आसमान से तो आ नहीं गया। आप कह सकते हैं कि मेम्बर्स बोगस हैं, यह भी कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन गलत हुआ लेकिन कौन आदमी ऐसा है जो यह कह सकता है कि इतनी बड़ी शेयर की रकम जो १०-१०, २०-२० रुपये करके जमा हुई है, वह बोगस है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेम्बर इस प्रकार से बन जाते हैं कि जो रुपया लोन का होता है उसी में से काट लिया जाता है शेअर का रुपया और इस तरह से मेम्बरशिप हो जाती है।

श्री मोहनलाल गौतम---किसी जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। इन सोसाइटीज से ३,८७,७३,००० रु० का लोन एडवान्स दिया गया जो फी मेम्बर १२६ रुपया पड़ा। इसमें से ४·२ प्रतिशत ओवर ड्यू है और ९५·८ प्रतिशत रियलाइज हो चुका है। ऐसा कौन है जो इस लोन को भी बोगस समझता हो? अब ये सर्विस कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज से लिंक्ड थीं और मार्केटिंग सोसाइटीज के मार्फत लोन का रियलाइजेशन हुआ। वह बोगस नहीं हो सकता क्योंकि बीज की लेवी थी और मार्केटिंग सोसाइटीज के मार्फत जो गल्ला बिकता था वह सस्ता बिकता था और जो उनके मार्फत नहीं बेचना पड़ता था उसको दाम मिल जाते थे।

(इस समय ३ बज कर १४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए।)

तो बावजूद इसके कि मार्केटिंग सोसाइटी में गल्ला सस्ता देना पड़ता था फिर भी उन्हीं की मार्फत यह लोन वसूल हुआ है। वह बोगस नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीजें बोगस हैं तो देश का करेक्टर ही बोगस है, हर इंसान बोगस है।

सर्विस कोआपरेटिव्स के बारे में एक बात और कही गई। बात यह है कि इसका जो पहले मूल आधार था वह बदल गया, पहले हैसियत पर लोन मिलता था यानी हैसियत देखने के बाद लोन दिया जाता था लेकिन सर्विस कोआपरेटिव में वह आधार बदल गया और अब प्रोडक्शन लोन मिलने लगा है। किसान को पैदावार के लिये जितनी जरूरत हो उस के अनुसार मिलेगा, उसकी मालिकाना हैसियत के अनुसार नहीं। यह अन्तर नये और पुराने तरीके में हुआ है।

माननीय नेकराम जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया कैपिटल फारमेशन पर। मैं यह खुशखबरी भी सुना दूं कि प्राइमरी सोसाइटी में भी स्टेट पार्टिसिपेशन शेयर मनी में हो सकता है यानी सरकार हिस्से खरीद सकती है और सरकार अगर प्राइमरी सोसाइटी में हिस्सा खरीदे, मान लीजिये कि १,००० के शेयर खरीदे तो ८ गुना कर्ज यानी ८,००० रुपया मिलेगा और उसे सरकार न लेगी तो वह पहले के मेम्बरों को मिल जायगा। इस तरह से कर्ज लेने की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सर्विस कोआपरेटिव के बारे में जो गलतफहमी

अब तक रही है वह सब अब दूर हो जानी चाहिये और अगर फिर भी कोई जानबूझकर करे तो उसका कोई इलाज नहीं है। क्या किया जाय हमारे यहां जो इन्सानों का स्टैंडर्ड है वह है! बहुत से मेम्बर्स पर मुकदमे चले हैं, झूठे भत्ते बनाये हैं और दूसरी चीजें हैं, झूठे दस्तखत किये हैं। इन चीजों को लेकर कोई कुछ भी कहे इन्सानों की कमजोरियां हैं, हर संस्था में सब तरह के इन्सान हो सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सर्विस कोआपरेटिव बहुत मजबूत जमीन पर बनाई गई थी और इन्सानों की हैसियत से जो कुछ भी हो सकता है उनको मजबूत और सच्चा बनाने की कोशिश की गई थी।

इसके अलावा बड़ा भारी क्रिटिसिज्म कोआपरेटिव फार्मिंग का भी है। मैं इस पर बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि इस की बहस पहले कई बार हो चुकी है, एक नान-आफिशियल बिल के सम्बन्ध में भी मैंने अपने खयालात का इजहार इस सम्बन्ध में किया था लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि बावजूद जवाब दिये जाने के फिर भी दोहराई जाती हैं। मैं क्या जवाब इसका दूं? मैंने पहले भी कहा था फिर उसी को दोहरा दूं कि यह कोआपरेटिव समितियां वालंटरी होंगी। किसी भी जनतंत्र गवर्नमेन्ट में जो जनता की राय से चुनी जाती हो उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह जनता पर जबरदस्ती करके, उसको नाराज करके कोई काम करा सके। जिस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी और डिक्टेटरशिप होगी उस वक्त क्या होगा, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जब तक कोई सरकार जनता की राय से चुनकर बनती है, बगैर जनता की राय प्राप्त किये गवर्नमेन्ट नहीं बनती है, उस वक्त तक कोई ऐसा काम सारी जनता पर जबरदस्ती करके नहीं हो सकता। इसलिये इस में कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं है।

लोग कहते हैं कि कन्सेशन्स देकर जबरदस्ती है। हर गवर्नमेन्ट एक समाज बनाना चाहती है, हर पोलिटिकल पार्टी के सामने एक ऐसे समाज का ढांचा होता है, इन्डिपेंडेंट्स का जाने दीजिये, एक से पूछ लिया तो दूसरे का उन से भिन्न हो सकता है क्योंकि वह तो इंडिपेंडेंट ही हैं। सोशलिस्ट पार्टी का भी एक ढांचा है, इस सरकार का भी समाजवादी समाज की स्थापना करना उद्देश्य है, उसमें कंट्रोल्स होंगे, परसुयेशन और कन्सेशन भी होंगे इस से इन्कार नहीं हो सकता। अगर यह अपराध है तो शराब पीने की मुमानियत की जाय ऐसी समाज की धारणा है तो हम उस को रोकें। अगर हमारी इस तरह से कोई और ख्वाहिश हो कि काम हो तो उसको रोकें और अगर हम चाहते हैं कि समाज के हित में फ्री इन्टरप्राइज कहते हैं जिससे वह समाज में फैलें तो जो लोग एक खास तरह से सोचते हैं वह तो इसकी इजाजत नहीं दे सकते और वे उस समाज को जिसको वे बनाना चाहते हैं बनाने में पूरी सहायता देंगे और ऐसे जरूरी कंसेशन्स और परसुएशंस या रियायतें जो जरूरी हैं वह सब इसी उद्देश्य से हैं कि जिस समाज को हम बना रहे हैं वह हमें उस ओर ले जाती हैं।

राजा साहब चले गये। उन्होंने मिनिमम वेजेज ऐक्ट वाली धारा पढ़ दी, लेकिन यह धारा ११८ मेम्बरों पर लागू नहीं होगी। वेजेज तो एक देता है दूसरा लेता है। जो मजदूर काम करते हैं व मालिकों से मजदूरी के एवज में पाते हैं। लेकिन क्या किसानों पर कोई मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है? जो खुद खेती पर काम करता है वह मेहनत करता है, अगर नहीं करता तो नहीं करता लेकिन किसके द्वारा वेजेज किसको दी जायगी। लेकिन उनकी तो एक विचार धारा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का जहां नाम आ जाय उसको हर तरह से क्रिटिसाइज करो चाहे जमे या न जमे।

एक सवाल यहां पर भी है और दूसरी जगह भी है। वह यह है कि जो ऐसोशियेटेड मेम्बर्स हैं या नामिनेटेड मेम्बर्स हैं, मैंने किसी जमाने में पढ़ा था उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसे मेम्बरों को सोसाइटी को कंट्रोल करने, उसके इन्तजाम या उसके फैसलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। आप पूछेंगे कि फिर रखे ही क्यों गये। तो उसकी खास वजह है। असल में बात यह है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट जिन संस्थाओं से वास्ता रखता है अगर उनको नामिनल मेम्बर बनादें तो उनको आर्बिट्रेशन में आसानी होती है। मान लीजिये, कोई मार्केटिंग सोसाइटी

[श्री मोहनलाल गौतम]

है, वह गल्ला बेचती है। जिस आढ़तिये ने बेचा उस से अगर उसका झगड़ा हो गया तो सिविल कोर्ट जाने में १०-१२ साल लग जायेंगे। इसलिये कोआपरेटिव मूवमेंट का एक खास तरीका है कि अगर उस आढ़तिये को नामिनल मेम्बर बना लिया जाय तो वह कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्दर आर्बिट्रेशन में आ जायगा और इस तरह से जो कोआपरेटिव मूवमेन्ट को एक धक्का लगने वाला था, वह नहीं होगा। यह उद्देश्य है इस तरह के सदस्य रखने का। यह नहीं है कि वह नामिनल मेम्बर है जिसका कोई काम नहीं है उस को रख लिया जाय।

अब दूसरा सवाल बहुत बड़ा यह रहा है कि आफिशियल कंट्रोल बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि आफिशियल कंट्रोल है। मैं भी चाहता हूं कि आफिशियल कंट्रोल न रहे। उसके लिये कोशिश की गयी। माननीय नेकराम जी शर्मा ने बहुत जोर दिया कि बिलकुल आफिशियल्स होने ही न चाहियें। मैं सिद्धान्त रूप में इसको मानता हूं और पूरी तरह से मानता हूं। एक सवाल है। वह यह है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट अपने आप ग्रो करता है, अपनी ताकत पर खड़ा होता है, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और चलता है। अगर १० आदमी मिलकर एक हजार रुपया इकट्ठा कर लें और उसे गवां दें तो वह उनका है, क्यों किसी का दखल हो? स्वीडन वगैरह की जो मिसाल दी गई है तो उनकी सोसायटीज में गवर्मनेन्ट का कितना रुपया है यह मैं जानना चाहता हूं। वहां गवर्नमेन्ट का रुपया उनमें नहीं है। हमारे यहां इस देश और प्रदेश में हम कोआपरेटिव मूवमेन्ट की रफ्तार तेज करना चाहते हैं। अगर वह अपने बल पर ही चले तो सदियों लग जाएंगी। दूसरे देशों में वह सदियों से है उनकी हालत बहुत अच्छी है। जैसे स्वीडन की बात है, वहां ५०० रुपये कम से कम आमदनी मजदूर की है। ऐसा कोई मजदूर नहीं होगा कि जिसके यहां फर्नीचर न हो, कम से कम मेरे घर से बढ़िया होगा, टेलीफोन और रेडियो सेट न हो, कालीन न बिछी हों, फल और मक्खन न हो। मैंने देखा है और वहां के देहातों में भी गया हूं। ११ साल पहले गया था। स्वीडन एक खुशहाल मुल्क है। ७० लाख से कुछ कम उस वक्त उसकी आबादी थी और हमारी उससे ५५ गुनी थी। उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उतना ही था जितना कि हिन्दुस्तान का था। स्वीडन समुद्र के पार बिजली भेजता है। तो उसकी मिसाल हम नहीं दे सकते।

जो कोआपरेटिव मूवमेन्ट ५०-६० साल तक चले और केवल ३ परसेन्ट क्रेडिट दे सके उसको कैसे आगे बढ़ाया जाय? हम उसके लिये बेकरार हैं और अपनी रफ्तार तेज करना चाहते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि गवर्नमेण्ट का पार्टीसिपेशन हो और इसलिये करोड़ों रुपया शेयर मनी के तौर पर दिया गया है। जब हम फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से यह कहते हैं कि ५ करोड़ रुपया हमें दीजिये ताकि शेयर कोआपरेटिव मूवमेन्ट में खरीद सकें तो वह कहता है कि यह वापस होगा या नहीं और चाहता है कि यह गारंटी हो जाय कि रुपये डूबे नहीं वरना वह दिवालिया हो जायगा और दिवालिया बनने की तरफ वह नहीं जाना चाहता। तो हम कोआपरेटिव मूवमेंट की रफ्तार तेज करना चाहते हैं। वह अपने आप नहीं हो सकती। इसलिये गवर्नमेन्ट पार्टीसिपेशन है। वह प्रायमरी लेविल पर भी है, डिस्ट्रिक्ट बैंक में भी, प्राविन्शियल बैंक में भी है, मार्केटिंग सोसायटी में भी और प्रोसेसिंग सोसायटी में भी है। तो क्या जो हिस्सेदार है वह कोई दिलचस्पी न ले?

अधिष्ठाता महोदय, आज कल यू० पी० कोआपरेटिव बैंक का लेन देन करीब २५ और ३० करोड़ के बीच में होगा, मुझे ठीक नहीं मालूम। उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में एक पैसे का भी हिस्सा हो और एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसके लिये यह पाबन्दी हो कि कम से कम एक रुपया यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में जमा करना होगा ताकि जब वह दिवालिया हो तो उनका तो एक रुपया मारा जाय और गवर्नमेंट का कई करोड़ रुपया वहां लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें दखल दे, एहतियात करे तो क्या नामुनासिब है? जिस कोआपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट को एक पैसा भी न देना पड़े उसमें एक आदमी भी नामीनेटेड न रहे, लेकिन जहां गवर्नमेंट का हिस्सा हो

और वहां गवर्नमेंट के २/३ आदमी रहें तो वह असर तो नहीं डाल सकते लेकिन वाच-डाग तो बन सकते हैं, खराबी होगी तो रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा रुपया मार में है। इससे ज्यादा और नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसमें एक खास बात है जिस पर सदन ध्यान दे। क्योंकि जब यहां मिनिस्टर साहब बजट पेश करेंगे और कहेंगे कि ५ करोड़ रुपया शेयर खरीदने के लिये दीजिये तो क्या हम पूछेंगे नहीं कि यह रुपया मारा तो नहीं जायगा? अगर पूछेंगे तो कौन गारन्टी करेगा? इसलिये इसको आपको बरदाश्त करना पड़ेगा तब तक जब तक कि कोआपरेटिव मूवमेंट अपने पैरों पर न खड़ा हो जाय और सरकार का पूरा पैसा वापस न कर दें।

अब रजिस्ट्रार के बारे में २, ३ चीजें हैं जिन पर आपत्ति की गई कि उनको अधिकार दिये गये हैं। एक तो बाइलाज को अमेंड करने का अधिकार, आफिस बेयरर्स को डिसक्वालीफाई करने का, निकाल देने का, मैनेजमेंट को सुपरसीड करने का या कम्पलसरी अमलगमेशन का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अधिकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को नहीं हैं, उन मेम्बरों के ऊपर जो खुद चुने गये हैं लोकल बाडीज में और जहां कि सरकार का कोई रुपया नहीं है। सरकार मेम्बरों को निकाल सकती है, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है। यह सब तो वहां भी है। इसमें जो रजिस्ट्रार की बात की गई वह इसलिये, कि मैं चाहता हूं सदन उस पर अपनी राय दे, कि कम से कम हर फैसले की एक अपील हो सके। अगर अपील नहीं होगी तो उसमें एक एतराज यह होगा कि उस अथारिटी का फैसला वहीं अंतिम हो जायगा, कोई अपील नहीं होगी। सरकार से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इस बिल में बड़ी भारी चीज यह है कि जो एग्जीक्यूटिव आर्डर्स होंगे रजिस्ट्रार के उनकी अपील सरकार को होगी और क्वासी-जुडिशियल आर्डर्स जो होंगे उनकी अपील के लिये ट्रिब्युनल बनाया गया है। यह पहली चीज है जिसके लिये रजिस्ट्रार खुदमुख्तार नहीं हो सकता, गलत कार्य करने में डरेगा क्योंकि उसकी अपील है, वह एहतियात से काम करेगा। इसलिये यह प्रावीजन किया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, यू० पी० में कोआपरेटिव मूवमेंट की शक्ल जिस तेजी से बदल रही है उसको सब जानते हैं। खराबियां हैं, उनको मैं नहीं दोहराता और उनको तेजी से दुरुस्त करना है। यह मैं नहीं कहता कि किसी इनसान के जीवन में इतनी शुद्धता आ गई है कि वह गलती ही नहीं करेगा। हम सब में, पर्सनल लाइफ में, सरकार के हर विभाग में, कमजोरियां हैं और उनको दुरुस्त करना चाहिये। इसलिये उसकी वजह से हम मूवमेंट को बन्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस वक्त जो कोआपरेटिव मूवमेंट हमारे प्रदेश में है उसकी रफ्तार बहुत अच्छी रही है। मुझे कहने में खुशी है कि जिस तेजी से पिछले ३, ४ साल में प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेंट बढ़ा है उससे ज्यादा तेजी से किसी और प्रदेश में नहीं बढ़ा है। हम सर्विस कोआपरेटिव्ज में आगे हैं, प्रोडक्शन प्लान और किसी स्टेट में नहीं बनायी है, मार्केटिंग से किसी ने लिंक नहीं किया जिस तरह से अच्छी मार्केटिंग सोसाइटी हमारे यहां हैं, सीड स्टोर जिस तरह से हमारे यहां काम कर रहे हैं और स्टेट्स में नहीं हैं। फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव्ज बांटती है। हमारे यहां केन का डिसपोजल जिस तरह से है वह भी कोआपरेटिव की मारफत है, वेयर हाउसिंग सबसे अच्छा है और हमारे मूवमेंट की इतनी ताकत है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ११ करोड़ ३० लाख रुपया इस समय लेने का अधिकार अपनी ताकत पर है और वह ले सकते हैं जो कि और दूसरी स्टेट्स नहीं ले सकतीं। इसलिये जो काम अब तक हुआ है और ओवरडियूज भी हमारे यहां मेरा खयाल है सब से कम हो गये हों। इसलिये जो यह काम हुआ है उसको अच्छी तरह से करने के लिये यह जो बिल लाया गया है उसकी जरूरत है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, उनको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इस बिल की अजहद जरूरत है क्योंकि हमारा मूवमेंट चारों तरफ काफी तेजी से फैल रहा है।

इस बिल के सब प्राविजन्स तो हो ही गये, अब मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाऊंगा कि इसमें मेरे दो-तीन सजेशन्स हैं। एक तो यह कि हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव मूवमेंट को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है, केन कोआपरेटिव्ज, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज और एग्रीकल्चरल

[श्री मोहनलाल गौतम]

कोआपरेटिव्ज। मेरी राय है कि एक रजिस्ट्रार होना चाहिये, यूनिफाइड कंट्रोल होना चाहिये नहीं तो यह चल नहीं सकता। और उसी का नतीजा यह भी होना चाहिये कि एक ही फिनेन्सिग एजेन्सी हो। यू० पी० में एक तो कोआपरेटिव बैंक है जिसका कि मैंने जिक्र किया कि २७–२८ करोड़ का उसका लेन-देन इस वक्त है और करीब २४–२५ करोड़ के कैपिटल है। दूसरा इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक है। केन कोआपरेटिव्ज अपना बैंक बनाना चाहती थी। उस पर रिजर्व बैंक ने आकर देखा और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि एक ही फिनैन्सिग एजेन्सी होनी चाहिये और एक ही एपक्स बैंक को वह फिनैन्स कर सकते हैं, दो को नहीं। यह जरूर है कि इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक जो कानपुर में है वह चकरौता की हर कोआपरेटिव सोसाइटी को कैसे रुपया देगा। क्या वे उससे सीधे रुपया लेंगी या कैसे क्या होगा? कौन उसको सुपरवाइज करेगा? उसके लिये हर डिस्ट्रिक्ट और हर गांव में उसकी ब्रांच होनी चाहिये। तो क्या इतना खर्चा हम बरदाश्त कर सकते हैं कि दो एपक्स आर्गेनाइजेशन्स, दो डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, दो गांव सोसाइटियां हम बनायें? मेरी राय है कि हम उतना खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते। हां, यह ठीक है कि अभी तक कोआपरेटिव स्ट्रक्चर में ज्यादातर गांव वालों और किसानों का आधिपत्य रहा है, उन्हीं का असर है। अगर कोई जरूरत है तो एक न्यूक्लियस ऐजेन्सी की लेकिन यह उसी के अन्दर करना होगा।

एक मेरी और दलील है कि एक ही बैंक होना चाहिये। इस वक्त रिजर्व बैंक से जो रुपया मिलता है उसने यह कर रखा है कि चार गुना तो मिलेगा शार्ट टर्म के लिये, एक गुना मिलेगा मीडियम टर्म के लिये और एक गुना मिलेगा हैंडलूम्स के लिये। अब यह बढ़ने वाला है। ५–६ गुना शार्ट टर्म के लिये हो जायगा, दुगुना मीडियम टर्म के लिये हो जायगा और एक गुना रहेगा हैंडलूम्स के लिये। अगर ये सब मिला दिये जायें तो इस वक्त जो सेंट्रल बैंक के अन्दर कैपिटल है वह करीब ७ करोड़ के है और उसका चौगुना यानी २८ करोड़ शार्ट टर्म में मिल सकता है और २, ३ करोड़ रुपया केन कोआपरेटिव्ज के पास है। ७ करोड़ के बजाय १० करोड़ हो सकता है और इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक के पास १ करोड़ रुपया है। इस सबको अगर मिला दिया जाय तो ४४ करोड़ रुपया मिल सकता है और २ परसेंट पर मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। यानी १६ करोड़ का तो किसानों को फायदा हो जायगा और केन में जो आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको भी मिल जायगा। इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उनका अगर एक करोड़ शेयर मनी है तो उनको एक गुना भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें मिल जाय तो ११ करोड़ रुपया हैंडलूम्स को दो परसेंट पर मिल सकता है जिससे उनकी काया पलट हो सकती है और जब तक यह नहीं मिल सकती है एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव्ज का गला घुटता रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि एक ही फाइनेंसिग एजेन्सी हो और एक ही रजिस्ट्रार होना चाहिये।

एक रजिस्ट्रार जनरल की बात कही जाती है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। इसके बड़े माने हैं। वह काम नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार काम करता है। इसलिये अगर रजिस्ट्रार जनरल रखेंगे तो पूरा ढांचा बनाना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि एक रजिस्ट्रार ही होना चाहिये। जो कोआपरेटिव का रजिस्ट्रार हो और उसी के साथ-साथ यह भी उसमें रख दिये जायं तब हमारे इस देश में अच्छी तरह से काम हो सकेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि २० लाख एकड़ जो केन में है उसके लिये २० करोड़ रुपये की जरूरत है जबकि उसको केवल तीन करोड़ रुपया ही मिलता है। फिर काम कैसे हो सकता है? इसलिये जब तक केन और कोआपरेटिव्ज मिलेंगे नहीं तब तक काम नहीं चल सकता है और जब तक फायनेंसिग एजेन्सी एक नहीं होगी तब तक यह चीज चलने वाली नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोनों एक हो जायं तो अच्छा है।

एक लफ्ज और कहना चाहता हूं। वह यह है कि सदन को यह हमेशा शिकायत रहती है कि कोआपरेटिव में गबन होते रहते हैं। हां, होते रहते हैं और मैंने इसको छिपाया नहीं है।

जो सूचना मांगी गई वह मैंने फौरन दी है। चाहे गवर्नमेंट जिम्मेदार हो, चाहे सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हों या गैरसरकारी लोग जिम्मेदार हों, मैंने सही तस्वीर हमेशा सदन के सामने रखी है। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि इस समय आडिट की व्यवस्था नाकाफी है और आडिट का काम रजिस्ट्रार का काम है। लेकिन इस समय आडिट का काम फायनेन्स विभाग के पास है। रिजर्व बैंक की भी राय है कि आडिट का काम रजिस्ट्रार के पास होना चाहिये। जब तक आडिट का काम रजिस्ट्रार के पास नहीं आयेगा तब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर पायगा और गबन को पकड़ने में दिक्कत होगी। अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो खराबी है वह ज्वाईंट सिलेक्ट कमेटी में पूरी हो जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं सहकारिता के सिद्धांत का समर्थन करता हूं और माननीय तेजबहादुरसिंह जी ने जो तरमीम पेश की है उसकी मैं ताईद करता हूं। मैं समझता हूं कि श्रीपालसिंह जी को संतोष हो जायगा अगर यह विधेयक ग्राम सभाओं में, सहकारी संस्थाओं में, खंड विकास समितियों में तथा अंतरिम जिला परिषदों में जनमत प्राप्त करने के लिये भेज दिया जाय। उनका विश्वास है कि जनता की जो वास्तविक भावना है सहाकरी आन्दोलन के विषय में, वह प्रगट हो जायगी। मैं भी समझता हूं कि सरकार को इसे मान लेना चाहिये। यह एक चुनौती है। सचमुच में जनता की वास्तविक भावना को और इच्छा को जानने का यही तरीका है और फिर अगर जनमत प्राप्त करने के बाद बहुमत यह प्रगट करता है कि इस तरह का आन्दोलन उचित नहीं है तो इस बिल को वापस करने की बात आयेगी और अगर जनमत या अक्सरियत इस प्रस्ताव के पक्ष में आता है तो फिर माननीय श्रीपाल जी को अपने विचार बदलने पड़ेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरमीम को जरूर मान लेना चाहिये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीन महीने की बात है। यों ही यह बिल काफी देर से आया। सन् १९६० में अक्तूबर में यह बिल पहले पेश किया गया था। लेकिन आज करीब सात-आठ महीने के बाद यह बिल हमारे सामने विचारार्थ आ सका है। तो तीन महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है इतने बड़े और व्यापक आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए मान्यवर, १९५९ में ८ मार्च को फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्री के सामने भाषण करते हुए देश के वजीरेआजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं आपके सामने उनके शब्द पेश करता हूं—

"I will have a million revolutions in this country than have millions of our peasantry living on the verge of starvation."

".....I am not prepared to envisage a future in which this vast agricultural population may remain for ever on the verge of subsistence."

यह उन्होंने कहा था नागपुर के प्रस्ताव पर आलोचकों का उत्तर देते हुए। नागपुर में कांग्रेस ने जो तीन फैसले किये थे स्टेट ट्रेडिंग के बारे में, हदबन्दी के बारे में और सहकारिता के विषय में, उसके कारण हमारे देश की प्रतिगामी शक्तियों के अन्दर एक भूचाल पैदा हो गया था और उसी भूचाल का कभी-कभी प्रस्फुटन इस सदन में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी कराया करते हैं। उसी का जवाब देते हुए पंडित जवाहरलाल जी ने यह बात कही। इसके लिये जरूरी था, और जरूरी है भी कि नागपुर के प्रस्तावों को बहुत दृढ़ता के साथ बिना हिचकिचाहट और डगमगाहट के लागू किया जाय।

लेकिन मुझे शिकायत इस बात की है कि जो उत्साह और जोश उन तीन फैसलों के बारे में और सहकारिता के विषय में भी शुरू में था वह करीब करीब समाप्त हो चुका है। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि यह आर्टिकल आफ फेथ होना चाहिये एक कांग्रेस-मैन के लिये। अगर इस बात को देखा जाय दिल से तो मेरा खयाल है कि पांच प्रतिशत भी कांग्रेसी ऐसे नहीं होंगे जो इसको आर्टिकल आफ फेथ के रूप में मानते हों। लेकिन एक संगठन का फैसला है। सर्वोपरि नेता का विचार है इसलिये दिल दबाकर के मान रहे हैं अनुशासन के नाम पर।

[श्री झारखंडे राय]

मुझे शिकायत माननीय श्रीपाल सिंह जी से नहीं है, मुझे शिकायत सरकारी दल से है जो हिचकिचाहट और डगमगाहट के साथ इस फैसले पर अमल कर रहा है। इसीलिये, मान्यवर, केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री नम्बूद्रीपाद, ने ठीक पांच महीने के बाद दिल्ली में, केरल में उस समय चलने वाले आन्दोलन का जिक्र करते हुए कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बहुत ही सुनहले शब्द हैं और उन्होंने पंडित नेहरू को लक्ष्य करते हुए कहा था:-

".....if Prime Minister Nehru ever tried to implement, determinedly, the Nagpur resolutions of Congress relating to agrarian reforms he will meet with the same kind of mass upsurge in each of the 13 States of the country as we faced in Kerala...."

".....the report of that Committee remained in cold storage for about 10 years. The Congress Governments later promised to introduce the reforms by the end of 1959. There are only five months left for the year to run out and you will see that none of the State Governments is able to do anything in that direction."

मान्यवर, सचमुच मेरा विश्वास है कि अगर नागपुर के फैसलों को मजबूती से लागू करने की कोशिश की जाय तो जिस भूचाल की माननीय श्रीपाल सिंह जी बात करते हैं, जिस भूचाल की कल्पना शायद हम नहीं कर सकते हैं उस भूचाल का इस प्रदेश में और देश के अन्य प्रदेशों में सामना करना पड़ेगा। माननीय श्रीपाल सिंह जी और उनके जैसे विचार के लोग आज पहले की अपेक्षा अधिक संगठित हो गये हैं। यह हिन्दुस्तान की राजनीति का एक नया पहलू है। कांग्रेस दल के अन्दर भी ऐसे तत्व हैं जो नागपुर प्रस्ताव को लागू करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि यह किसी तरह से भी लागू न हो और जिन्होंने उसके बारे में आवाज धीमी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनका और श्रीपाल सिंह जी ऐसे विचार रखने वाले जो व्यक्ति बाहर हैं, उनका एक सांगठनिक और आध्यात्मिक तादात्म्य है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उधर मजबूती के साथ बढ़े। उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान की सभी प्रगतिशील पार्टियां, सभी प्रगतिशील विचार के व्यक्ति और करोड़ों हिन्दुस्तान की जनता उनका साथ देगी जैसा कि कभी राष्ट्रीय आन्दोलन में एक स्वर से देश के प्रगतिशील तत्वों ने साथ दिया था। इसलिये प्रतिगामी शक्तियों की उभरती हुई शक्तियों के मुकाबले में हिचकिचाने, डगमगाने या लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, यह मैं अपेक्षा करता हूं कांग्रेस सरकार से जिनके हाथ में आज मुल्क की बागडोर है।

मान्यवर, सहकारिता के सिद्धान्त पर चलकर ही भारतवर्ष की जनता के जीवन में कायापलट हो सकती है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समाज के आमूल परिवर्तन की दिशा में बढ़ने के लिये, समाज में नई मान्यताओं की स्थापना के लिये, यहां के सामाजिक जीवन में नये मूल्यों, नयी कदरों और कीमतों की स्थापना के लिये सहकारिता का कदम ही श्री गणेश है और पहला चरण है। इसके विरोध में जो लोग खड़े होते हैं मैं कहूंगा कि वे एक बीते हुए वर्ग, बीते हुए जमाने की प्रतिरक्षा हेतु छटपटाते हैं। इस सदन में जो तर्क होते हैं उनको समझना उनके लिये कठिन है। इसी कारण सहकारिता के सिद्धान्त को लागू करने के लिये सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाई है। क्योंकि नग्न पूंजीवाद और निर्दय शोषण की पीठ ठोकने वाले अभी इस सदन में हैं। हिन्दुस्तान के दूसरे सदनों में हैं और दिल्ली की पार्लियामेन्ट में भी हैं। देश के समाज में ऐसा वर्ग और ऐसा तत्व है जो इस बात का हामी है कि नग्न शोषण होना चाहिये। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय श्रीपाल सिंह जी के दल ने खुले आम इस बात को प्रकट किया है कि वह समाजवाद के विरोधी हैं। उनके दल ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी प्रकार के सहकारिता के सिद्धान्त के पूर्ण विरोधी हैं। केवल उनके दल ने ही इस बात को स्पष्टरूप से कहा है कि वह हदबन्दी सिद्धान्त के खिलाफ हैं यानी चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में अब भी मुक्त व्यापार होना चाहिये और अब भी नग्न

शोषण की प्रथा स्थापित रहनी चाहिये। इसलिये इस प्रकार के सिद्धान्त रखने वाले लोगों के खिलाफ प्रगतिशील विचार रखने वाले व्यक्तियों को, हिन्दुस्तान में सभी प्रगतिशील शक्तियों को आपस में एका रखना निहायत जरूरी है ताकि कम से कम नागपुर के प्रस्ताव को सही माने में लागू किया जा सके।

मान्यवर, सहकारिता के सिद्धान्तों को पूंजीवादी और शोषणयुक्त समाज में लागू करना आसान नहीं है। हर व्यक्ति के सामने, ऊंचे से ऊंचे अधिकारी और नीचे से नीचे कर्मचारी के सामने--अगर सचमुच सहकारिता और समाजवादी सिद्धान्त के माननेवाले न हों, तो पूंजी संचय का लक्ष्य होगा। इसीलिये नेता और नीचे का कार्यकर्त्ता--हर आदमी व्यक्तिगत पूंजी के संचय करने में लगा हुआ है। हर आदमी मुनाफे के चक्कर में है, हर आदमी अपने भविष्य की चिन्ता से परेशान है अपने और अपने बाल-बच्चों के भविष्य के लिये। तो ऐसे समाज में जहां मुनाफा इंसेंटिव हो और व्यक्तिगत पूंजी का संचय अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती हो उस समाज में सहकारिता का सिद्धान्त लागू करना, जैसा नेकराम शर्मा जी ने कहा, जहां लक्ष्य मिक्स्ड इकानामी हो, आसान नहीं है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था बीच का स्थान तो ले सकती है और लेगी हमारे देश में, लेकिन मिक्स्ड इकानामी हमारा लक्ष्य हो, यह बात नहीं है। अगर यह हो जाता है तो मैं कहूंगा कि फिर सहकारिता का कोई ध्येय नहीं है। फिर हम लक्ष्यहीन यात्रा करेंगे और हम अन्ध-कूप में गिरेंगे। इसलिये मिक्स्ड इकानामी आब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वह एक मध्यकालीन स्तर हो सकता है हमारी आर्थिक व्यवस्था का, उसके विकास का। वह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। ऐसे-ऐसे समाज में कोआपरेटिव की बातें लागू करना आसान नहीं है।

मान्यवर, आपको अनुभव होगा, मुझे तो है, कि आज एक-एक किसान के अन्दर व्यक्तिगत पूंजी की भावना है। भले ही वह खुद डेढ़ हड्डी वाला हो, उसके पास टूटी मड़ैया हो, १३ जगह से टूटा हुआ हल हो, मोथड़ हंसुवा हो, लेकिन फिर भी वह व्यक्तिगत पूंजी की भावना से ओतप्रोत है और वह आज सोचता है कि इस सहकारिता के बिल में कौन सा वह खण्ड है कि जिससे कुछ पैसा मिल सकता है। मनी अर्निंग की मशीन हो गया है, यह कोआपरेटिव और विकास। विकास का विषय इस समय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव और विकास इस समय मनीअर्निंग का केन्द्र हो गये हैं और हमारे समाज में खास कर जो होशियार लोग हैं और जो पुराने सामन्ती तत्व हैं, वे आसानी से अधिकारियों पर रोब जमा कर अपनी तिकड़म से अधिक पैसा हासिल कर लेते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जनता उससे महरूम रह जाती है। तो समाज की ऐसी भावनाओं के बीच सहकारिता लागू करना कठिन है, लेकिन इस सरकार को वह करना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुप्रबन्ध की आड़ में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी और हमारे जनसंघ के उपनेता विष्ट जी, जो हमारे बड़े मित्र हैं, अपने-अपने तर्क दिया करते हैं, लेकिन देखिये कि उनका मूल कहां है।

सहकारिता में बड़ा कुप्रबन्ध है और उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ी है। आज व्यक्तिगत पूंजी और सहकारिता के बीच एक बड़ा अनंत संघर्ष है, एक रस्साकशी है, एक टग आफ वार चल रही है। सहकारिता की शक्ति कमजोर है और व्यक्तिगत पूंजी की शक्तियां प्रबल हैं। ऐसी हालत में सहकारिता ऐसे है जैसे कोई डाकुओं और चोरों से घिरा हो और पता नहीं कितनी सेंधे उसके घर में लग जायं और उसके पास का धन पता नहीं कितने रास्तों से चला जाय। तो ऐसी सूरत में कुप्रबन्ध के कारण उसके सिद्धान्तों पर हमला करना और उस पर अविश्वास प्रकट करना और उसके लिये तमाम दुनियाभर के सड़े-गले तर्कों को लाकर पेश करना उचित नहीं है। यह दगे हुए पटाखे और छूटे हुए कारतूस हैं जिनमें अब कोई दम नहीं है। मान्यवर, इसलिये कुप्रबन्ध की आड़ में सहकारिता का विरोध, सहकारी कृषि का विरोध हमको आगे नहीं ले जायगा और उसके माने क्या है?

५,००० एकड़ का एक खेत है, वह भले ही मेरा हो, श्रीपाल सिंह जी का हो, राजा साहब जौनपुर का हो या आपका हो। उसके मानों क्या है? अगर ५ हजार एकड़ का कोई फार्म है, और ५०० आदमी उसमें लगे हुए हैं और १०-१० एकड़ के उनके खेत हैं तो

[श्री झारखंडे राय]

रूप तो उसका एक ही होगा, फार्म एक ही होगा। एक फार्म व्यक्ति के हाथ में होता है और दूसरा एक समूह के हाथ में होता है, दोनों में अन्तर है स्वामित्व का। बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों में कृषि के तरीके एक ही है। पहले जो तरीके बड़े-बड़े फार्म वाले अपनाते चले आये हैं वही दूसरे में भी अपनाये जाते हैं। वही ट्यूबवैल्स काम में आते हैं, वही यंत्र इसमें काम में आते हैं, सभी तरीके वही हैं। फर्क केवल आन्तरिक तत्व का ही है, और वह है मालिकाना हक का।

इस संबंध में मैंने खुद भी जाकर सहकारी फार्मों को देखा है और उनका एक नंगा चित्र मैंने अपनी बजट स्पीच में पेश किया था। माननीय विभव जी ने भी उसके कई उदाहरण पेश किये थे। सरकार के आंकड़े अपनी जगह पर हैं। उस कुप्रबन्ध की आड़ में सहकारिता की तरफ बढ़ने का, उसके रास्ते पर चलने का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, यह तो वही लोग कर सकते हैं जो पुरानी लूट खसोट करते आये हैं और यह चाहते हैं कि वही लूट-खसोट अब भी चलती रहे।

मान्यवर, आज यह बात भी सही है कि सहकारिता आन्दोलन के प्रति जन-सहयोग नहीं है, जन-सहयोग का उसके पीछे अभाव है। इस बिल में भी उसकी तरफ इशारा किया गया है और इस बात को स्वीकार किया गया है और गैरसरकारी व्यक्तियों का सहयोग अधिक से अधिक प्राप्त करने की व्यवस्था भी इस बिल में की गयी है। इसके मानी यह हैं कि यह जो तस्लीम किया गया है इस ओर अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला है और उसके लिये व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि जितने उत्साह और जन सहयोग की हमें आवश्यकता है उतना हमें इन धाराओं के होते हुए भी नहीं मिल सकेगा। हमें उसके लिये और हिम्मत की जरूरत है, जिसका इसमें अभाव है।

श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि आज जनता के अन्दर सहकारिता के प्रति एक आतंक है, भय है, किन्तु यह क्यों है? हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा। आज सहकारिता आन्दोलन की जो असफलता दिखाई दे रही है उसका कारण केवल उसमें फैला हुआ घनघोर भ्रष्टाचार ही है। माननीय गौतम जी चाहे संतुष्ट हो लें, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि आज इस विभाग में घनघोर भ्रष्टाचार है जिसके कारण जनसहयोग का अभाव है। मैं यह भी जानता हूं कि अगर यह अच्छे आदमियों के हाथ में आ जाये, तो उसका अच्छा असर भी पड़ सकता है और जनता में जो आतंक और भय छाया हुआ है वह भी दूर हो सकता है।

श्रीमन्, मैं अपने एक गांव अमिला के एक सहकारी भट्ठे का उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार उसमें ७ हजार रुपये का गबन हुआ, दूसरी बार फिर उसमें ६ हजार का गबन हुआ। यह अफसोस की बात है कि उसमें दो दो बार गबन हो। यह देख कर जनता को कैसे विश्वास हो सकता है? लकिन फिर उसी का इन्तजाम जनता की एक राय से कुछ अच्छे आदमियों के हाथों में दिया गया और अब वह ठीक तरह से चल रहा है। मैं उन आदमियों के नाम तो नहीं बताऊंगा कि पहले जो लोग थे; वे किन पार्टियों के थे और अब किन पार्टी के हैं, उससे कोई फायदा नहीं। जब अच्छे आदमियों के हाथ में अब आया है तो सहकारिता के प्रति जनता का प्रेम उतना ही बढ़ गया है जितना कि बढ़ना चाहिये।

१० दिन की बात है, देवरिया जिले में डेहरी गांव के पास मैं वहां की सहकारी खेती, सहकारी भट्ठा और सहकारी आन्दोलन की जांच के लिये गया हुआ था। मैं बताऊं कि एक नमूने के तौर पर वहां समिति बनी। उसमें कुल ६६ सदस्य हैं, जिनमें २० हरिजन जाति के हैं। समिति का कारोबारी सरमाया, ९,००८.३१ रुपया है और निजी सरमाया ४,४९८.५० रुपया है, वह "सी" दर्जे में रखी गयी है, एक भट्ठा चल रहा है जिससे १०,३०४ रुपया मुनाफा हो चुका है। और सहकारी फार्म की बात यह है कि कुल ३४ मेम्बर हैं, जिसमें २ हरिजन जाति के हैं। समिति का कारोबारी सरमाया, १,१७३ रुपया है। समिति का निजी सरमाया ४३९ रुपया है। सदस्यों की भूमि ९४ एकड़ है जिस पर सहकारी तरीके से खेती की जाती है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि ९४ एकड़ खेती २०० टुकड़ों में

बंटी हुई है। पिछले कई वर्षों से वहां की सहकारी समिति इस बात की कोशिश कर रही है, जिला अधिकारियों से मिल चुकी है कि ९४ एकड़ की एक चक में चकबन्दी कर दें, लेकिन वह आज तक नहीं हो पाया। यह है अधिकारियों का सहयोग !

अधिकारी कौन है ? अधिकांश वह हैं जिनका कोआपरेटिव मूवमेन्ट में कौड़ी बराबर विश्वास नहीं है। वे समझते हैं कि हमें नौकरी करनी है, सरकार का हुक्म है, सरकारी नीति है, सरकारी पार्टी का फैसला है, तो करना तो है ही चाहे शीर्षासन करें या द्रविड़ प्राणायाम-लेकिन विश्वास नहीं है। जो सेक्रेडनैस आफ प्राइवेट प्रापर्टी, व्यक्तिगत पूंजी की पवित्रता, को मानते हैं, सहकारिता उनके हाथ में लूज पुंज पड़ी हुई है और उससे केवल माननीय श्रीपाल सिंह जी जैसे लोगों को बल मिलेगा। तो ऐसी सफल सहकारी समितियों के प्रति अधिकारियों का रुख बदलना परमावश्यक है।

पच्चीसों बार कोशिश की गयी कि देवरिया के जिलाधीश वहां पहुंचें। वहां ट्रेन जाती है, मोटर जाती है, लेकिन वर्षों होगये एक बार भी जिलाधीश या मंडलाधीश ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया। चारों ओर से उस पर हमला है। गांव में एक सज्जन हैं, पुराने सामंत, रिटायर्ड असिस्टेन्ट डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर। लाखों रुपये की प्रापर्टी चुरा कर अपने घर में रख लिये हैं और वह अपने उस अधिकारी बल पर, सामन्ती बल पर, पुराने सामंती वर्ग की सत्ता के बल पर उस पूरे सहकारी आन्दोलन को नष्ट-भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। उन्हीं के घर के एक सज्जन एकाउन्टेंट, प्लानिंग हैं देवरिया में। वह उस बल पर उस पूरी सहकारी खेती को, भट्ठे को तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन वह छोटी समिति इतने आड्त के मुकाबले में अकेली खड़ी है, क्योंकि दो--चार ईमानदार, सच्चे और विश्वास करने वाले व्यक्ति जुटे हुए हैं कि चाहे कत्ल हो जायं, छोड़ेंगे नहीं और जनता साथ में है। लेकिन अधिकारियों का कोई सहयोग उसके प्रति नहीं है। मैं चाहूंगा, एक रेफरेंस की बात आ गयी, जो सुन रहे हैं, चाहे अधिकारी हों या सरकार के कान, वह इस बात पर गौर करें कि डेहरी गांव के इस अत्याचार और आतंक को फौरन रोकें वरना वहां के जो सरपंच और प्रधान हैं, वहां कत्ल हो जायगा। मान्यवर, मैं बता रहा था कि इसकी अब तक की असफलता और कुव्यवस्था के आधार पर इसका विरोध नहीं किया जा सकता और न करना चाहिये। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे एक आतंक का भाव पैदा हो गया है जिसके लिये जरूरी है कि सरकार और सरकारी अधिकारी ऐसे नियम और उपनियम बनायें जिनसे भ्रष्टाचार असंभव हो जाय और यदि असम्भव नहीं तो काफी मात्रा में कम हो जाय ताकि जनता में आतंक दूर हो सके।

मान्यवर, जनसंघ के उप-नेता श्री विष्ट जी ने अपने भाषण में एक लम्बा समय कोअर्शन बल प्रयोग के लिये लिया। जब हम बल प्रयोग की बात कहेंगे तो माननीय मलिखान सिंह जी या टम्बरेश्वर प्रसाद जी रूस और चीन की बात कहने लगेंगे। यहां पर रूस या चीन की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। हमने शांतिमय तरीकों से भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त की है जिसका हमें नाज है। संसार के एक-तिहाई हिस्से पर हथियारबन्द तरीके से कम्युनिस्ट कब्जा हुआ इन्डोनेशिया, इन्डोचाइना, मलाया, लाओस, वहां पर जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन यहां पर हमने पार्लियामेन्टरी सिस्टम को अपनाया और इसी सिस्टम के द्वारा एक सूबे केरल में कम्यूनिस्टों की हुकूमत भी बनी। तो, श्रीमन्, मैं कोअर्शन, बल प्रयोग की बात कह रहा था। रूस में बल प्रयोग हुआ होगा, वहां की विशेष परिस्थितियां रही होंगी, उन पर यहां डिबेट नहीं हो रही है। अगर डिबेट हो तो उसका भी जवाब दिया जा सकता है एक आलोचक और समालोचक की हैसियत से। मैं यह नहीं कहता कि रूस और चीन ने गल्तियां नहीं की होंगी, उनसे एक लाख एक गल्तियां हो सकती हैं, लेकिन यह काम भावी इतिहास लिखने वालों का है।

मान्यवर, मैं बल प्रयोग के संबंध में कह रहा था। सहकारी समितियों के जो सरकार के नियम हैं उसमें भी कहीं बल प्रयोग का जिक्र नहीं है। भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट किया, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी सफाई से कहा है कि किन लोगों से खतरा है। हमारे

[श्री झारखंडे राय]

दल ने भी इस विषय में अपने विचार बहुत स्पष्टरूप से रखे हैं । आल-इंडिया किसान सभा के प्रस्ताव से मैं कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूं:--

"किसी भी किसान का खेत बिना उसकी सहमति के सहकारी कृषि समितियों में नहीं लिया जायगा । सहकारी समितियों के ढांचे में परिवर्तन करके उन्हें सही मानों में किसान की अपनी संस्था बनाया जाय जहां पर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व न हो । पर्याप्त मात्रा में सरकारी प्राविधिक और आर्थिक सहायता प्रदान करके सहकारी कृषि में किसानों के लिये आकर्षण बनाया जाय । इन सहकारी कृषि समितियों में केवल गरीब किसान और नयी भूमि प्राप्त किये हुए भूतपूर्व भूमिहीन शामिल किये जायं तथा धनिक किसानों को इस प्रकार से शामिल किया जाय कि कहीं उनका उसमें आधिपत्य न स्थापित हो जाय । इन समितियों के सदस्यों को शिक्षित करके उन्हें अपनी समितियां स्वयं चालित कर सकने के योग्य बनाया जाय ।"

मान्यवर, इसमें कोअर्शन की बात नहीं आती । लेकिन माननीय विष्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जब सरकार उनको कुछ पैसा देती है, सहूलियतें देती है, रियायतें देती है, उनके ऊपर कुछ ज्यादा स्नेह का व्यवहार दिखलाती है तो वह भी एक प्रकार का कोअर्शन है । अगर कोअर्शन की यही परिभाषा की जाय तब तो कमाल है ! विष्ट जी के मुताबिक अगर विधान भवन के बगल में ५ हजार एकड़ की खेती सरकारी तौर पर हो रही हो जिसमें प्रति व्यक्ति एवं पारिवारिक आमदनी बढ़ रही हो तो वह भी कोअर्शन हो जायगा । आदर्श पेश करना, लोगों को आकर्षित करना भी कोअर्शन हो जायगा । किसी अच्छी चीज के विरुद्ध यह असफल प्रयास उचित नहीं है । कोअर्शन की मानी यही है कि किसी को जबरदस्ती सहकारी खेती में शामिल किया जाय, जो इस बिल में नहीं है ।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, रजिस्ट्रार के बारे में गौतम जी ने बतलाया, और मैं भी महसूस करता हूं, कि उसकी पावर सुप्रीम कर दी गई हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहिये । प्रादेशिक समिति के हाथ में ये पावर दे दी जायं , जिससे जनवादीकरण और विकेन्द्रीयकरण होगा । जिला स्तर पर भी अधिकारियों का हस्तक्षेप और नियंत्रण कम होना चाहिये । केवल यही नहीं कि कोई आई० ए० एस० या आई० सी० एस०, हैं बल्कि उन्हीं अधिकारियों को सहकारिता में रखा जाय जिनका अपार विश्वास इसके सिद्धांतों में हो । जिनका विश्वास नहीं है, उनके लिये मेरा सुझाव है कि वे स्वयं ही हट जावें । इसमें नर्सीनरी सिपाहियों से काम नहीं चलेगा, इसमें मिशनरी जोश वालों की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ जो तरमीम पेश की गयी है मैं उसकी ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि इसे जनमत संग्रह के लिये घुमाया जायगा ।

(श्री गोविन्द सिंह विष्ट का नाम पुकारने पर श्री टम्बरेश्वर प्रसाद खड़े हुए ।)

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---चूंकि वह अलमोड़े गये हुये हैं और उनके ऊपर चार्जेज लगाये हैं, उनकी सफाई के लिये मुझे ५ मिनट दे दें । वह मुझसे कह गये हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, ५ मिनट हमें भी दे दिये जावें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---वह मुझे अथारिटी दे गये हैं ।

(श्री अध्यक्ष ने श्री तेजबहादुर सिंह का नाम पुकारा लेकिन उनके भी न होने पर)

श्री अध्यक्ष---दोनों मौजूद नहीं हैं । तो ५ मिनट आप और पहले ५ मिनट पुजारी जी ले लें ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मैंने सहकारिता की बात सुनी । सहकारिता बड़ी अच्छी चीज है और वह अब तक दो आदमी की होती है जिसमें स्त्री तथा पुरुष शामिल हैं ।

अब इसी यूनियन में ५० आदमी हों और एक स्त्री हो तो भी सहकारिता हो सकती है जिसमें जनसंख्या कम हो सकती है । और तभी तो सहकारिता बहुत अच्छी हो सकती है । लेकिन यह रूस की सी सहकारिता लाने वाले नकली सहकारी हैं । ये तो रूस के लेटरबक्स हैं । ये तो हमेशा रूस और चीन की ही बातें करते हैं । इनकी सहकारिता किसान के लिए घातक होगी । किसान उसमें जिन्दा नहीं रह पायेगा । रूस में ८५ फीसदी मजदूर हैं और १५ फीसदी किसान हैं । जब इतने ज्यादा मजदूर हो जाते हैं तभी कम्युनिज्म फैलता है । इसी प्रकार की चीज पर सरकार अब यह भी चलाना चाह रही है और वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी किसानों को चक्कर में डाल कर मजदूरों की संख्या को बढ़ावें । जब किसान नहीं रहेगा और वह मजदूर हो जायगा तो उनका बोलबाला हो जायगा और फिर मनमानी चीज की जा सकेगी ।

मेरा विश्वास है, श्रीमन्, कि इस देश में सहकारिता नहीं आ सकती यह जो रूस वाली है । यह देश आस्तिकों का देश है और कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, प्रकृति को मानने वाले होते हैं। यह देश प्रकृति को कभी मान नहीं सकता, यह तो सदा से ईश्वर पर निर्भर रहा है और रहेगा ।

श्रीमन्, यह सहकारिता कहां होती है ? यहां सहकारिता डूब गई है । जब मैं बोलता हूं तो सहकारिता नहीं रहती है और जब इधर या उधर के नेता लोग बोलते हैं तो सहकारिता हो जाती है । चाहे वह नेता सोशलिस्ट पार्टी के हों, प्रजासोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे और किसी पार्टी का हो, सब में सहकारिता है । कम्युनिस्ट सहकारिता की जड़ और पीढ़ है तथा प्रजासोशलिस्ट और सोशलिस्ट और कांग्रेस इस पेड़ के डाल तथा पत्ते हैं । इसलिये मैं कह यह रहा हूं कि सहकारिता इस देश में नहीं हो सकती । हां, यहां पर सहकारिता हो सकती है परमात्मा के नाम की । उसके कारण हम सब एक हैं और उस नाते हम एक चीज बनायें और अपने किसानों को तरक्की दें । लेकिन क्या यहां किसानों को तरक्की दी जायगी ? जिनके बाप दादा ने तो कभी खेती करी नहीं और अब वे नकली किसान बनते हैं । हल की मुठिया हाथ में ले ली और कोट खिंचा लिया । इसलिये कहता हूं कि ये असली किसान नहीं हैं, मुलम्मा हैं, धोखे की चीज हैं ।

मैं सन् १९६२ में देखूंगा, जब वे कहेंगे कि सहकारिता नहीं चलती है, झूठी बात है । जब वोट का वक्त आयेगा तब चार चार रंग ये बदलेंगे । यहां रंग दूसरा और बाहर दूसरा होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस सहकारिता के प्रस्ताव को सरकार वापस लेगी और ३ आना छूट जो आबपाशी की वापस ले ली है उसको सरकार फिर किसानों को देगी । तीसरी बात यह है जो दस गुना लिया गया है, उसको मालगुजारी के परते से लिया जाय । लगान पर न लिया जाय तथा चकबन्दी टैक्स बन्द किया जाय । अगर यह सरकार इन तीनों बातों को कर दे तो मैं कहूंगा कि जनता अपना एक एक वोट कांग्रेस को दे ।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद----माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सहकारिता के बिल को प्रस्तुत करके सरकार एक ही दृष्टिकोण रख रही है और वह दृष्टिकोण यह है कि इससे समाज में उत्पादन बढ़ेगा, एम्प्लायमेंट बढ़ेगा तथा कृषकों की उन्नति होगी । उन्होंने अपने बिल का जिक्र करते हुए उसके जो उद्देश्य बताये हैं उनमें उन्होंने उत्पादन का नाम नहीं लिया । उन्होंने यह नहीं कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग से उत्पादन बढ़ने वाला है । जनसंघ के और उनके दृष्टिकोण में एक मौलिक अन्तर है । आज जब जनसंघ के विचारों में यह सम्मिलित है कि ३० एकड़ अधिक से अधिक भूमि होनी चाहिये एक कृषक के पास तो जाहिर है कि ३० एकड़ वाला किसान करोड़पति या लखपति नहीं हो सकता और वह अधिक भूमि संचित नहीं कर सकता । मैं समझता हूं कि उस धन से एक परिवार का जीवनयापन एक अच्छे स्टैंडर्ड पर नहीं हो सकता जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

तक कि उस कृषक को हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायं । हमें यह देखना होगा कि यदि आज उस सिद्धान्त को छोड़ कर हम कोआपरेटिव के सिद्धान्त को मान लें तो उससे आज की परिस्थितियों में जनसाधारण का कोई लाभ होने वाला है या नहीं ।

माननीय नेकराम शर्मा ने स्वेडन और रूस की बातें कहीं और माननीय झारखंडे राय जी ने तो हर बात पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पर टाल दी । आज ३–४–५ एकड़ का कृषक पूंजीपति नहीं हो सकता, अगर वह सम्मिलित रूप से कृषि करेगा तो आज इस सरकार के पास, जो आज के अनएम्पलायड लोग हैं, जिन के पास कोई दूसरा काम नहीं है, उनको कोई उद्योग या कोई काम देने का साधन नहीं है। जब एक व्यवस्था हो जायगी तो उस में से बहुत अधिक संख्या में लोग खाली हो जायेंगे, तो इस डेमोक्रेटिक ढांचे को चलाने के लिये वह अनुपयुक्त है । आज के विधान में अगर किसान एक बार सहकारिता में चला जाय और फिर कभी उस से निकलना चाहे तो उसे किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं हो सकती । ऐसा जनतंत्र बनाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी इस सिद्धान्त का समर्थन करे तो मतलब यह है कि वह डिक्टेटरशिप चाहती है, उन के यहां कोई रास्ता सिवा डिक्टेटरशिप के और नहीं है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस व्यवस्था में जिसे इस देश में हम मान चुके हैं किस प्रकार हम समाज को इस ढांचे में लाना चाहते हैं और क्यों लाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका अध्ययन किया कि जिन देशों में यह व्यवस्था है क्या वहां पर सचमुच में उससे कोई अच्छा लाभ हो सका है या नहीं । नेता जनसंघ दल ने कुछ समय पहले एक यू० एस०एस० आर० के बुलेटिन से एक चीज क्वोट की थी, उससे स्पष्ट था कि इतने दिनों के बाद भी जब कि वहां पर प्रति एकड़ भूमि लोगों की आवश्यकता से अधिक है, वहां आज तक भी वह लोग खाने पीने की चीजें तक सदस्यों को उपलब्ध न करा सके । वहां का सारा समाज कोआपरेटिव फार्मिंग के सिद्धान्त को शंका की दृष्टि से देखता है क्योंकि अभी तक एक कोआपरेटिव फार्म भी वह अपने यहां नहीं बना सके हैं । श्री झारखंडे राय जी ने हजार बार कहा है कि उनकी कोआपरेटिव. . . . . .

श्री अध्यक्ष—जो यहां कहा हो उसी का जवाब आप दें, बाहर की बातों का जवाब यहां देने की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—हम तो इसलिये कह रहे हैं कि वह उस पर शंका करते हैं, अगर वह किसी सिद्धान्त को रखते हैं तो उसके अनुसार करके दिखलावें ताकि किसान को विश्वास हो जाय । यह क्या कि 'खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत' ? आपका सिद्धान्त इसलिये है कि हम अपने दस एकड़ पर कोआपरेटिव फार्म बना लें और आप न बनायें । ऐसा सिद्धान्त कहां लागू हो सकता है यह हमारी समझ में नहीं आता ।

श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि अगर नागपुर का सिद्धान्त लागू होगा तो केरल की तरह बवंडर हो जायगा । मैं समझता हूं कि केरल ने भी कोआपरेटिव फार्मिंग को इतने जोर से नहीं चलाया जितनी जोर से कि वह कहते हैं । हमारे दल को शंका नहीं है कि साधन सहकारी समितियां कृषकों के लिये जो व्यवस्था करती हैं उससे उनका लाभ नहीं है । और हर एक व्यक्ति साधन सहकारी समितियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा और उनको बढ़ावेगा ।

गौतम जी ने कहा कि १ करोड़ ७६ लाख का शेयर कैपिटल कहां से आ गया । वह इस समय उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी सोसाइटियों से लेकर ऊपर तक चार-चार बार पलट देते हैं और १० रुपये, इस तरह से ४० रुपये हो जाते हैं। उन सबके पास वही है लेकिन हर स्टेज पर वही दिखाते हैं । वही कैपिटल बैंक में करते हैं और वही प्राइमरी सोसाइटी में, फिर वही ऊपर सोसाइटियों में है, इस तरह से चौगुनी हो जाती है । इसलिये वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को शंका की दृष्टि से न देखें ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां इस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है जो सहकारी विभाग के लिये दोषपूर्ण है । वह खत्म होना चाहिये तभी यह सहकारी समितियों का कार्य कुछ उन्नति कर सकता है ।

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--श्रीमन्, इस विधेयक पर पिछले तीन दिनों से विचार विनिमय चल रहा है । माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको मैंने सुना । एक प्रसन्नता की बात है कि प्रायः सभी सदस्यों ने, कुछ को छोड़कर इस विधेयक के सिद्धान्तों का स्वागत किया है ।

सदन के समक्ष जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय । उसमें संशोधन आये हैं । एक तो यह है कि इसको प्रवर समिति में तो भेजा जाय लेकिन अवधि केवल ६ दिन रखी जाय और दूसरे संशोधन में है कि इसको जनमत के लिये घुमाया जाय जिसका समर्थन मेरे दोस्त झारखंडे राय जी ने भी किया है; उसका मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ ।

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है कि यह जनमत के लिये घुमाया जाय मैं इसका विरोध करता हूं । मैं विरोध इसलिये नहीं करता कि कोई जनता की राय इसमें लेनी नहीं चाहिये, विरोध इसलिये भी नहीं करता कि जो सरकारी संस्थायें चल रही हैं और जो कार्यकर्त्ता उसमें काम करते हैं उनके अनुभवों से फायदा न उठाया जाय बल्कि मैं विरोध इसलिये करता हूं कि आज उसकी आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि चार पांच साल पूर्व केन्द्रीय सरकार की ओर से एक समिति इस बात के लिये नियुक्त की गई थी कि समस्त देश के कोआपरेटिव लाज और कोआपरेटिव रूल्स को देखें । उक्त समिति ने विस्तार से काम किया और सम्बन्धित व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं की राय एक प्रश्नपत्र जारी करके ली, सम्भवतः साक्षियों को भी सुना और पूरा अध्ययन करने के पश्चात् वे कुछ नतीजों पर पहुंचे । उन नतीजों के परिणामस्वरूप एक माडल विधेयक उन्होंने तैयार किया और वह माडल विधेयक समस्त प्रदेशों में भेजा । उस माडल विधेयक में जनमत के द्वारा जो राय लेने का उद्देश्य है वह निहित है । उस माडल विधेयक के द्वारा वह समस्त चीज प्राप्त हो जाती है जो संशोधन के प्रस्तावक महोदय की मंशा है । इसलिये इस प्रस्ताव को उस संशोधन के साथ स्वीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता और मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्रीमन्, जो ६ दिन का समय दूसरे संशोधन में रखा गया है प्रवर समिति की रिपोर्ट देने के लिये और उसकी परिधि बढ़ाने के लिये, उससे स्पष्ट है कि वह तो श्री विष्ट जी की भावना को व्यक्त करता है क्योंकि वह कुछ सहकारिता आन्दोलन, विशेषकर सहकारी खेती के पक्ष में नहीं है । इस तरीके का जो संशोधन उन्होंने उपस्थित किया, वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्रीमन्, बिल के संबंध में और खास-खास धाराओं के संबंध में सदन में बहुत सी बातें कही गई । मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ धाराओं में परिवर्तन करने की जरूरत हो सकती है इसीलिये जो प्रस्ताव रखा गया है वह संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा गया है । एक एक धारा के ऊपर संयुक्त प्रवर समिति में विचार हो सकता है, संयुक्त प्रवर समिति उन सब चीजों को देख सकती है, विचार-विनिमय कर सकती है और आवश्यकता होगी तो उन धाराओं को बदल सकती है । माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न धाराओं के संबंध में विचार व्यक्त किये हैं उन पर भी विचार करने का अवसर वहां होगा । इसलिये धारा को लेकर जो बातें यहां कही गई हैं उनका उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, विशेषकर इस स्थिति में जबकि मेरे मित्र श्री गौतम जी ने इस सदन में उन सब बातों के संबंध में कह दिया है । उन सब चीजों को दोहरा कर सदन का समय लेने की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और इसलिये मैं उन सब चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाश प्रकाश]

हां, दो तीन बातें हैं जिनके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता महसूस होती है । पहली बात है सहकारी खेती । सहकारी खेती के संबंध में इस विधेयक के अवसर पर भी और अन्य अवसरों पर भी बहुत संदेह प्रकट किया गया है, बहुत विरोध किया गया है, विरोध किया जाता है और श्रीमन्, केवल विरोध ही नहीं किया जाता, केवल सिद्धान्तों का ही पक्ष नहीं लिया जाता बल्कि उसके संबंध में भ्रमात्मक प्रचार भी किया जाता है । मेरे पूर्व वक्ता जो सहकारी खेती के सम्बन्ध में बात कह रहे थे और उसके विरोध में थे उन्होंने कहा कि जनसंघ इस बात के पक्ष में है कि जिनके पास ३ एकड़ तक की भूमि है उनके अधिकार प्राप्त रहें, और यदि कहीं सहकारी खेती बन गई, अगर लोगों ने मिल जुल कर खेती करने का काम शुरू कर दिया तो वह लोग जिनको आज मजदूरी पर आश्रित रहना पड़ता है किस तरह से काम पायेंगे । मैं एक ही प्रश्न उनसे करना चाहता हूं । वह और उनकी पार्टी क्या इस बात से संतुष्ट है कि जो जीवन स्तर आज प्रदेश के किसानों का है क्या उसी पर उनको रखना चाहते हैं ? यदि वह संतुष्ट हैं तो उनको मुबारक हो । किन्तु आज तक शासन का मत यह है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, इसकी उन्नति करनी है, उसको बदलना है और प्रदेश के रहने वालों के लिये सुविधायें उपलब्ध करनी हैं जिससे अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें । यह तभी होगा जब सब क्षेत्रों न और खास कर कृषि में उत्पादन बढ़ेगा ।

आज इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते कि विज्ञान की प्रगति हुई है और उनके द्वारा मानव को प्रकृति के ऊपर कुछ नियंत्रण प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा साधनों में प्रगति हुई है और उनके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । क्या यह बात स्वयं-सिद्ध नहीं है कि इस तरीके से छोटे-छोटे भूमिधर जिनके पास केवल १, २, ३ एकड़ भूमि हो, पूरी मेहनत करने के बावजूद, कुशल किसान होने के बावजूद, उन सब साधनों को जुटा सकते हैं जो आज विज्ञान ने उपस्थित कर दिये हैं और जिनका इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं ? मेरा खयाल है कोई भी इससे सहमत नहीं होगा कि इतनी छोटी होल्डिंग का किसान उन सब साधनों को जुटा सकता है, उनका लाभ ले सकता है । जब इस नतीजे पर पहुंचे कि इतनी छोटी होल्डिंग वाला किसान प्रस्तुत वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है तो सोचना होगा कि किसी तरीके से हमको इसको एक सामूहिक रूप देना है ।

सामूहिक रूप देने का एक ढंग यह हो सकता है कि बड़े बड़े फार्म स्थापित किये जायं और उनमें स्वामित्व कर दिया जाय लोगों का । मैं उस बात में इस समय नहीं जाना चाहता, न आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज उस चीज का कोई भी सपोर्ट नहीं है, वह लोग भी समर्थन नहीं कर सकते हैं जो सहकारी खेती का विरोध करते हैं कि इस तरीके से बड़े बड़े फार्म कुछ लोगों को दे दिये जायं । तो एक ओर मौजूदा शक्ल में छोटी-छोटी होल्डिंग रख कर किसान अपनी पैदावार को नहीं बढ़ा सकता है । दूसरी ओर हम बड़े बड़े निजी फार्म स्थापित करना, उनको प्रोत्साहन देना अपने सिद्धान्तों के अनुसार नहीं समझते हैं । तो क्या चीज रह जाती है जिसके द्वारा कृषि में उन्नति कर सकें ?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---बड़े फार्म आप किनको मानते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जरा मेरी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष---आप थर्ड पर्सन में जवाब दें और उनसे बात न करें ।

श्री कैलाशप्रकाश---जी, श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में एक रास्ता रहताहै सहकारी खेती का, मिलजुल कर वे लोग खेती करें । मिलजुल कर खेती करने से जो साधन किसान को विज्ञान के द्वारा उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाने की उनमें क्षमता होगी और इस प्रकार वे कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे ।

इससे दुचन्द लाभ होने वाला है । एक ओर प्रदेश में क्या देश में भी खाद्य पदार्थों की कमी है, प्रति एकड़ उत्पादन को बढाना है । दूसरी ओर जो लोग खेती में लगे हैं उनकी आमदनी

को बढ़ाना है । इस प्रकार के कार्य से इन दोनों की उन्नति होने वाली है । किन्तु मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सहकारी खेती का कार्य जो चलेगा वह हर व्यक्ति की मर्जी के अनुसार होगा । दुर्भाग्य है कि इसके सम्बन्ध में काफी भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस सहकारी खेती के द्वारा किसानों की जमीन छीन ली जायगी, किसानों की जमीन का स्वामित्व चला जायगा, किसान-किसान नहीं रहेगा, वह तो मजदूर हो जायगा और एक आश्रित बन जायगा । श्रीमन्, सहकारिता में यह कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है और इस देश में कानून के द्वारा न हो, लेकिन सहकारिता चलती रही है और आज भी चल रही है । मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इस देश में बहुत दिनों से गन्ना पेरने के लिये कोल्हू की प्रथा चलती आ रही है । क्यों चलती आ रही है ? क्योंकि हर एक किसान की क्षमता नहीं है, जो ईख बोता है एक खेत, दो खेत, तीन खेत, कि वह कोल्हू लगा सके और उसका पूरा खर्चा उठा सके और पूरे दिन उसको चला सके। तो ऐसी परम्परा है बहुत दिनों से क्योंकि इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि किसानों को मिल कर एक कोल्हू लगाना है और इस प्रकार अपने गन्ने को पेरना है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कोल्हू में काम करने वाले किसानों को कभी यह महसूस होता है कि उनका स्वामित्व नहीं है, वे गुलाम बन गये हैं, मजदूर बन गये हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं ? वह ऐसी कोई भी बात महसूस नहीं करता है क्योंकि उसमें ये चीजें निहित हैं कि उसमें प्रवेश पाने के लिये वह स्वतंत्र है । किन लोगों के साथ मिल कर वह काम करेगा इसकी उसको आजादी है और इस बात की आजादी है कि जब उसको उन लोगों के साथ मिल कर काम करना पसन्द न हो तो वह निकल सकता है । यही दो चीजें इस विधेयक में मौजूद हैं । सहकारी खेती के सम्बन्ध में स्पष्टतया यह बात मौजूद है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सहकारी खेती की सोसाइटी में शामिल होगा और कोई व्यक्ति उसमें से निकल सकता है । और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निकलने पर अगर चाहेगा तो उसको भूमि मिल सकती है और चाहेगा तो उसे भूमि का कम्पेन्सेशन उसी रूप में मिल सकता है जितना कि वह हो । निकलने के लिये उसको बिलकुल छूट्टी है । श्रीमन्, अगर कोई यह कहे कि उसको वह जमीन नहीं मिल रही है इसलिये बड़ी भारी पाबन्दी हो गई है, यह तो श्रीमन्, हमारे यहां जो चकबन्दी चल रहीहै उसमें ऐसा हो जाता है कि तमाम जमीन को पूल करनेके बाद चकबांटे जायं और जिस कीमत की भूमि है उसको अलग-अलग करके चक बनाकर किसानों को दे दी जाय। इसमें कोई स्वतंत्रता का अपहरण नहीं है । इस तरह से सहकारी खेती में जो यह चीज है उसमें किसी तरह से किसी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं है । केवल एक मंशा है कि वह कोआपरेटिव तरीके से मिलकर, वैज्ञानिक साधनों का पूरा लाभ उठाकर, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठायें और शासन भी इस काम में उनकी हर तरह से सहायता करने के लिये तैयार है ।

श्रीमन्, दूसरी बात यदि मुझे ठीक याद पड़ती है तो शायद हमारे विष्ट जी ने उठाई कि बड़ा भारी डिसक्रिमिनेशन है । वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को यह अख्तियार है कि किन्हीं टैक्सों को न लगावें और कुछ सुविधायें हैं, इसलिये उनका कहना यह है कि यह बड़ा भारी डिसक्रिमिनेशन है । मैं दावा नहीं करता हूं कि मैं शब्दों के पूरे माने जानता हूं, किन्तु इस शब्द के माने जो मेरे विचार में और व्याख्या में हैं उसमें यह नहीं आता है। शासन इससे इन्कार नहीं करता है कि जो समाज की कल्पना शासन के सामने है और जिन साधनों के द्वारा वह लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उन साधनों को वह समर्थन देना चाहता है । आज लक्ष्य है समाजवादी ढंग के ढांचे को बनाना और आर्थिक क्षेत्र में सहकारी ढंग से काम करना । इसलिये जो लोग सहकारी ढंग से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने में या सहायता देने में शासन कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं नहीं समझता है । बहुत सी चीजें जिनमें समाज का हित होता है, उनके लिये शासन सहायता देता है, अनुदान देता है । उसी तरीके से कोआपरेटिव सोसाइटियों के लिये शायद शासन समझता है कि यह भी समाज कल्याण के साधन हैं इसलिये सहकारिता आन्दोलन को सहायता तथा सहयोग देने में कोई शर्म या डिसक्रिमिनेशन नहीं समझता है । यह सच बात है कि विधेयक में इस तरह की चीजें रखी गयी हैं जिनसे जो लोग कोआपरेटिव मूवमेंट में काम करते हैं और सहकारी ढंग से

[श्री कैलाशप्रकाश]

सहकारिता के रूप में अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिये तैयार है उनके लिये शासन से जो सहयोग और सहायता प्राप्त हो सकती है उसको वह प्रसन्नता के साथ देना चाहता है और देगा ।

श्रीमन्, लाल बत्ती हो गई है और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । एक बात जरूर कह देना चाहता हूं । मेरे दोस्त श्रीपालसिंह जी ने नाम-मात्र के सदस्यों का नाम लेकर उपहास के रूप में उनकी व्याख्या की उसको गौतम जी ने साफ कर दिया कि यह क्या होंगे । नाम-मात्र के सदस्य वह होंगे जिनके साथ सहकारी समिति अपने व्यावसायिक संबंध रखती है, और क्यों होंगे ? इसलिये कि यदि वह नाम-मात्र के सदस्य हो जाते हैं तो आरबीट्रेशन के अन्तर्गत आ जाते हैं और फिर कचहरी अदालत की जरूरत नहीं पड़ती है । तो बताइये कि इन नाम-मात्र के सदस्यों को रखने से तो इन सोसाइटीज का फायदा हुआ न, अदालत के चक्कर से बचे । तो यह कोई उपहास की बात नहीं है बल्कि एक आवश्यक बात है, प्रसन्न होने की बात है कि एक रास्ता इस तरीके का निकाल लिया कि कोई विवाद उठे तो लोग आपस में समझौते से उसे तय कर लें, बजाय इसके कि अदालत में मुकदमेबाजी करते फिरें ।

श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि इन बातों को स्पष्ट करने के बाद और प्रदेश में जिस तरीके से सहकारी आन्दोलन चला है, गौतम जी की बात सुनने के पश्चात्, माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेंगे और समझेंगे कि यह दोनों संशोधन, जो इस प्रस्ताव में दिये गये हैं, वे अनावश्यक हैं ।

श्री अध्यक्ष--अब मैं संशोधन लिये लेता हूं । श्री गोविन्दसिंह विष्ट का संशोधन यह है--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो ६ दिन के अन्दर इस पर अपनी रिपोर्ट दे और जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--श्री तेजबहादुर का यह है --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को जनमत संग्रह हेतु ग्राम सभाओं, सहकारी संस्थाओं, खंड विकास समितियों तथा जिला परिषदों में ३ मास तक घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में शुद्धि

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० कल लिया जायगा विचारार्थ । इसमें पहले जो छापकर संशोधन भेज दिये गये थे उनमें परिषद् की तरफ से कुछ शुद्धियां और आ गई हैं । यानी कुछ गलतियां हो गई थीं । उनको परिषद् के मंत्री ने शुद्ध कर के भेज दिया है । इसलिये उसे फिर से छापकर और नोटिस आफिस के जरिये से वह माननीय सदस्यों में वितरित कर

दिये गये हैं। लेकिन जिन लोगों को न मिला हो वह संशोधित विधेयक या संशोधन वह कृपा करके नोटिस आफिस से ले लें।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५८ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१६ मई, १९६१

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ' —७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर)

आजमगढ़ जिले के उन स्थानों के नाम जहां से पशु १९५९–६० तथा १९६० –६१ में मिर्जापुर के गोसदनों को भेजे गये।	पशुओं की संख्या।	गोसदन का नाम जहां पशु भेजे किये गये।	धनराशि जो ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों अथवा व्यक्तियों को पशु पकड़ने के लिये दी गई।	किस प्रकार से पशु गोसदन भेजे गये।
१	२	३	४	५
		१९५९–६०		
			रु०	
१–महातमपुर ..	३	बेनीमाधो राज ट्रस्ट निजी गोसदन सरकारी।	१५	सरकारी गाड़ी द्वारा।
२–सुरजपुर ..	१७	,, ,,	८५	,, ,,
३–तुलसीपुर ..	५	,, ,,	२५	,, ,,
४–सांदीपुर ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
५–किशनपुर ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
६–संरसा ..	४	,, ,,	२०	,, ,,
७–कोथिया चैक कोथिया	५	,, ,,	२५	,, ,,
८–पुरजानपुर ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
९–बुधावल ..	४	,, ,,	२०	,, ,,
योग ..	४४		२२०	
		१९६०–६१		
१–लाटघाट ..	३	निजी गोसदन, सिकटही।	१५	सरकारी गाड़ी द्वारा।
२–महूवादेवारा ..	३	,, ,,	१५	,, ,,
३–हरखरामपुर ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
४–गम्भीरबन ..	७	,, ,,	३५	,, ,,
५–सोहरा मार ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
६–खमभरिया करनपुर	१	,, ,,	५	,, ,,
७–खरहानी ..	३	,, ,,	१५	,, ,,
८–मेहनगर ..	३	,, ,,	१५	,, ,,

आजमगढ़ जिले के उन स्थानों के नाम जहां से पशु १९५९–६० तथा १९६०–६१ में मिर्जापुर के गोसदनों को भेजे गये ।	पशुओं की संख्या।	गोसदन का नाम जहां पशु भर्ती किये गये ।	धनराशि जो ग्राम सभाओं, स्थानीय, निकायों, अथवा व्यक्तियों को पशु पकड़ने के लिये दी गई ।	किस प्रकार से पशु गोसदन भेजे गये ।
१	२	३	४	५
९–लहुवा लोधपुर ..	२	निजी गोसदन, सिकटही	रु० १०	सरकारी गाड़ी द्वारा ।
१०–सारंगपुर ..	५	,, ,,	२५	,, ,,
११–पालिया ..	१	,, ,,	५	,, ,,
१२–कोपागंज ..	२	,, ,,	१०	,, ,,
१३–चेक जाफारी ..	३	,,	१५	,, ,,
१४–जेगानी लालगंज ..	५	,, ,,	२५	,, ,,
१५–पासीपुर (फूलपुर)	१	,, ,,	५	,, ,,
१६–टाउन एरिया फूलपुर	२	,, ,,	२०	,, ,,
१७–टाउन एरिया अमीला	१	,, ,,	१०	,, ,,
१८–घोसी ..	१६	बेनी माधो न्याज ट्रस्ट, गोसदन, बरकछा	८०	,, ,,
१९–बसीला लालगंज ..	३	,, ,,	१५	,, ,,
२०–लाहुवा लोधपुर ..	३	,, ,,	१५	,, ,,
२१–सेरउसारी ..	४	,, ,,	२०	,, ,,
२२–बुधावल ..	५	,, ,,	२५	,, ,,
२३–टाउन एरिया मऊ ..	२	,, ,,	२०	,, ,,
२४–टाउन एरिया आजमगढ़ ..	२	,, ,,	२०	,, ,,
योग ..	८१		४४०	
बड़ा योग ..	१२५		६६०	

नत्थी 'ख

(देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८३ पर)

डीप वाटर पैडी योजना के अन्तर्गत ग्राम मेरीटार, तहसील बांसडीह, जिला बलिया के किसानों की ली जाने वाली जमीन का विवरण।

क्रम-सं०	किसान का नाम	जमीन का क्षेत्र-फल (एकड़ों में)
१	श्री रामचन्द्रसिंह	०.३०
२	श्री मु० लहासी कुंवरी	०.२७
३	श्री बच्चालाल सिंह इत्यादि	०.२६
४	श्री राधामोहनसिंह	०.५३
५	श्री नन्हद जी सिंह	०.०४
६	श्री महन्तसिंह इत्यादि	०.३०
७	श्री रामतवेसासिंह इत्यादि	०.२२
८	श्री जंगबहादुरसिंह इत्यादि	०.०९
९	श्री रामकिशोरसिंह इत्यादि	०.२४
१०	श्री गोपालसिंह इत्यादि	०.१२
११	श्रीमती सुरूजा कुंवरी	०.१७
१२	श्री केदारलाल	०.१७
१३	श्री शिवनाथलाल	०.७५
१४	श्री केदारलाल	०.५४
१५	श्री विश्वनाथसिंह	१.००
	कुल योग ..	५.०० एकड़

नोट--(१) क्रम १४ तथा १५ पर दिखाये गये किसान ग्राम मेरीटार ही के निवासी हैं, किन्तु इनकी जमीन ग्राम तालसुरहा, तहसील बलिया में स्थित है।

(२) किसानों के नामों के आगे जहां "इत्यादि" शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है उसके परिवार के अन्य व्यक्ति भी उस भूमि के साथ सम्बन्धित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९२ पर)

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें सजा हुई।	मुकदमों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।	मामलों की संख्या जो छूट गये।
१९५९	१५	—	६
१९६०	९	२०	४
१ जनवरी, १९६१ से २० मार्च, १९६१ तक		४	—

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ९७–९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

१	२	३	४
जिलों के नाम जहां पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े हुए।	जिलों के नाम जहां झगड़ों में बंदूकें* चलीं।	बन्दूक से हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या।	इस्तेमाल हुई बन्दूकों में से लाइसेंस होल्डर्स की बंदूकों की संख्या तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही।
(१) मेरठ, (२) बुलन्दशहर (३) मुजफ्फरनगर (४) सहारनपुर (५) वाराणसी (६) मिर्जापुर (७) आजमगढ़ (८) जौनपुर (९) बलिया (१०) लखनऊ (११) सीतापुर (१२) उन्नाव (१३) खीरी (१४) हरदोई (१५) प्रतापगढ़ (१६) हमीरपुर (१७) जालौन (१८) इलाहाबाद (१९) फतेहपुर (२०) बरेली (२१) बदायूं (२२) रामपुर (२३) बिजनौर (२४) मथुरा (२५) एटा (२६) इटावा (२७) फतेहगढ़ (२८) गोंडा (२९) देवरिया (३०) फैजाबाद।	(१) मेरठ (२) फतेहपुर (३) इलाहाबाद (४) फतेहगढ़	१: (१ व्यक्ति मर गया)	यह बन्दूक जिला फतेहपुर में इस्तेमाल की गई थी। जिस व्यक्ति की बंदूक थी वह भागा हुआ है। पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बन्दूक के बारे में अभी यह पता नहीं चला है कि लाइसेंस वाली थी या नहीं। जांच जारी है।

*बन्दूक में देशी पिस्तौलें भी सम्मिलित हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९७ पर)

दिनांक डकैती	नाम स्थान	पुलिस स्टेशन	धन-जन की हानि	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४	५
२२,२३-१-६१	ब्रह्मचारी का पुरवा	लोनी कटरा	रु० १,०६४ का जेवर, कपड़ा तथा नकद ।	जांच से ११ डकैतों के नाम मालूम हुए जिनमें से अ.ठ व्यक्ति गिरफ्तार होकर चलान किए गए। शेष के लिए जांच हो रही है ।
२२-१-६१	छंदरौली	लोनी कटरा	रु० ७१७ का सामान, साइकिल कपड़ा व नकद ।	७ अभियुक्तों का चालान किया गया । शेष के लिए तफतीश जारी है ।
२२,२३-१-६१	विश्राम का पुरवा	रामसनेहीघाट	रु० ६११ का जेवर, बरतन व कपड़ा तथा तीन ग्रामीण घायल हुए ।	विवेचना से ९ अभियुक्तों का पता चला जो जेल भेजे जा चुके हैं । कार्यवाही शिनाख्त बाकी है । जांच जारी है ।
१९,२०-२-६१	सराय पीर	कोठी	रु० १,८१९ का जेवर कपड़ा । चार घायल हुए ।	४ व्यक्ति अभी तक पकड़े जा चुके हैं जिनकी कार्यवाही शिनाख्त बाकी है । जांच जारी है ।
२०,२१-२-६१	बरगदहा	सुबेहा	रु० १,५४५ का सामान, नकद, जेवर व कपड़ा ।	विवेचना से गिरोह का सही पता लग गया है जिसमें से ६ अभियुक्त पकड़े भी जा चुके हैं जिनका चालान भी किया जा चुका है । शेष के लिए विवेचना जारी है ।
२१,२२-३-६१	बरगदइ	कोठी	रु० ६८२ का सामान लूटा गया । ५ व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें से १ की मृत्यु हो गई है ।	विवेचना जारी है ।

दिनांक डकैती	नाम स्थान	पुलिस स्टेशन	धन-जन की हानि	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४	५
१५,१६-३-६१	बिड़हार	मेलसर	रु० १३१ का सामान, नकद व जेवर।	१४ अभियुक्तों का पता चला है जिनमें से ९ अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। विवेचना जारी है।
२१,२२-३-६१	रामपुर	लोनीकटरा	रु० ४,६२२ का जेवर नकद व कपड़ा।	विवेचना जारी है।
१९,२०-३-६१	नहन्तीपुर	कुर्सी	रु० १,७४४ जेवर, बरतन व कपड़ा।	विवेचना जारी है।
"	रूपपुर	सफदरगंज	रु० २७१ साइकिल माल, कपड़ा व नकद।	९ डकैत बन्दी बनाए जा चुके हैं। जांच जारी है।
२१,२२-३-६१	भगवन्तपुर मजरेछेदा	मुहम्मदपुर	रु० २८० जेवर, कपड़ा व बरतन।	१९-२० अभियुक्तों में से ५ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं। विवेचना हो रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

[देखिये ९ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न १२९ –१३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९९ पर]

वर्ष	नाम अपराध		अपराधों की संख्या	मुकदमें चलाये गये	फैसला हो चुका है	बकाया है	कामयाब हुये	नाकामयाब हुए
१९५८	डकैती	..	३६	३३	३३	–	१६	१७
	कत्ल	..	२६	१७	१६	१	८	८
१९५९	डकैती	..	१४	१४	१२	२	८	४
	कत्ल	..	३७	३२	३१	१	१५	१६
१९६०	डकैती	..	३४	३२	१४	१८	७	७
	कत्ल	..	३४	२७	१७	१०	११	६

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न २१—२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर]

तालिका 'अ'

क्र० सं०	रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	दर्ज कराने वाले का नाम	अपराध	धारा
१	२४-३-६०	श्री जयदेव पांडे	रिवाल्वर तथा कारतूस की चोरी।	३८०/४११ भा० दं० वि०
२	२४-३-६०	श्री नरेन्द्रसिंह	बिना लाइसेन्स के दो रिवाल्वर व १४ कारतूस रखने के अभियोग में।	आर्म्स ऐक्ट की धारा १९।
३	२४-३-६०	श्री रामआसरे	अप्राकृतिक व्यभिचार।	३७७ भा० दं० वि०।
४	५-२-६०	श्री अजोधी	डकैती के अभियोग में।	३९५/३९७ दं० वि०।
५	१४-१-६०	श्री बल्देवप्रसाद	,, ,,	३९६ भा० दं० वि०।

तालिका 'ब'

श्री रामलाल की गिरफ्तारी के समय निम्नांकित सामान उनके पास निकला—

१—एक रिवाल्वर .२२ बोर तथा १३ कारतूस .२२ बोर

२—एक रिवाल्वर .३२ बोर और एक कारतूस .३२ बोर

३—सोने की नेलिस

४—सोने की जंजीर

५—सोने का कंगन

६—सोने के टाप्स

७—मोहरें हबीब छाप २४

८—चांदी की पायजेब

९—५,६ धोतियां

१०—नकद १,८४८ रु० ९६ न० पै०

[बाद में उनका सामान (३ लगायत ९) उनकी बहन को लौटा दिया गया।]

उनकी तलाशी निम्नलिखित व्यक्तियों के सामने ली गई :—

१—चन्द्रिकाप्रसाद, पुत्र बल्देवप्रसाद, मोहल्ला संकटा देवी, लखीमपुर।

१—बद्री, पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण, मोहल्ला संकटा देवी, लखीमपुर।

३—लल्लन, पुत्र पूत्तूलाल, मोहल्ला संकटा देवी, लखीमपुर।

४—श्रीधर, पुत्र काशीप्रसाद, मोहल्ला मिथाना लखीमपुर।

५—बाबूसिंह, पुत्र दुर्गासिंह, ग्राम पिपरिया अंड थाना कोतवाली।

६—चिरंजू, पुत्र मथुरा भुर्जी, ग्राम पिपरिया, अंडू, थाना कोतवाली।

नत्थी 'ज'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर)

लखनऊ शहर में छोटे बच्चों को पकड़ कर उनसे भिक्षावृत्ति करवाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की घटना का विवरण :—

दिनांक ३०-३-६१ को अमीनाबाद लखनऊ के एक दुकानदार श्री रामनारायण शर्मा ने केशरबाग थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनका लगभग १३ वर्षीय पुत्र हरिओम जो करीब ११ माह से खोया हुआ था १०, ११ अन्य बच्चों के साथ लखनऊ आया हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि मेहरवानसिंह नामक एक व्यक्ति जो शाहजहांपुर में एक अनाथालय खोले हुये हैं, छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाता है। इस सूचना पर पुलिस को खोये हुये बच्चों की खोज के लिये भेजा गया। श्री रामनारायण के साथ अमीनाबाद पुलिस चौकी के दो सिपाही हुसेनगंज की तरफ भेजे गये। उसी दिन करीब ९ बजे रात्रि में बालक हरीओम को नन्हें लाल, चमनसिंह और मेहरवानसिंह के साथ घूमते हुये देखा गया। नन्हेंलाल और चमनसिंह को गाजीउद्दीन हैदर नहर के पास पकड़ लिया गया और हरिओम को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मेहरबानसिंह नहीं पकड़ा जा सका।

दिनांक ३१—३—६१ को सब इन्सपेक्टर, श्री मिट्ठनलाल ने १२ अन्य लड़कों को मुक्त किया और मिहरबानसिंह को भी गिरफ्तार किया।

———

अनुसंधान पदेश्वा भवन

नत्थी 'झ'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राप्त सकता दिये गए स्थगित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

शिकायत का संक्षिप्त सार

श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने अपने पत्र में शिकायत की थी कि श्री गणेशराय तथा गुरप्रसाद, निवासी, ग्राम शिद्दुइला के बीच जमीन के झगड़े के मामले में, थाना कैम्पियारगंज, जिला गोरखपुर के सब इन्सपेक्टर ने काफी घूस लेकर श्री गणेशराय की ओर पक्षपात किया तथा ग्राम सभा बदना के सभापति, श्री रामलखन सिंह की बेईज्जती की तथा उन्हें गिरफ्तार किया ।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये नियम ३९ (२) क अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गये स्थगित तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

जिला गाजीपुर में सन् १९५९ व १९६० ई० में हुई डकैती तथा कत्ल की घटनाओं का थानेवार विवरण :—

नाम थाना	संख्या अपराध	कितने व्यक्तियों की जान गई ।	कितने व्यक्तियों के माल का नुकसान हुआ	टिप्पणी
		(१९५९—डकैती)		
कोतवाली ..	१	—	१	
मुहम्मदाबाद ..	१	—	१	
करीमुद्दीनपुर ..	२	—	२	
कासिमाबाद ..	१	—	१	
मरदह ..	१	१	१	
दिलदार नगर ..	१	—	१	
योग ..	७	१	७	
		(१९६०—डकैती)		
मुहम्मदाबाद ..	१	—	१	ग्राम शहपुरा थाना करीमुद्दीनपुर में एक रात में ४ आदमियों (जो पड़ोसी थे) के घरों में डाका पड़ा। डाकू एक ही गिरोह के थे।
करीमुद्दीनपुर ..	१	—	४	
कासिमाबाद ..	२	१	२	
विरनों ..	१	..	१	
मरदह ..	१	..	१	
गहमर ..	१	..	१	
योग. .	७	१	१०	
		(१९५९—कत्ल)		
कोतवाली ..	२	२	—	
मुहम्मदाबाद ..	१	१	—	
करीमुद्दीमपुर ..	२	२	—	
कासिमाबाद ..	१	१	—	
विरनों ..	२	२	—	
सैदपुर ..	२	२	—	
नंदगंज ..	१	१	—	
शादियाबाद ..	१	१	—	
दिलदार नगर ..	२	२	—	
गहमर ..	१	१	—	
योग ..	१५	१५	—	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम थाना	संख्या अपराध	कितने व्यक्तियों की जान गई ।	कितने व्यक्तियों के माल का नुकसान हुआ ।	टिप्पणी
		(१९६०- कत्ल)		
कोतवाली ..	१	१	–	
मुहम्मदाबाद ..	१	१	–	
करीमुद्दीनपुर ..	२	२	–	
विरनों ..	१	१	–	
सैदपुर ..	३	३	–	
नन्दगंज ..	२	२	–	
शादियाबाद ..	१	१	–	
जमानिया ..	१	१	–	
दिलदारनगर ..	१	१	–	
गहमर ..	१	१	–	
योग ..	१४	१४	–	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

एटा जिले के समस्त फार्मों का विवरण

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में
१	मोहनपूरा	२६.८४
२	कठौली	२६.२५। इसमें से १५.२८ एकड़ खरीदी गई है और केवल १०.५६ एक्वायर की गई है।
	धरौली	२७.००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर)

	कुल खेती योग्य भूमि (सी० सी० ए०) एकड़ों में	सिंचाई के लिये प्रस्तावित भूमि, प्रोपोज्ड क्षेत्र एकड़ों में
१—अंज	५२	१०
२—दायुदपु	१०२	१९
३—नेंवडह	२६	४
४—अहलादा	१३३	२४
५—गरौदी	९९	१९
६—शीशपुर बनाम शेखपुर	१२३	२३
७—घेरीपुर	१४४	१८
८—रायपुर	४२०	७५
९—रामनगर	५२	१०
१०—नवादा	१३१	२४
११—देवापुर	१९५	३३
१२—रमडिया	७१	१३
१३—नारीपुर	२७०	५१
१४—हिम्मतपुर	१४७	२७
१५—धारिकपुर	४३१	७४
१६—मैसारामपुर	४९५	८४
१७—सवेली	३६९	६०
१८—दीपकपुर	२४६	४२
१९—तिलहरा	३६३	४९
२०—गड़वा	४१	७
योग	३,९१०	६६६

विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१३ पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जिलेवार संख्या ।	मुलाकात के हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों की जिलेवार संख्या ।	चुने गये उम्मीदवारों की जिलेवार संख्या ।
१	२	३	४	५
१	मेरठ	..	१३४	३९	१२
२	बुलन्दशहर	..	१५१	५४	१६
३	मुजफ्फरनगर	..	६३	१३	१
४	सहारनपुर	..	५१	१३	४
५	देहरादून	..	३५	१८	७
६	टेहरी-गढ़वाल	..	४	१	..
७	वाराणसी	..	१४६	२२	१०
८	मिर्जापुर	..	३२	५	..
९	गाजीपुर	..	५५	९	..
१०	जौनपुर	..	४०	२	१
११	आजमगढ़	..	४६	५	२
१२	बलिया	..	४४	४	..
१३	लखनऊ	..	५५	६	५
१४	सीतापुर	..	१३	१	१
१५	हरदोई	..	६	..	..
१६	बाराबंकी	..	१५	..	..
१७	खीरी	..	११	४	..
१८	रायबरेली	..	१७	३	..
१९	उन्नाव	..	२५	२	१
२०	प्रतापगढ़	..	१७	१	..
२१	कानपुर	..	७४	१२	२
२२	फतेहपुर	..	६	२	१
२३	इलाहाबाद	..	१६७	२७	९
२४	बांदा	..	१८	२	..
२५	हमीरपुर	..	१७	४	..
२६	जालौन	..	१९	२	१
२७	झांसी	..	१६	३	१
२८	बरेली	..	२९	७	२
२९	बिजनौर	..	२१	५	..
३०	पौड़ी-गढ़वाल	..	५	१	..
३१	बदायूं	..	२१	४	२
३२	नैनीताल	..	११	..	..
३३	मुरादाबाद	..	७२	१९	३
३४	पीलीभीत	..	६	..	..

अमर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जिलेवार संख्या।	मुलाकात के हेतु बुलाये गये उम्मीदवारों की की जिलेवार संख्या ।	चुने गये उम्मीदवारों की जिलेवार संख्या
१	२	३	४	५
३५	शाहजहांपुर	..	..	६	..	..
३६	रामपुर	..	..	१८	..	..
३७	आगरा	..	..	७५	९	५
३८	मथुरा	..	..	५०	१२	३
३९	एटा	..	..	२७	१६	६
४०	अलीगढ	..	..	७६	२५	७
४१	मैनपुरी	..	..	३९	१९	६
४२	इटावा	..	..	५०	७	१
४३	फर्रुखाबाद	..	..	१९	६	१
४४	गोरखपुर	..	..	४५	४	१
४५	बस्ती	..	..	११	..	..
४६	गोंडा	..	..	१९	४	२
४७	बहराइच	..	..	२	..	..
४८	दवरिया	..	..	२९	४	
४९	फजाबाद	..	..	१९	३	१
५०	सुल्तानपुर	..	..	११	२	..
		योग	..	१,९२२	..	३९१	११४

विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७–२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषकों की संख्या
१	अयोध्याचाक	२९.०५	१
२	नटवा	२५.००	१
३	बैलोन	२५.३२	२
४	लेजरमहा`वा	३९.९०	३
५	बसन्तपुर खुर्द	२७.१७	३

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१५ पर)

१-४-१९५७, १९५८, १९५९ व १९६० को वितरित होने से बचे हुए रसायनिक उर्वरक की कीमत के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	वितरित होने से बचे हुए उर्वरक की कीमत
	(रुपयों में)
१-४-१९५७ को ..	१,७४,८७,१७५
१-४-१९५८ को ..	२,५९,१७,९०२
१-४-१९५९ को ..	३,६६,२३,८००
१-४-१९६० को ..	५,५७,५७,८४९

१-४-५७ के बाद प्रति वर्ष मंगाये जाने वाले उर्वरक के आंकड़े निम्नांकित हैं:-

वर्ष	खरीदे गये उर्वरकों की कीमत
	(पयों में)
१९५७-५८ ..	४,७६,३६,९२७
१९५८-५९ ..	५,२१,९४,२६०
१९५९-६० .	६,७३,४९,३९८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे ५२१ पृष्ठ पर)

उन कमरों का विवरण जिनमें अन्य लोग रहते हैं : विधायक नहीं रहते :

विधायक निवास का नाम	बड़े कमरे	छोटे कमरे	योग
१—विधायक निवास १ में अवधाता के लिये ..	..	१	१
२—विधायक निवास २ में अवधाता के लिये ..	१	..	१
३—विधायक निवास ३ में अवधाता के लिये ..	..	२	२
४—विधायक निवास ३ में अवधाता का कार्यालय	..	१	१
५—विधायक निवास ४ में अवधाता का कार्यालय	..	१	१
६—विधायक निवास ४ में कामन रूम ..	..	१	१
७—विधायक निवास ४ में उत्तर प्रदेश कृषि समाज कार्यालय	..	१	१
योग ..	१	७	८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'थ

(देखिय तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

पदों के नाम	३१ दिसम्बर, १९६० को अधिकारियों व कर्मचारियोंकी कुल संख्या	अनुसूचित जाति वालों की संख्या	पिछड़े वर्ग वालों की संख्या
प्रधान-पुलिस निरीक्षक ..	१	..	..
प्रधान-उप-प्रधान पुलिस निरीक्षक	१५	..	..
पुलिस अधीक्षक ..	८२	१	२
पुलिस सहायक अधीक्षक ..	२७	३	..
पुलिस उप-अधीक्षक ..	२६८	१२	५
इंस्पेक्टर ..	४२९	..	११
पब्लिक प्रासीक्यूटर ..	७०	..	४
असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर	३८०	१	५
सब-इंस्पेक्टर ..	३,३४०	१२१	१६४
हेड कांस्टेबिल ..	९,३७०	१०६	६९२
कांस्टेबिल ..	५१,८७९	१,५८९	६,३८३
लिपिक वर्ग ..	१,४२४	५	८३
चपरासी ..	१,००२	२०	२३६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर

प्रश्न	उत्तर
७५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरयू नदी से कोई नहर निकालने की योजना है जिससे बहराइच तथा गोंडा जिलों में सिंचाई का कार्य होगा ?	७५---जी हां ।
७६---उपर्युक्त नहर के निर्माण में कितना धन लगने का अनुमान है और कब कार्य प्रारम्भ होगा ?	७६---वर्तमान सर्वेक्षण के आधार पर योजना की अनुमानित लागत १०.७८ करोड़ रुपया है । इस योजना पर चालू वर्ष १९६१-६२ में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

राम मूर्ति,
सिंचाई मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०---ए० पी०---६७ एल० ए०---१९६१---८४५।